बी० ए० (प्रतिष्ठा) खण्ड-III

प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व (प्रतिष्ठा), पत्र-VIII

विषय-सूची

क्रम	पाठ का नाम	इकाई सं०	पृष्ठ सं०
1.	संग्रहालय का इतिहास एवं स्वरूप	1	2
2.	संग्रहालय विधियाँ	2	12
3.	संग्रहालय भवन	3	16
4.	संग्रहालय के प्रकार	4	20
5.	सामग्रियों की प्राप्ति के तरीके	5	26
6.	प्रलेखन	6	30
7.	सामग्रियों का प्रदर्शन	7	34
8.	संग्रहालय सामग्री का परिरक्षण	8	39
9.	संग्रहालय : सांस्कृतिक एवं मनोरंजक क्रियाएँ	9	47
10.	संग्रहालय व्यवस्था एवं देख-रेख	10	53
11.	पर्यटन का इतिहास एवं स्वरूप	11	57
12.	पर्यटन का महत्त्व	12	64
13.	पर्यटन का व्यावहारिक पक्ष	13	68
14.	पर्यटक गाइड एक पेशा के रूप में	14	72
15.	एक पर्यटक केन्द्र के रूप में नालन्दा	15	77
16.	बिहार के एक पर्यटक केन्द्र के रूप में बोध गया	16	81
17.	बिहार के एक पर्यटक केन्द्र के रूप में राजगीर	17	85
18.	बिहार के एक पर्यटक केन्द्र के रूप में वैशाली	18	89
19.	बिहार के एक पर्यटक केन्द्र के रूप में पाटलिपुत्र	19	92

संग्रहालय का इतिहास एवं स्वरूप (History and Nature of Museum)

1.0 उद्देश्य

इस पाठ का उद्देश्य है संग्रहालय का इतिहास रेखांकित करना। अर्थात् संग्रहालय की कल्पना कब की गई और किस प्रकार उसका विकास विश्व एवं भारत में हुआ।

1.1 भूमिका

संग्रहालय के लिए Museum शब्द अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त होता है जिसकी उत्पत्ति यूनानी शब्द Museion से हुई। यूनान में यह शब्द कला एवं विज्ञान की सामग्री का संकलन स्थल न होकर यूनानी देवी Muses को समर्पित मंदिर था। यूनान में Muses विज्ञानों और कलाओं की देवी मानी जाती है। यहाँ मंदिर की तरह पूजा नहीं की जाती थी, बल्कि सांसारिक उधेड़बुन से मनुष्य त्राण पाता, सीखता चिन्तन करता और पवित्र जीवन की ओर बढ़ने की प्रेरणा पाता था। वस्तुतः यूनानी मिथक के अनुसार ओलम्पस पर्वत की घाटी में जियस (Zeus) तथा नेमोसीन (Mnemosyne = memory - स्मृति) से नौ बहनों Muses का जन्म हुआ था जो नृत्य एवं संगीत के द्वारा लोगों को दुःख और चिन्ता भुलाने में सहायता देती थी। इस प्रकार ये दोनों पक्ष पवित्र मंदिर तथा शिक्षण संस्थान एक में मिल गए, उसी के समन्वित स्वरूप को Museum (संग्रहालय) कहा गया। जहाँ पहुँचकर मनुष्य अपने सारे सांसारिक दुःख और चिन्ताओं को भूल जाता है और आनन्दपूर्वक ज्ञान की प्राप्ति करता है।

विभिन्न विद्वानों ने संग्रहालय को अपने-अपने ढंग से परिभाषित किया है। सर अशुतोष मुखर्जी के अनुसार संग्रहालय प्राकृतिक तत्त्वों तथा मानव क्रियाओं का संग्रह संस्थान है जिसका उपयोग ज्ञान के संबर्धन तथा जनता के सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास के लिए किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि संग्रहालय मात्र पुरानी वस्तुओं को देखने का स्थान अथवा अजायब घर नही है, अपितु देश की शैक्षणिक व्यवस्था एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमुख अंग हैं। इतना ही नहीं, वे सामाजिक विरासत एवं सभ्यता के विकास से सम्बद्ध ऐसी पुरानिधियों का संग्रह है जो हमें सभ्यता के क्रमिक विकास की जानकारी देता है। एक प्रकार से संग्रहालय शिक्षा के लिए संग्रह का घर है। वर्तमान परिपेक्ष्य में संग्रहालय ज्ञान की एक बहुमुखी संस्था है। एक समन्वित संग्रहालय में प्राकृतिक इतिहास, नृशास्त्र, पुरातत्व, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, उद्योग, शस्त्रास्त्र, कला, विशिष्ट लोगों की जीवनी, घटनाओं का चित्रण, पशु-पक्षी जीवन, जीव-जन्तुओं का विकास आदि अनेक सामग्रियों का संग्रह होता है। कतिपय संग्रहालयों में इनमें से किसी एक पक्ष की सम्पूर्ण सामग्रियाँ संगृहीत रहती हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इन सामग्रियों का यहाँ केवल संचय ही नहीं, बल्कि इन्हें विभिन्न वीथियों में परिचय कार्ड के साथ सजाया जाता है तथा एक क्रमबद्धता रखी जाती है ताकि दर्शक (शिक्षित अथवा अशिक्षित) उन्हें देखकर उनका क्रमिक विकास तथा उस विकास की कड़ी के बीच सह-सम्बद्धता का

सहज ज्ञान प्राप्त कर सकें। इस प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञान दान की एक संस्था के रूप में आज इसे विकसित किया जा रहा है।

1.2.1 मूलपाठ—सर्वप्रथम 'पाश्चात्य विश्व में संग्रहालय का इतिहास' जानना आवश्यक है। वस्तुत: इसकी नींव तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। सिकन्दर ने पश्चिम एशिया पर अपने आक्रमण के दौरान प्राकृतिक सामग्रियों का जो संग्रह अपने गुरू अरस्तू के पास अध्ययन के लिए भेजा था, इन संगृहीत सामग्रियों वाला स्थल एलेक्जेंड्रिया नामक नगर के रूप में स्थापित हुआ, जिसे यहाँ का शासक टालमी सोटर ने 288 ई॰पू॰ में शिक्षा के केन्द्र के रूप में विकसित किया। इस प्रकार पहली बार विश्व में संग्रहालय का स्वरूप विकसित हुआ। तीन हजार वर्ष ई॰पू॰ मेसोपोटामिया में निर्मित जिगूरतो को इसी प्रकार का प्रयास कहा जा सकता है जिसमें धार्मिक सामग्रियों का संग्रह किया जाता है। असीरिया के पुस्तकालय भी संग्रहालय के समकक्ष माने जा सकते हैं। प्राचीन रोम और यूनान में व्यक्तिगत संग्रह करने की भावना प्रबल थी। आगस्टस सीजर पुरातन तथा विचित्र वस्तुओं का संग्रह करता था। ओलम्पिया तथा डेल्फी के यूनानी मंदिरों में विजित स्थानों की सामग्रियों तथा मूर्तियों को संगृहीत किया जाता था।

1.2.2 मध्ययुगीन यूरोप में राजा सामान्त तथा धनी एवं समर्थ लोग पुरास्थलों की खुदाई करवाते थे तथा मूल्यवान वस्तुओं (सोना-चाँदी के वर्त्तन, गहने, मुद्रा, मूर्तियों आदि) का संग्रह करते थे। राजकुमार तथा धनी वर्ग के लोगों का संग्रह के पीछे उद्देश्य था पूर्वजों को गौरव प्रदान करना। ऐसा संग्रहालय एक प्रकार का भण्डार गृह होता था। बाद में इन्हीं संगृहीत वस्तुओं से संग्रहालय खुले। संग्रह करने की प्रवृत्ति धुमक्कड़ों में भी होती थी जो विचित्र एवं कलात्मक वस्तुओं को उठा लाते थे। गोथिक समुदाय ऐसी वस्तुओं को चर्च में सजाकर रखते थे। हस्तलिखित ग्रन्थों को भी सुरक्षित रखा जाता था। **पुनर्जागरणकाल** में संग्रहालय के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्त्तन हुआ। अब सम्पत्ति के लिए संग्रह करने के बदले ज्ञान एवं आनन्द के लिए संग्रह की प्रवृत्ति का प्रारंभ हुआ। 15वीं शताब्दी में सामग्रियों के संग्रह एवं विकास की क्रमिक और व्यवस्थित कला प्रारंभ हुई। सोलहवीं एवं सत्रहवीं शताब्दी में सर्वप्रथम जनता का संग्रहालय स्थापित हुआ जो राजवाड़ों द्वारा चलाया जाता था। परन्तु ये संग्रहालय उच्च वर्गों एवं चयनित लोगों के लिए ही सीमित था। अब संग्रहों का विवरण छपना भी प्रारम्भ हुआ संभवत: प्रचार के लिए। ट्राडेसकाण्ट ने अपने व्यक्तिगत संग्रह को अपने सम्बन्धी श्री आशमोल को दिया जिन्होंने इसे 1682 ई॰पू॰ में ऑक्सफोर्ड, इंगलैंड में स्थापित हुआ। इसके बाद सर होस स्लोने (Hans Sloane) द्वारा एकत्रित सामग्रियों का उसकी वसीयत के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन के पार्लियामेन्ट में अधिगृहीत किया तथा उसी से 1753 ई॰ में ब्रिटिश म्यूजियम (British Museum) की स्थापना की गई जो जनता के लिए 1759 ई॰ में खुला। उन्नीसवीं शताब्दी में लोगों की रूचि इस ओर जागृत हुई। व्यक्तिगत संग्रह की सामग्रियाँ संग्रहालयों में पहुँचने लगीं। यहाँ शोधशाला, प्रयोगशाला तथा शिक्षण केन्द्र भी इसके साथ जोड़े गए। संग्रहालयों का सर्वाधिक विकास विक्टोरिया काल (Victorian Age) में हुआ। इस समय बड़ी संख्या में संग्रहालयों की स्थापना यूरोप में हुई।

1.2.3 भारत में संग्रहालय का इतिहास—स्वतंत्रता प्रांप्ति के पूर्व भारत में यूरोप एवं अमेरिका की तुलना में जनसंख्या के अनुपात में संग्रहालयों की संख्या बहुत कम थी। परनतु बाद में इस के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए इसका समुचित विकास हुआ। भारत में प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक कालों में

सग्रहालयों की स्थिति का अध्ययन आवश्यक है। **प्राचीन काल** में संग्रहालय जैसी कोई संस्था नहीं थी वैसे संग्रह की प्रवृत्ति मानव स्वभाव है। पाषण युग से ही मानवों की इस प्रवृत्ति का परिचय हमें इनके आवासों (अर्थात् गुफाओं) में संग्रहीत अस्त्रों, हड्डियों, बर्त्तनों आदि के संग्रंह से मिलता है। दशरथ एवं रावण के महलों में देवी-देवताओं तथा पूर्वजों की मूर्तियों के संग्रह का उल्लेख रामायण में हुआ है। संस्कृत ग्रन्थों में जो भी उल्लेख मिलते हैं उसे हम सही अर्थ में संग्रहालय नहीं कह सकते। वैसे अजन्ता की गुफाओं में मूर्तियाँ, वास्तु सामग्रियाँ, चित्र, अभिलेख मिलते हैं जिन्हें हम संग्रहालय का प्राचीन रूप मान सकते हैं। महल में चित्रशाला प्राय: अन्त:पुर में होता था। व्यक्तिगत चित्रशाला का उदाहरण नवसाहसांक चरित में जलक्रीड़ा, पानगोष्ठी, रासलीला आदि के चित्रों के सजाने का वर्णन है। इसी प्रकार जनरूचि के अनुसार मन्दिर तथा बैठकों आदि के स्थान पर सुन्दरता हेतु चित्रों की योजना की जाती थी। भवभूति ने 'वीथी' का उल्लेख किया है। चित्रवीथी के के लिए उसने विमान पंक्ति का उल्लेख किया है। उत्खनन में सिक्कों का भण्डार मिला है। कभी-कभी घड़ों में कई पीढ़ी तक के सिक्के वंशानुक्रम में रखे मिले हैं। दूसरी शताब्दी ईसापूर्व के साँची, भरहुत तथा बाद के स्तूपों में उत्कीर्ण मूर्त्तियाँ, अभिलेख आदि हमारा ज्ञानवर्धन करते हैं। कुषाण राजाओं की नामलिखी मूर्त्तियाँ भी भावी पीढ़ी को जानकारी देने का प्रयास कहा जा सकता है। संग्रहालय स्थापित करने का आदिम प्रयास कहा जा सकता है। इस दिशा में ग्यारहवीं शताब्दी में निर्मित तंजोर का 'वृहीदीश्वर मंदिर' एक उत्तम प्रयास कहा जा सकता है। इसकी दीवारों पर मूर्तिकला का उभार, लेखयुक्त विवरण इसे संग्रहालय की सीमा में पहुँचा देते हैं।

1.2.4 मध्यकाल—पूर्व मध्यकाल में संग्रहालय की कल्पना का विकास हुआ। राजपूत राजाओं के महलों की दीवारों और घरों में स्मारकों की सजावट, वस्त्रों को सजाकर रखने आदि की प्रवृत्ति इसका प्रमाण है। यह स्वाभाविक है कि लोग अपने पूर्वजों की सामग्रियों को संकलित एवं सजाकर रखना चाहते हैं। दिल्ली के सुल्तानों तथा मुगल राजाओं के महलों, हरमों और दरबारों का जो रूप आज हमारे सामने है उनसे उनकी संग्रह की रूचि का परिचय मिलता है। उनकी यह रूचि बढ़ती गई। वे न केवल अपने पुरखों या अपने पूर्वज देश से लाई सामग्रियों को ही सजाकर रखते थे, बल्कि इस देश की आकर्षक और कौतूहलजन्य वस्तुओं को भी सँजोकर रखते थे। इस प्रवृत्ति का प्रमाण है— सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोकस्तम्भ को दिल्ली मँगवाना।

1.2.3.0 आधुनिक काल—अठारहवीं शताब्दी में भारत में यूरोपवासियों का पदार्पण हुआ। सर्वप्रथम व्यापार के उद्देश्य से फिर बाद में उनकी सत्ता भारत में स्थापित हुई। भारत की माटी में बिखरी मूर्तियों, स्मारकों तथा राजमहलों में संगृहीत उनके पुरखों की विचित्रता भरी दैनिक जीवन की सामग्रियों, विभिन्न प्रकार के अस्त्र-शस्त्र आदि के प्रति ये विदेशी व्यापारी आकर्षित हुए। ये ऐसी वस्तुओं को खरीदकर अथवा बटोरकर एकत्रित करने लगे। 1857 ई॰ में सिपाही विद्रोह के पश्चात् अंग्रेजों का स्थिति भारत में मजबूत हो गई। उनके ईस्ट इंडिया कम्पनी का भारत में प्रभुत्व स्थापित हुआ। अब उनके लिए भारत के विषय में सम्पूर्ण जानकारी रखना आवश्यक हो गया। इस उद्देश्य से भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय जीव-जन्तु सर्वेक्षण, भारत का भूगर्भ सर्वेक्षण आदि जैसी संस्थाएँ धीरे-धीरे स्थापित हुईं। इसके साथ ही यहाँ की संस्कृति, विज्ञान के ज्ञान, नृशास्त्र आदि की समुचित ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ी। अत: वे अब इन विषयों पर सामग्री एकत्रित करने

लगे। इन्हीं सब उद्देश्य से 1784 में विलियम जोन्स (Willaim Jones) की अध्यक्षता में एशियाटिक सोशायटी की स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भारत से प्राचीन पुस्तकों तथा हस्तलिखित ग्रन्थ लंदन भेजे थे और जो अबतब अंग्रेज कर्मचारियों के घरों की शोभा बढ़ा रहे थे, उनको एक स्थान पर संगृहीत करने के लिए ओरिएण्टल रिपोजिटरी (Oriental Repository) नामक संचयगार बनाया गया। अत: पश्चिम देशों में भारतीय सामग्रियों के लिए बनने वाले संग्रहालय की दिशा में यह प्रथम प्रयास था।

उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोप तथा एशियाई देशों में आम जनता के लिए संग्रहालयों की स्थापना हुई। वैसे इनका स्वरूप एवं जनरूचि अभी इतनी विकसित नहीं थी कि इनका विशेष उपयोग शिक्षा के अंग के रूप में अथवा शोध की दिशा में मान्य हो। लगभग डेढ़ सौ वर्ष पूर्व सर्वप्रथम शिक्षण के उद्देश्य से विक्टोरिया तथा अलवर्ट म्यूजियम' (Vactorian and Albert Museum) की स्थापना हुई। द्वितीय विश्वयुद्ध तक संग्रहालयों का स्वरूप वर्तमान से भिन्न था। उसमें मुख्यत: तीन कार्यों को महत्त्व दिया था– सम्पतियों को संगृहीत करना (Collection), परिरक्षण (Preservation) तथा शोध के लिए उनका उपयोग करना। विचित्र एवं कलात्मक वस्तुओं के प्रति बढ़ती रूचि के कारण पर्यटक बाहर के देशों से इस प्रकार की वस्तुएँ लाकर संगृहीत करने लगे। इन्हें लोग सजाकर रखते थे। परन्तु वस्तुओं का प्रदर्शन उचित रूप से नहीं किया जाता था। अत: दर्शक वीथी में भ्रमण करते समय उस विद्या का आभास होने लगे। यह तभी हो सकता है जब प्रदर्शों (Exhibits) को रूचिकर एवं कलात्मक ढंग से सजाकर रखा जाय ताकि दर्शक उनकी ओर आकृष्ट हो सके।

आधुनिक काल में संग्रहालयों के स्वरूप में एक नया मोड़ आया। कुछ देशों में जैसे संयुक्त राज्य, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि प्राकृतिक इतिहास के अलग संग्रहालय स्थापित हुए। पर इसके साथ प्रागैतिहासिक, स्थानीय वंशपरम्परा, विदेशी उद्योग आदि को भी जोड़ा गया। आज विविध प्रकार के संग्रहालयों की स्थापना अलग-अलग उद्देश्य से होनी प्रारंभ हो गई–जैसे बोस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स, शिकागो म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, रायल ओरियन्टल म्यूजियम, टोरन्टो, मेट्रोपोलिटन म्यूजियम, न्यूयार्क आदि। दन संग्रहालयों में विश्व के विभिन्न देशों से प्राप्त एक विद्या के संग्रहको रखा गयां है परन्तु दूसरी ओर ऐसे भी संग्रहालयों की स्थापना हुई जिनका स्वरूप देशज अथवा क्षेत्रीय था। ऐसे संग्रहालय पेरू, मेक्सिकों तथा पुरातन एशियाई देशों में बनाये गये। इनमें राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय आधार पर संगृहीत वस्तुओं को रखा जाता था। वैसे कुछ ऐसे भी संग्रहालय विकसित हुए जिनमें एक साथ अनेक ज्ञान वर्गों की समाग्रियों (मूर्तियाँ, चित्र, वस्त्रोद्योग, पात्रकला, शस्त्रस्त्र आदि) को अलग-अलग वीथियों में, कमरो, बरामदों, बड़े हॉलों, कमरे में बने रैकों पर सजाए जाते थे। इन्हें हम 'समन्वित संग्रहालय' (Composite Museum) कह सकते हैं।

एशियाई देशों में भारत का विशेष स्थान है। पिछले पचास वर्षों में यहाँ संग्रहालयों का विकास तेजी से हुआ। लंदन के म्यूजियम एशोसिएशन (Museum Association) को 10,000 डालर देकर 1935 ई॰ में कार्नेजी कायोरेशम (Carnegre corporation) ने भारत के संग्रहालयों का सर्वेक्षण कराया। यह सर्वेक्षण Marksham Hargreates के अध्यक्षता में गढी गई समिति के द्वारा हुआ। 1936 ई॰ में इस समिति ने अपने प्रति वेदन में बताया कि भारत में उस समय 105 संग्रहालय थे जिसमें कुछ स्कूल तथा कॉलेजों में

स्थातिप थे जो स्वतंत्र रूप से संग्रहालय की कोटि में नही आते। अत: केन्द्र तथा राज्य सरकारों और व्यक्तिगत सहयोग से चलाई जानेवाली शुद्ध संग्रहालयों की संख्या केवल 80 थी। भारत की जनसंख्या के अनुपात में यहाँ संग्रहालयों की संख्या बहुत कम थी। 1950 ई० के बाद इसमें एक अप्रत्याशित बदलाव आया। इनका विस्तार आरम्भ हुआ। अभी तक इनमें केवल राष्ट्रीय स्तर की वस्तुएँ होती थीं वहीं अब विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्श संगृहित किए गए। उनके प्रदर्शन की दिशा में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक, का भी प्रयोग किया जाने लगा। अब समन्वित संग्रहालय के साथ-साथ कला संग्रहालय, ऐतिहासिक संग्रहालय, नृशास्त्रीय संग्राहलय, प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, उद्योग एवं तकनीकी विज्ञान से सम्बन्धित संग्रहालय स्वास्थ्य संग्रहालय, बाल संग्रहालय, शिक्षण संस्थाओं के संग्रहालय .आदि हैं। इन संग्रहालयों की स्थापना में सरकारी, व्यक्तिगत, नगरपालिकाओं, समाजसेवी संस्थाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं का भी हाथ है जिके द्वारा ये स्थापित तथा संचालित किये जाते हैं।

भारत में 1909 ई० तक प्रिंस आफ वेल्स म्यूजियम मुम्बई (Prince of Wales Museum, Mumbai) और गवर्नमेन्ट म्यूजियम, चेन्नई (Government Museum, Chennai) अत्यन्त विकसित संग्रहालय थे। परन्तु संग्रहालयों का विकास क्रमश: उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तथा बीसवीं शताबदी के प्रारम्भिक तीन चार दशों में बड़ी तेजी से हुआ। ऐसे संग्रहालयों में हम महाराजा जयपुर का संग्रहालय (जयपुर), कोलकाता का अशुतोष संग्रहालय, वाराणसी का भारतीय कलाभवन, अहमदाबाद का कैलको संग्रहालय, नई दिल्ली का क्राफ्ट संग्रहालय, हैदराबाद का सालारजंग संग्रहालय आदि को रख सकते है। इनके अतिरिक्त राज्य सरकारों ने अपने स्रोतों एवं उपलब्धियों के आधार पर संग्रहालयों की स्थापना की। 1994 ई० में राबहादुर के०एन० दीक्षित की अध्यक्षता में संग्रहालय कर्मचारियों ने अखिल भारतीय संग्रहालय परिषद् (Museum Association of India) का गठन किया। इसके बाद राष्ट्रीय संग्रहालय का स्थापना हुई। इस संस्था के अध्यक्ष के रूप में वासुदेवशरण अग्रवाल ने 1954 ई० में इस पर को सुशोभित किया। राष्ट्रीय संग्रहालय की माँग दुहराई गई। इसके फलस्वरूप नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय (National Museum) स्थातिप हुआ। जो देश के अन्य संग्रहालयों के लिए आदर्श एवं पथ-प्रदर्शक है। यहाँ सम्पूर्ण देश की कलाकृतियों, सम्भ्यताओं और विकास के विविध सोपानों की सामग्रियाँ यथार्थ में या दूसरे संग्रहालयों की नकल कर एकत्रित हैं। साथ ही अनेक वीथियों के भीतर भारतीय ज्ञान की विविध शाखाओं के साथ विश्व स्तर पर हमारी सांस्कृति विरासत तथा उसके हमारे सह-सम्बन्ध का सूत्र भी दीखता है।

1.2.6 आधुनिक भारत में संग्रहालय विकास के पाँच सोपान—आधुनिक भारत में संग्रहालय विकास को पाँच उपकालों में इस प्रकार बाँटा जा सकता है :

(i) ईस्ट इंडिया कम्पनी काल (1757–1858 ई०)

(ii) विक्टोरिया काल (1858–1901 ई०)

(iii) कर्जन और मार्शल काल (1901–1928 ई०)

(iv) स्वाधीनता पूर्व काल (1928–1947 ई०)

(v) स्वाधीनता के बाद काल (1747 ई० से अबतक)

1.2.6.1 ईस्ट इंडिया कम्पनी काल (1757–1858 ई०)—भारत में संग्रहालय स्थापित करने का प्रारंभ 1784 ई० में 'एशियाएटिक सोशायटी ऑफ बंगाल' की स्थापना के साथ हो चुका था। इसकी स्थापना

दो उद्देश्य से की गई थी। पहला उद्देश्य था भारत के विषय में सब कुछ जानना तथा दूसरा था शासन के व्यावहारिक पक्ष को जानना। इस समय बारेन तथा दूसरा था शासन के व्यावहारिक पक्ष को जानना। इस समय वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था जो स्वयं भी भारत के विषय में जानने को इच्छुक था। हेस्टिंग्स ने एकत्रित पूरी सामग्रियों के पंजीकरण, संरक्षण, प्रदर्शन, प्रकाशन आदि की व्यवस्था विक्टोरियाँ मेमोरियल हॉल में किया। उसे इस कार्य में सर विलियम जोन्स का सहयोग प्राप्त हुआ। परन्तु कार्नवालिस (1786-92 ई०) के समय इसका विकास वाधित हुआ। राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की माँग को बार-बार ठुकराया गया। 1866 में सरकार ने इंडियन म्यूजियम एक्ट पासकर एशिएटिक सोशायटी के म्यूजियम का नाम 'इंडियन म्यूजियम' रखा। इसका स्वरूप बहु उद्देशीय था। 1840 ई० में 'म्यूजियम ऑफ इकोनोमिक जियोलाजी' की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य था आर्थिक संसाधनों का अध्ययन तथा रानीगंज (पश्चिमी बंगाल) की कोयला खानों को बढ़ावा देना। इस काल में संग्रहालय को महत्त्वहीन समझकर कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। इस समय तक मात्र पाँच संग्रहालय स्थापित हुए।

1.2.6.2 विक्टोरिया काल (1858–1901 ई०)— इस समय प्रान्त की राजधानियों में सामान्य अथवा बहु उद्देशीय संग्रहालयों की स्थापना हुई। 1867 ई० में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई जिसके अलेक्जेंडर कनिंघम प्रथम डायरेक्टर जेनरल बने। कनिंघम के नेतृत्व में किए गए पुरातात्त्विक खोज में प्राप्त पुरावशेषों को समीपस्थ संग्रहालयों अथवा इण्डियन म्यूजियम कलकत्ता भेजा गया। 1858-78 ई० के आधे दर्जन संग्रहालयों की स्थापना हुई। चेन्नई (मद्रास) में विक्टोरिया टेकनिकल इंस्टीट्यूट (हस्तकला का संग्रहालय) की स्थापना हुई।

1.2.6.3 कर्जन और सर जॉन मार्शल काल (1901–1928 ई०)—गवर्नर जेनरल लॉर्ड कर्जन ने भारत में सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में प्रयास किया। 1902 ई० में सर जॉन मार्शल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जेनरल नियुक्त हुए। उन्होंने कनिंघम की तरह न केवल संग्रहालयों में प्रदर्शो को बढ़ाने पर जोर दिया, बल्कि एक तारतम्य में पुरातात्त्विक स्थानीय संग्रहालयों (Archaeological site Museum) की स्थापना कराया। इस प्रकार पहला संग्रहालय 1910 ई० में स्थापित किया गया।

1.2.6.4 स्वतंत्रता पूर्व काल (1928–1947 ई०)—स्थानीय संग्रहालयों की दुर्दशा देखकर इसे बन्द करने का सुझाव भी सरकार के समक्ष आया, परन्तु इसे अस्वीकार कर दिया गया। ये संग्रहालय ऐसे-ऐसे स्थानों पर थे जहाँ पहुँचना कठिन था। परन्तु धीरे-धीरे आने-जाने की सुविधा बढ़ी। उपयुक्त भवनों का निर्माण हुआ। इन स्थानीय संग्रहालयों की उचित व्यवस्था मॉर्टिमर हवीलर (Momtimer Wheeler) के आर्कियोलॉजी के डायरेक्टर जेनरल के पद पर बैठने के बाद संभव हो सकी। मार्शल के समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में 1929 ई० में 'सेन्ट्रल एशियन एण्टीक्वीटील म्यूजियम' (Central Asian Antiquities Museum) की स्थापना हुई, जो आज भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय का अंग है। 1936 ई० तक भारत में संग्रहालयों की संख्या 105 हो गई। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जब ह्वीलर पुनः अपने पुराने पद पर नियुक्त

राची एवं कलकत्ता में स्थापित हुए। डा० ग्रेस मोर्ले के 1960 ई० में राष्ट्रीय संग्रहालय के नई दिल्ली के डायरेक्टर बनने के बाद पुरातत्त्व संग्रहालयों का विकास हुआ। डा० मोर्ले 1966 ई० को 'यूनेस्को' के इण्डियन, कौंसिल ऑफ म्यूजियम के 'रीजनल एजेन्सी कॉर साउथ एशिया' का कार्यभार सौंपा गया। इस समय भारतीय तथा दक्षिण एशियाई संग्रहालयों के विकास में इसका विशेष योगदान रहा। 1987 ई० में 'सेन्ट्रल एडवायजरी बोर्ड फॉर म्यूजियम को पुनः गठन से संग्रहालयों की समस्याओं के निराकरण के लिए मंच मिला। 'इन्टरनेशलन कौंसिल ऑफ म्यूजियमस' ने भी प्रशिक्षण व्यवस्था, प्रदर्श विधि आदि को विकसित करने में सहयोग दिया। भारत सरकार ने 'म्यूजियम ग्रांट्स कमिटी' की स्थापना पंजीयन, प्रस्तुतिकरण परीक्षण पुस्तकों का क्रय, मोनोग्राफ तथा कैटलॉग आदि के प्रकाशसन तथा संग्रहालय भवन में परिवर्तन आदि के लिए सहायता राशि देने के लिए की। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने भी संस्थागत संग्रहालय को सरल रीति से सहयोग देना प्रारम्भ किया। इन सभी प्रयासों से भारत में संग्रहालयों का निस्तर विकास हुआ। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संग्रहालयों की स्थापना का उद्देश्य है पुरावशेषों की सुरक्षा तथा वर्तमान पीढ़ी को उसकी जानकारी देना। इस हेतु भारत सरकार ने इनकी सुरक्षा के लिए कई कानून बनायें।

1.3 सारांश

संग्रहालय के लिए अँग्रेजी शब्द Musem का प्रयोग होता है जिसकी उत्पत्ति यूनानी शब्द Museion से हुई हैं। परन्तु Museion संग्रहालय नहीं, बल्कि यूनानी देवी Muses को समर्पित मन्दिर था जहाँ मंदिर की तरह पूजा नहीं की जाती थी बल्कि यह ज्ञान का केन्द्र था। वस्तुतः सही अर्थ में मानव जीवन से सम्बन्धित प्राचीन वस्तुओं का संग्रह तथा परिक्षण तथा अध्ययन संग्रहालय का प्रयोजन होता है। सही अर्थ में सर्व प्रथम सिकन्दर ने पश्चिमी एशिया के विजय के दौरान ऐसी सामग्रियों का संग्रह किया और उनहें अपने गुरू अरस्तू के लिए भेजा। इसी संग्रहीत स्थान पर मिस्र में एलेक्जेड्रिया नामक नगर बसाया गया जिस को टालमी सोटर (Ptolemy Soter) ने ज्ञान के केन्द्र में विकसित किया। संग्रहालय के प्रारम्भिक प्रयासों में मेसोपोटामिया में 3000 वर्ष पूर्व निर्मित निगुरात जिसमें धार्मिक सामग्रियाँ संग्रहीत की जाती थी गणाना की जा सकती है। प्राचीन रोम एवं यूनान के शासक भी विचित्र वस्तुएँ संगृहीत करते थे। मध्यकालीन यूरोप में व्यक्तिगत संग्रहालयों की संख्याकम थी। राजा-महाराजा तथा धुमक्कड़रें द्वार विचित्र एवं आकर्षक वस्तुओं का संग्रह किया जाता था। इन्हीं संग्रह से बाद में यूरोप में संग्रहालय खुले। पुनर्जागरण काल में सम्पत्ति के लिए ऐसी सामग्रियों का संग्रह न करके अब ज्ञान एवं आनन्द के लिए संग्रह किया जाने लगा। सोहलवीं तथा सतरहवीं शताब्दी में पहले पहल जनता का संग्रहालय स्थापित हुआ जो राजवाड़ों द्वारा चलाया जाता था। बढ़ती सामाजिक स्थिति के प्रभाव में आकर व्यक्तिगत संग्रह के स्थानों को भी संग्रहालय की संज्ञा दी गई। 1682 ई० में विश्व का पहा जन संग्रहालय अशमोलीन (Ashmolean) संग्रहालय, आक्सफोर्ड में स्थातिप हुआ। 1753 ई० में ब्रिटश म्यूजियम की स्थापना की गई जो 1759 में जनता के लिए खुला संग्रहालय का सर्वाधिक विकास विक्टोरिया के काल में हुआ।

भारत में संग्रहालय का इतिहास अत्यन्त धूमिल है। प्राचीन साहित्य से राजमहलों की सजावट में व्यहृत सामग्रियों का उल्लेख मितला है। वैसे संग्रह की प्रवृत्ति मानव स्वभाव है प्राचीन साहित्य में चित्रशालाओं का उल्लेख मिलता है। सिक्कों का संग्रह तथा मूर्तियों का निर्माण और उसे संजोकर रखने

की प्रवृत्ति उल्लेखनीय है। प्रागैतिहासिक गुफाओं में संगृहीत वस्तुएँ मानव के संग्रह करने की प्रवृत्ति का उदाहरण है। इस सिलिसिले में तंतोर में ग्यारहवीं शताब्दी में निर्मित 'वृहदेश्वर मंदिर' के प्रशिक्षणापथ में निर्मित लेखयुक्त मूर्तियाँ इस संदर्भ में उल्लेखनीय हैं। मध्यकाल में राजपूत राजाओं और मुस्लिम शासकों के महल भी सजावट के लिए तथा यागदार के तौर पर कौतूहल जन्य वस्तुओं को सजाकर रखा जाता था। जब अठारहवीं शताब्दी में यूरोपवासियों को भारत में पदार्पण हुआ तो संग्रहालय के क्षेत्र में भी पग्रति हुई। 1857 ई॰ के बाद जब भारत में अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हुई और ईस्ट इंडिया कम्पनी का प्रभुत्व स्थापित हुआ तो भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्पराओं, धार्मिक सम्प्रदायों, भू-प्रकृति, जीव-जन्तुओं, आर्थिक स्थिति तथा अन्य जानकारियों के प्रति अंग्रेजों का आकर्षण बढ़ा। अतः इनके सर्वेक्षण के लिए संस्थाएँ स्थापित हुई। उन्नसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में लंदन में भारत से लाई ग्रई पुरातन सामग्रियों के लिए 'ओरिएन्टल रिपोजिटरी' की स्थपना हुई। 1819 में कलकत्ता में एशिएटिक सोशायटी ने 'ओरिएन्टल मयूजियम ऑफ एशिएटिक सोशायटी' की स्थापना की जिसका नाम 1866 में 'इण्डियन म्यूजियम' पड़ा। आधुनिक भारत में संग्रहालय के विकास के इतिहास को पाँच कालों में बाँटा गया— 1757 ई॰ से 1858 ई॰, 1858 ई॰ से 1901 ई॰, 1901 ई॰ से 1928 ई॰, 1928 ई॰ से 1947 ई॰ और 1948 ई॰ से आजतक। विक्टोरिया काल (1858-1901) में प्राचीन राजधानियों में सामन्य अथवा बहु उद्देशीय संग्रहालयों की स्थापना की गई। 1861 ई॰ आर्केयोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन इस दिशा में एक ठोस कदम था। 1858-78 में आधे दर्जन संग्रहालयों की स्थापना हुई। 1901ई॰ से 1928ई॰ के बीच पुरातात्त्विक संग्रहालयों की स्थापना हुई। 1929 ई॰ में सेन्ट्रल एशियन एन्टीक्वीटीज म्यूजियम नई दिल्ली में स्थापित हुआ। 1936 में अखण्ड भारत में 105 संग्रहालय थे। स्वतंत्र भारत में संग्रहालय को संविधान में राज्य के विषयों में सम्मिलित किया गया। राष्ट्रपति भवन में 1949 ई॰ में अपने नये भवन में स्थानान्तरित हुआ जिसे 1960 ई॰ में जनता के लिए खोल दिया गया। 1944 ई॰ में म्यूजियम एशोसिएशन का गठन हुआ और 1956 ई॰ में म्यूजियम डिविजन की स्थापना हुई। पश्चात् राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में परिरक्षण प्रयोगशाला की स्थापना हुई और 1976 ई॰ में लखनऊ में भारत सरकर ने 'नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर द कन्जेर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रोपर्टीज' को स्थापित किया। संग्रहालय कार्यकर्ताओं के उचित ज्ञान एवं प्रशिक्षण के लिए अनेक विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम प्रारम्भ हुआ।

भारत में विशिष्ट विषयों से सम्बन्धित अनेक संग्रहालय समय-समय पर स्थापित किए गए। आज भारत में 500 से अधिक संग्रहालय है। संग्रहालय के विकास में यूनेस्को, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार का सांस्कृतिक विभाग आदि का सहयोग उल्लेखनीय है।

1.4 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. 'म्यूजियम' (Museum) शब्द की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए।
2. किस यूनानी शासक ने सिकन्दर द्वारा भेजी गई सामग्रियों से किस संग्रह-स्थल को शिक्षा के केन्द्र के रूप में विकसित किया?
3. विश्व का पहला जन-संग्रहालय का नाम क्या था और वह कब और कहाँ स्थापित हुआ?
4. ब्रिटिश म्यूजियम की स्थापना कब और कैसे हुई?
5. एशिएटिक सोशायटी की स्थापना की और किसकी अध्यक्षता में हुई?
6. भारत में संग्रहालय विकास के विभिन्न सोपानों का उल्लेख करें।

1.5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. मध्यकालीन यूरोप में संग्रहालय की दिशा में हुए कार्य का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें।
2. सोलहवीं सत्तरहवी शताब्दी में संग्रहालय स्थापना की दिशा में हुए कार्य का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें।
3. संग्रहालय स्थापना की प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में क्या स्थिति थी ? उस पर प्रकाश डालें।
4. आधुनिक काल में भारत में संग्रहालय स्थापना की दिशा में ईस्ट इंडिया कम्पनी के प्रशासन काल में क्या प्रगति हुई इस पर प्रकाश डालें।
5. 1901-1928 ई॰ की अवधि में संग्रहालय स्थापना की दिशा में हुए प्रगति पर प्रकाश डालें।
6. संग्रहालय स्थापना की दिशा में 1947 ई॰ के बाद हुई प्रगति का संक्षिप्त रूप से वर्णन करें।

1.6 संदर्भ ग्रंथ

1. संग्रहालय की ओर – डॉ॰ शिवस्वरूप सहाय
2. म्यूजियम स्टडीज – बी॰एस॰ अग्रवाल
3. इन्ट्रोडक्शन टू म्यूजियम वर्क – जी॰ई॰ वरका
4. म्यूजियम एण्ड कल्चरल हेरिटेज – नीलरतन बनर्जी
5. म्यूजियम टुडे – ग्रेस मोर्ले
6. संग्रहालय विज्ञान – गिरिश चन्द्र शुक्ल एवं मिलेश कुमार पाण्डेय

❑❑❑

संग्रहालय विधियाँ (Museum Methods)

2.0 उद्देश्य

इस पाठ का उद्देश्य है संग्रहालय विधियों पर प्रकाश डालना। इन विधियों में अनेक पर विस्तृत रूप से कई पाठों में विचार किया गया है। अत: यहाँ उन विधियों पर संक्षेप में चर्चा करेंगे।

2.1 भूमिका

संग्रहालय एक संग्रह स्थल है। संग्रहालय वस्तुत: उन वस्तुओं का संग्रह स्थल जो मनुष्य के लिए उपयोगी रही है और जो मानव सभ्याता के विकास पर प्रकाश डालती है और वर्तमान पीढ़ी को अपने अतीत को जानने में सहायक होती है। विभिन्न विद्वानों ने संग्रहालय को विभिन्न ढंग से परिभाषित किया है। कोई इसे अनुपलब्ध सामग्रियों का संग्रह स्थल कहता है तो कोई इसे 'अध्ययन केन्द्र' अथवा पुस्ताकलय कहता है। अर्थात् मनुष्य यहाँ आकर अपने पूर्वजों के जीवन के विभिन्न पहलुओं से अवगत होता है कला, विज्ञान तथा अन्य क्षेत्रों में किस प्रकार प्रगति हुई इसकी जानकारी भी संग्रहालय में संगृहीत वस्तुओं से मिलती है। अत: संग्रहालय वस्तुओं का केवल संग्रह स्थल नहीं है, बल्कि संग्रह के अतिरिक्त शिक्षा एवं मनोरंजन भी संग्रहालय से जुड़े हैं। संग्रहालय विधियाँ संग्रहालय के इन उद्देश्यों की पूर्ति से ही सम्बन्धित है।

2.2 मूल पाठ

संग्रहालय प्रारम्भ में तीन क्रियाओं तक ही सीमित थे- संग्रह, संरक्षण तथा व्याख्या। परन्तु अब संग्रहालय की क्रियाओं में शिक्षा–शोध तथा जनता को इसके द्वारा ज्ञान की सूचना देना भी जुड़ गया है। डॉ॰ वासुदेवशरण अग्रवाल ने संग्रहालय के कार्य को परिभाषित करते हुए कहा है-अच्छे संग्रहालय को सर्वप्रामि उत्तम व्यवस्थित कला वस्तुओं को संगृहीत कर प्रदर्शित, पंजीकृत एवं निबन्धित करने की पद्धति अपनानी चाहिए। संग्रहालय के कार्यों को मुख्यत: दो भागों में बाँटा जा सकता है- प्राथमिक कार्य तथा द्वितीयक कार्य। प्राथमिक कार्य में संग्रहालय की प्रकृति, प्रकार तथा उद्देश्य के अनुसार वस्तुओं का संग्रहण, पंजीकरण, शोध-अनुसंधान, सरंक्षण प्रदर्शन, प्रकाशन तथा शैक्षणिक कार्यक्रम आदि की गणना की जा सकती है। संग्रहालय किस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है उस पर उसमें संगृहीत एवं प्रदर्शित वस्तुओं प्रकृति निर्भर है। सामान्यतया संग्रहालय में हमारी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति से सम्बन्धित वस्तुएँ संगृहीत होती हैं। इन वस्तुओं में मिट्टी, पत्थर एवं धातु की मूर्तियाँ, मनके, मृण्भाण्ड सिक्के आदि होते हैं। परन्तु ऐसे भी भी संग्रहालय होते हैं जो किसी विशेष उद्देश्य से स्थपित किए जाते हैं। इसमें किसी विशेष वस्तु के क्रमिक विकास से सम्बन्धित वस्तुएँ रखी जाती हैं। इस प्रकार के संग्रहालयों के अन्तर्गत पुलिस संग्रहालय, रेल ट्रान्टपोर्ट संग्रहालय, आर्ट्स एवं क्राफ्ट संग्रहालय, विज्ञान एवं तकनीकी संग्रहालय आदि का उल्लेख किया जा सकता है। कतिपय संग्रहालय किसी महान व्यक्ति के जीवन से सम्बन्धित

होता है। इसमें इस व्यक्ति से सम्बन्धित वस्तुएँ संगृहीत की जाती हैं जिससे वह व्यक्ति हमेशा हमारे बीच जीवित रहे और हमें प्रेरणा देता रहे। इसी तरह जनजातियों से सम्बन्धित संग्रहालय उनकी जीवन-शैली पर प्रकाश डालते है। संग्रहालय के उद्देश्यों की पूर्ति अर्थात् संग्रहालय के प्राथमिक कार्य का निष्पादन संग्रहालय प्रबंधन द्वारा होता है।

2.2.1 संग्रहालय की प्रकृति के अनुरूप संग्रहालय भवन की स्थापना करना चाहिए ताकि जिस उद्देश्य से वह संग्रहालय स्थापित किया गया हो उसकी पूर्त्ति हो सके। जितनी वस्तुओं का उसमें प्रदर्शन करने की योजना हो उसी के अनुसार उस संग्रहालय का आकार होना चाहिए ताकि वस्तुओं का प्रदर्शन प्रभावकारी हो। संग्रहालय भवन में आवश्यकता के अनुसार कमरे होने चाहिए। अगर कम जगह में प्रदर्शों को रखा जायगा जो वह भण्डारगृह प्रतीत होगा। संग्रहालय के महत्वपूर्ण कार्यों में संग्रहण का विशेष महत्त्व है। वस्तुतः संग्रह की आवश्यकता न होती तो संग्रहालय नहीं होता। संग्रहालय में चुनी हुई वस्तुओं का संग्रह और उसमें मे भी अधिक महत्त्वपूर्ण वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है। अर्थात् संग्रह निरूद्देश्य नहीं होता। संग्रहालय में वस्तुओं के प्रदर्शन द्वारा शैक्षणिक उद्देश्य की पूर्त्ति की जाती है। संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तुएँ एक प्रकार से शैक्षणिक उपकरण हैं। अतः संग्रहालय का प्रथम महत्त्व पूर्ण कार्य संग्रहण है। यह संग्रहण विभिन्न तरीकों से किया जाता है।[1]

2.2.2 संग्रहण अथवा संग्रह कर संग्रहालय के भण्डारगृह को भरना ही संग्रहालय की कार्य नहीं होता है, बल्कि उनका पंजीकरण अत्यन्त आवश्यक होता है। संग्रहालय में जो सामग्रियाँ संगृहीत की जाती हैं वे विभिन्न स्थानों, विभिन्न कालों तथा विभिन्न स्त्रोतों से आती हैं तथा उनमें विविधता भी होती है। अगर इनका समुचित ढंग से पंजीकरण न हो तो ये भण्डारगृह में अपनी पहचान खो देंगी। अगर समुचित ढंग से संगृहीत सामग्रियों का पंजीकरण नहीं किया जाय तो संग्रहालय के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती । संग्रहालय अपना शैक्षणिक महत्त्व खो देगा। अगर संग्रहालय से कोई संगृहीत सामग्री चोरी हो जाय और उनका विधिवत पंजीकरण अथवा प्रलेखन न हुआ हो तो उन्हें ढूँढ़ला अत्यन्त कठिन होगा और अगर मिल भी जाय तो उनपर संग्रहालय द्वारा स्वामित्व प्रमाणित करना भी कठिन होगा। इसलिए संग्रहालय विधियों में संग्रहण के बाद प्रलेखन अथवा पंजीकरण का महत्व हैं। प्रलेखन में उस वस्तु से सम्बन्धित सारी जानकारियाँ लिपिबद्ध की जाती हैं। इस सम्बन्ध में अपनाये गए विभिन्न तरीकों की विस्तारपूर्वक चर्चा एक अलग पाठ में गई है।[2] प्रलेखन की विस्तृत जानकारी के लिए इसे पढ़ें।

2.2.3 संग्रहालय का कार्य केवल संग्रहण एवं प्रलेखन तक ही सीमित नहीं, बल्कि संगृहीत वस्तुओं के संरक्षण एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संग्रहालय की है। अगर संगृहीत वस्तुओं का संरक्षण न किया जाय तो उनकी सुरक्षा पर ध्यान न दिया जाय तो इनकी चोरी कर कलात्मक वस्तुएँ ऊँचे दामों पर देश और विदेश में बेची जाती हैं। अतः संग्रहालय की चोरों से सुरक्षित रखने के लिए समुचित व्यवस्था की जाती है। संग्रहालय भवन की बनावट से लेकर सुरखा गार्ड की व्यवस्था इस दृष्टिकोण से की जाती है। दूसरी ओर संग्रहालय संगृहीत एवं प्रदर्शित वस्तुओं के परिरक्षण पर विशेष ध्यान देता है। उन्हें नष्ट होने से बचाना संग्रहालय का उत्तरदायित्व है। परिरक्षण से सम्बन्धित विभिन्न तरीकों की विस्तारपूर्वक चर्चा संग्रहालय सामग्री की परिक्षण' शीर्षक पाठ में अलग से की गई है।[3]

(1) संग्रहण की विधियों की विस्तार से चर्चा एक-अलग पाठ में की गई है। देखें 'सामग्रियों की प्राप्ति के तरीके' शीर्षक पाठ।

(2) देखें प्रलेखन शीर्ष पाठ।

(3) देखें 'सामग्रियों की प्राप्ति के तरीके' शीर्षक पाठ।

2.2.4 संग्रहालय का उपयोग सार्थक नहीं हो सकता जबतक संगृहीत वस्तुओं का समुचित ढंग से प्रदर्शन हो। अत: प्रदर्शन के बिना संग्रहालय को मात्र प्राचीन एंव दुर्लभ वस्तुओं का भण्डारगृह कहा जायगा। जितने प्रभावशाली ढंग से वस्तुओं को प्रदर्शित किया जायगा संग्रहालय अपने उद्देश्य की पूर्ति में उतना ही सफल होगा। प्रदर्शन के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। यह ध्यान में रखना चहिए कि प्रदर्शन विभिन्न वर्ग एवं विभिन्न आयु के लिए होते हैं, अत: प्रदर्शित सामग्री को समझने में किसी को कष्ट न हो। प्रदर्शन इस ढंग से कहना चाहिए कि वह दर्शक का ध्यान आकृष्ट करने में सक्षम हो। प्रदर्शों की व्याख्या सरल एवं स्पष्ट होना चाहिए। संग्रहालय प्रदर्शन एक कठिन कार्य है जिसके द्वारा चुनी हुई वस्तुओं को बौद्धिक एवं भावनात्मक उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी क्रम के अनुसार प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शन विधि प्रदर्शों एवं प्रदर्शन के उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिएं। ताकि प्रदर्शन के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। प्रदर्शन से जुड़े विभिन्न कार्यों अथवा विधियों की विस्तारपूर्वक चर्चा 'सामग्रियों का प्रदर्शन शीर्षक पाठ में अलग से की गई है।[1]

2.2.5 संग्रहालय अपने समुदाय की सांस्कृतिक सेवा के केन्द्र होते हैं, परन्तु उसका स्वरूप अन्य शिक्षण संस्थानों से भिन्न होता है। संग्रहालय प्रदर्शों से कुछ सीखना अथवा जानकारी प्राप्त करना शिक्षा है और यह शिक्षा मनोरंजन के साथ दी जाती है। संग्रहालय अपने कला एवं विज्ञान के प्रदर्शों का प्रदर्शन कर दर्शकों में उस प्रदर्श के प्रति कुछ सोचने, समझने एवं जानने की उत्सुकता जगाते है। संग्रहालय के शैक्षणिक महत्त्व के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि वह हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत की जानकारी देता है तथा संस्कृति एवं सभ्यता के क्रमिक विकास से भी हमें अवगत कराता है। संग्रहालय यह इस प्रकार सम्पन्न करता है कि यह हमें इन सभी बातों की जानकारी देने के साथ-साथ हमारा मनोरंजन भी करता है। हम जानते हैं कि संग्रहालय मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास से सम्बन्धित पुरावशेषों का वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास की विभिन्न कड़ियों तथा महापुरुषों के जीवन वृत से सम्बन्धित वस्तुओं का संग्रहण करता है तथा उसको संरक्षित करता है। ये वस्तुएँ शोध-कार्य में सहायक होती हैं। संग्रहालय स्वयं इन दुर्लभ वस्तुओं से सम्बन्धित जानकारी एवं मनोरंजन सम्बन्धी भूमिका की विस्तृत चर्चा संग्रहालय सांस्कृतिक एवं मनोरंजन क्रियाएँ शीर्षक पाठ में अलग से की गई है।[1]

2.3 सारांश

संग्रहालय विधियों वस्तुत संग्रहालय के कार्य ही हैं जिनके जरिए संग्रहालय अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। वस्तुत संग्रहालय विभिन्न विधियों द्वारा दुर्लभ तथा मनुष्य के लिए अनमोल वस्तुओं का संग्रह करता है, उनका प्रदर्शन प्रभावशाली ढंग से कर लोगों की इनकी जानकारी देता है। इन वस्तुओं का परिरक्षण कर संग्रहालय सुरक्षित रखता है। संगृहीत वस्तुओं के प्रति लोगों को विभिन्न ढ़ंग से आकर्षित करता है और उनका मनोरंजन करते हुए उन्हें इन वस्तुओं की जानकारी देता है।

2.4 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. संग्रहालय के किन्ही दो महत्त्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख कीजिए।
2. अगर संग्रहालय में संगृहीत वस्तुओं का प्रदर्शन न किया जाय तो क्या उसे हम सही माने में संग्रहालय कहेंगे ?
3. संगृहीत वस्तुओं के संरक्षण एवं सुरक्षा के बीच क्या अन्तर है? इसे स्पष्ट करें।

(1) देखें- 'सामग्रियों का प्रदर्शन' शीर्षक पाठ।

2.5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. संग्रहालय किसे कहते है ? उसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए
2. संग्रहालय के कार्यों का संक्षिप्त रूप से उल्लेख कीजिए।

2.6 संदर्भ ग्रंथ

1. संग्रहालय की ओर – डॉ॰ शिवस्वरूप सहाय
2. म्यूजियम स्टडीज – बी॰एस॰ अग्रवाल
3. इन्ट्रोडक्शन टू म्यूजियम वर्क – जी॰ई॰ वरका
4. म्यूजियम एण्ड कल्चरल हेरिटेज – नीलरतन बनर्जी
5. म्यूजियम टुडे – ग्रेस मोर्ले
6. संग्रहालय विज्ञान – गिरिश चन्द्र शुक्ल एवं मिलेश कुमार पाण्डेय

❑❑❑

संग्रहालय भवन
(Museum Building)

3.0 उद्देश्य

संग्रहालय भवन निर्माण-योजना पर प्रकाश डालना इस पाठ का उद्देश्य है। अर्थात् संग्रहालय भवन की निर्माण-योजना इस प्रकार हो ताकि वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सके।

3.1 भूमिका

संग्रहालय भवन की निर्माण-योजना की चर्चा करने के पूर्व इस बात पर विचार करना आवँश्यक है कि हम वस्तुत: संग्रहालय किसे कहते हैं। संग्रहालय उस भवन को कहते हैं जिसमें प्राचीन वस्तुएँ संगृहीत की जाती हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संग्रहालय के कई प्रकार हैं, जिनमें विभिन्न उद्देशें की पूर्ति के लिए संगृहीत सामग्रियों को प्रदर्शित किया जाता है। संग्रहालय भवन के निर्माण के सिलसिले में हम व्यक्तिगत संग्रहालय पर विचार नहीं करेंगे, चूँकि ऐसे संग्रहालय में संग्रहकर्ता अपनी इच्छानुसार संग्रह करता है और उसे प्रदर्शित करता है। हम ऐसे संग्रहालय की चर्चा करेंगे जो जनता को समर्पित होता है और हमारे अतीत का आईना होता है। ऐसे संग्रहालयों की उपयोगिता सामान्य व्यक्ति के लिए होती है। इन संग्रहालयों में संगृहीत वस्तुएँ हमारे अतीत की धरोहर होती हैं। ये सामग्रियाँ अपने युगों की कहानी कहती हैं। इनके द्वारा विभिन्न युगों में हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का क्या स्वरूप था इसका परिचय हमें मिलता है। इन संग्रहालयों में संगृहीत सामग्रियों में मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन एवं अन्य सामग्रियों के अवशेष, सिक्के, पांडुलिपियाँ तथा अन्य वस्तुएँ होती हैं। अत: इन सामग्रियों को ध्यान में रखकर ही संग्रहालय भवन की निर्माण-योजना बनाई जाती है। इस सम्बन्ध में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि ये प्राचीन धरोहर किसी प्रकार नष्ट न होने पाये। इनके नष्ट होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे– जलवायु एवं वातावरण (वातावरण में उपस्थित प्रदूषण), प्रकाश, कीड़े-मकोड़े, फफूँदी आदि। अत: संग्रहालय भवन की योजना बनाते समय न केवल इन बातों पर ध्यान रखना पड़ता है, बल्कि प्रदर्शों को अधिक-से-अधिक प्रभावी ढ़ंग से रखा जा सके इस पर भी ध्यान दिया जाता है। प्रदर्शित वस्तुओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से संग्रहालय के आकार, दीवार की मोटाई, हवा आने-जाने की व्यवस्था, प्रकाश आने की व्यवस्था आदि मुख्य बाते हैं जिन पर विशेष ध्यान देना पड़ता है।

3.2 मुख्य पाठ

संग्रहालय भवन के निर्माण के पूर्व हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उस संग्रहालय का उद्देश्य क्या है तथा उसमें संगृहीत सामग्रियों को स्वरूप क्या है। संग्रहालय विभिन्न उद्देश्यों से स्थापित किए जाते हैं, जैसे, कला संग्रहालय, नृशास्त्रीय संग्रहालय, विज्ञान संग्रहालय, आदि। परन्तु बहु उद्देशीय संग्रहालय, जो राज्य के मुख्यालयों में स्थापित होते हैं, पूरे राज्य के व्यक्तित्व, कला, समाज, प्राकृतिक इतिहास, पर्यावरण, इतिहास, गौरवगाथाएँ, वनस्पतियाँ, जीव-जन्तु से सम्बन्धित वस्तुओं का संग्रह-स्थल होता है। इन संग्रहालयों में ये इस प्रकार प्रदर्शित की जाती हैं कि वे स्वयं अपनी कहानी कह सकें।

3.2.1 संग्रहालय भवन इतना बड़ा अवश्य होना चाहिए जिसमें सामग्रियों का समुचित प्रदर्शन हो सके। अर्थात् उसमें इतने कक्ष होने चाहिए जिसमें विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का प्रदर्शन किया जा सके। साथ ही भवन का बाहरी स्वरूप अवश्य ही आकर्षक हो ताकि वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। चूँकि संग्रहालय में हमारा अतीत सुरक्षित रखा जाता है, अत: संग्रहालय भवन की बनावट में प्राचीनता की झलक हो तो उत्तम है। इसके स्तम्भों, प्रवेश द्वार, तथा खिड़कियों की बनावट में प्राचीन वास्तुकला के तत्त्वों को समाविष्ट किया जा सकता है।

संग्रहालय भवन एक मंजिला अथवा आवश्यकतानुसार बहुमंजिला बनाया जा सकता है। इसमें प्रदर्शन के लिए कई कक्ष होना चाहिए तथा इन मुख्य कक्षों के दोनों ओर गलियारा होना चाहिए। इससे मुख्य कक्ष बाहरी वातावरण से कुछ हद तक सुरक्षित रहता है। दोनों ओर गलियारा होने से सूर्य का प्रकाश तो अन्दर आता है, परन्तु सूर्य की गर्मी संग्रहालय के अन्दर कम-से-कम प्रवेश करती है। संग्रहालय भवन को ऊँची पीठिका पर बना होना चाहिए ताकि वर्षा ऋतु में अगर जल जमाव होता है तो संग्रहालय में संगृहीत तथा प्रदर्शित वस्तुएँ सुरक्षित रहें। भवन की बाहरी दीवार भी इस प्रकार बनाई जाय कि किसी भी प्रकार से जल का संग्रहालय में प्रवेश न हो सके। भवन निर्माण की सामग्रियों पर निर्माणकर्त्ताओं को विशेष ध्यान देना चाहिए। दीवारों की जुड़ाई इस प्रकार हो कि अन्दर रखी सामग्रियों का सीलन से बचाव हो। इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि संग्रहालय भवन नदी अथवा तालाब के निकट नहीं बनाया जाय। संग्रहालय में अमूल्य सामग्री संगृहीत रहती है, अत: इसकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अत: भवन के चारों ओर सुरक्षा प्राचीर होना चाहिए जो मजबूत हो तथा जिसके ऊपर कँटीला तार लगा हो तो वह और भी अच्छा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से संग्रहालय में प्रवेश के लिए एक ही द्वार होना चाहिए ताकि प्रवेश करनेवालों पर निगरानी रखी जा सके। प्रवेश द्वार के समीप काउंटर होना चाहिए। अगर प्रवेश के लिए टिकट लगता हो तो प्रवेश द्वार के समीप ही टिकट घर होना चाहिए। संग्रहालय में प्रवेश द्वार को एक बड़े कक्ष में खुलना चाहिए। जहाँ से विभिन्न कक्षों में जाने का मार्ग हो।

3.2.2 संग्रहालय में प्रदर्शित सामग्रियों को कीड़े-मकोड़ों द्वारा नष्ट होने से बचाना चाहिए। इसलिए भवन-निर्माण के पूर्व उस स्थान की मिट्टी का उपचार करना चाहिए। चूँकि कीड़े-मकोड़ों तथा दीमक से इन सामग्रियों के नष्ट होने का भय होता है। संग्रहालय स्थल की मिट्टी पर कीड़े-मकोड़े तथा दीमक को नष्ट करनेवाले रसायनों का छिड़काव करना चाहिए। दीमक से रक्षा के लिए अगर कंक्रीट की ठोस नींव डाली जाय तो भवन में दीमक नहीं लगेगी तथा अन्दर प्रदर्शित सामग्री सुरक्षित रहेगी।

3.2.3 यह उल्लेखनीय है कि बहु उद्देशीय संग्रहालयों में प्रदर्शित सामग्रियों की विविधता के कारण अनेक कक्षों की आवश्यकता होती है जिसके लिए एक मंजिल के बदले बहुमंजिला भवन बनाना होता है। परन्तु यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि सभी कक्ष एवं मंजिलें एक-दूसरे से सहसम्बद्ध हो ताकि दर्शक प्रवेश द्वार से प्रवेश कर सभी कक्षों में प्रदर्शित प्रदर्शों का अवलोकन कर सकें।

3.2.4 संग्रहालय भवन में प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। चूँकि कक्षों के दोनों ओर गलियारे बनाये जाते हैं, इसलिए समुचित प्रकाश के लिए रोशनदानों की व्यवस्था होनी चाहिए। इन रोशनदानों में शीशे तो अवश्य ही लगे होने चाहिए जो धूल के प्रवेश को रोक सके साथ-ही-साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनमें लोहे के जाली अथवा सींकचे लगाना आवश्यक है। प्रकाश के लिए कृत्रिम प्रकाश अथवा बिजली की उचित व्यवस्था होना चाहिए। बिजली के बल्ब ऐसे शीशे की आलमारी अथवा शो-केसों (Show-Cases) में भी लगे होने चाहिए जिनमें छोटे-छोटे प्रदर्श रखे गए हों जैसे-पांडुलिपियाँ, ताम्र-पत्र, लघु लेख, मिट्टी के ठीकरे, छोटी मूर्तियाँ, सिक्के मनके आदि।

3.2.5 संग्रहालयों की स्थापना दर्शकों के लिए की जाती है ताकि लोग इसमें संगृहीत अथवा प्रदर्शित सामग्रियों को देखकर लाभान्वित हो। इससे न केवल ज्ञान बढ़ता है, बल्कि मनोरंजन की होता हैं अत: संग्रहालय ऐसा स्थल होता है जहाँ ज्ञान एवं मनोरंजन दोनों ही दर्शकों की सुख-सुविधा पर ध्यान देना चाहिए। संग्रहालय का परिसर खुला, बड़ा हवादार होने के साथ ही संग्रहालय भवन के चारों ओर पर्याप्त भूमि होनी चाहिए। परिसर में गाड़ियों की पार्किंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए तथा दर्शकों को आराम करने के लिए परिसार में पेड़-पौधे, फूल-पत्ते, पेय जल की व्यवस्था के साथ-साथ पिकनिक (Picnic) स्थल जैसी सुख-सुविधा की व्यवस्था हो तो और भी अच्छा है। संग्रहालय में लोग सपरिवार जाते हैं। अत: परिसर में बच्चों के मनोरंजन तथा खेलने की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रेवश द्वार के समीप सामान रखने की सुविधा होनी चाहिए। पेयजल तथा मूल-मूत्र त्याग करने के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इतना ही नहीं दर्शकों को प्रदर्शों की समुचित जानकारी देने के लिए गाइड की भी व्यवस्था होनी चाहिए। प्रवेश द्वारा की फोटो आदि ब्रिकी की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

3.2.6 संग्रहालय भवन में प्रदर्शों के प्रदर्शन कक्षों के अतिरिक्त अनेक कक्षें की आवश्यकता होती है। प्रशासनिक तथा संग्रहालयाध्यक्ष के लिए कक्ष होना चाहिए। इनके अतिरिक्त रेकार्ड रूम (Record Room), सुरक्षित कक्ष (Strong Room), भण्डारगृह (Store Room), अध्ययनकक्ष, पुस्तकालय, शोध सामग्रियों का अध्ययनकक्ष रासायनिक प्रयोगशाला, फोटोग्राफी के लिए अंधेरा कक्ष (Dark Room), विभिन्न प्रकार के तकनीकी विशेषज्ञों के कार्य करने हेतु कक्ष, सभागृह आदि भी होना चाहिए। अत: संग्रहालय भवन की रूपरेखा तैयार करते समय वास्तुविद् को इन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए।

3.3 सारांश

संग्रहालय भवन की निर्माण-योजना बनाने के पूर्व वास्तुविद् को अनेक बिन्दुओं पर ध्यान देना पड़ता है। उसे इस बात को हमेश ध्यान रखना पड़ता हे कि संग्रहालय जनता के लिए बनाया जाता है ताकि ने उसमें प्रदर्शित प्राचीन सभ्यता एवं सँस्कृति का ज्ञान प्राप्त कर सके। संग्रहालय भवन एक बड़े भूखण्ड पर बनाना चाहिए। जिसके चारों ओर रक्षा प्राचीर हो। संग्रहालय भवन को तालाब तथा नदी के निकट नहीं होना चाहिए। भवन को ऊँची पीठिका पर बनाना चाहिए ताकि वर्षा में जल-जमाव से वह सुरक्षित रह सके। संग्रहालय परिसर में दर्शकों की सुख-सुविधा के लिए गाड़ी खड़ी करने की जगह तथा आराम करने के लिए पेड़-पौधा का साया, मल-मूत्र त्याग करने की समुचित व्यवस्था तथा बच्चों के खेलने की सुविधा होनी चाहिए। संग्रहालय लोगों के लिए ज्ञान एवं मनोरंजन प्राप्त करने की जगह होता है। बहुउद्देशीय संग्रहालय में विभिन्न प्रकार के प्रदर्श होते हैं जिनके लिए अलग-अलग कक्ष होते हैं जिनके लिए अलग-अलग कख होते हैं। कक्षों के दोनों ओर गलियारा होना चाहिए जो सूर्य की गर्मी से प्रदर्शों को सुरक्षित रखता है। कक्षों में रोशनदान होना चाहिए ताकि प्रकाश का अभाव न हो। साथ-ही-साथ कृत्रिम प्रकाश अर्थात् बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। भवन आवश्यकतानुसार एक मंजिल अथवा बहुमंजिल हो सकता हैं। प्रदर्शों के लिए बने कक्षों के अतिरिक्त संग्रहालय अध्यक्ष के लिए कक्ष तथा प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कक्ष होने चाहिए। कई अन्य कक्षों की आवश्यकता भण्डारण, फोटोग्राफी, रासायनिक प्रयोगशाला सुरक्षा गृह, पुस्तकालय, शोध सामग्री के अध्ययन के लिए तथा सभागृह के रूप में कक्ष होना चाहिए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक ही प्रवेश द्वार होना चाहिए और उसके निकट टिकटघर, सूचना कक्ष तथा फोटोग्राफ आदि विक्रय की व्यवस्था होनी चाहिए।

3.4 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. संग्रहालय भवन की पीठिका कैसी होनी चाहिए ? इसे स्पष्ट करें।
2. संग्रहालय भवन तालाब अथवा नदी के निकट होनी चाहिए अथवा नहीं? अगर नहीं तो क्यों?
3. संग्रहालय भवन के प्रदर्शन कक्षों के दोनों ओर गलियारों की व्यवस्था क्यों होनी चाहिए ?
4. कक्षों में रोशनदान बनाते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ?

3.5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. संग्रहालय भवन में प्रदर्शों के प्रदर्शन के लिए कक्षों की व्यवस्था पर प्रकाश डालिए।
2. संग्रहालय परिसर कैसा हो? इस पर प्रकाश डालिए।
3. संग्रहालय भवन निर्माण के पूर्व किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? इसे स्पष्ट करें।
4. प्रदर्शों के प्रदर्शन कक्षों के अतिरिक्त अन्य कक्षों के औचित्य पर प्रकाश डालिए।

3.6 संदर्भ ग्रंथ

1. संग्रहालय की ओर – डॉ॰ शिवस्वरूप सहाय
2. म्यूजियम स्टडीज – बी॰एस॰ अग्रवाल
3. इन्ट्रोडक्शन टू म्यूजियम वर्क – जी॰ई॰ वरका
4. म्यूजियम एण्ड कल्चरल हेरिटेज – नीलरतन बनर्जी
5. म्यूजियम टुडे – ग्रेस मोर्ले
6. संग्रहालय विज्ञान – गिरिश चन्द्र शुक्ल एवं विमलेश कुमार पाण्डेय

❑❑❑

संग्रहालय के प्रकार (Types of Museum)

4.0 उद्देश्य

संग्रहालय के प्रकार तथा उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालना इस पाठ का उद्देश्य है।

4.1 भूमिका

संग्रहालय विभिन्न प्रयोजन हेतु स्थापित किए जाने हैं। संग्रहालयों के इतिहास के संदर्भ में इस विषय पर प्रकाश डाला गया है। अर्थात् संग्रहालय कई प्रकार के होते हैं। आज संग्रहालयों को हम मुख्यत: छ: कोटियों में विभाजित कर सकते हैं। ये छह कोटियाँ इस प्रकार हैं :

1. कला संग्रहालय, **2.** पुरातत्त्व संग्रहालय, **3.** वंशानुक्रम संग्रहालय, **4.** प्राकृतिक इतिहास का संग्रहालय, **5.** विज्ञान संग्रहालय, **6.** प्रौद्योगिकी संग्रहालय।

इसके अतिरिक्त ऐसे भी संग्रहालय बने हैं, जिन्हें हम 'बहुउद्देशीय संग्रहालय' कह सकते हैं। अर्थात् एक ही भवन में विभिन्न कोटियों की सामग्रियाँ संगृहीत होती हैं। अर्थात् ये अलग-अलग वर्गों (सेक्शन्स) में बँटे होते हैं। एक ही कोटि के संग्रहालय में भी विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को अलग-अलग कक्षों में रखा जाता है। इस संदर्भ में अगर कला संग्रहालय की चर्चा करे तो इस में भी कांस्य मृणमूर्तियों, मृद्‌मांड हाथी दाँत की सामग्री आदि को अलग-अलग प्रदर्शित किया जाता हैं जिस प्रकार कला संग्रहालय को विभिन्न उपवर्गों में विभाजित कर विभिन्न कक्षाओं में प्रदर्शित किया जाता है, उसी प्रकार विज्ञान के संग्रहालय विभिन्न उपवर्गों में विभाजित होते हैं। विभिन्न प्रकार के सामग्रियों को एक ही जगह संगृहीत कर प्रदर्शित करना अधिक उपयोगी होता है। उनहें विषयों के अनुसार अलग-अलग प्रदर्शित किया जाय। इसी प्रकार संग्रहालय की स्थापना तथा इन्हें प्रदर्शित किया जाय। इसी प्रकार संग्रहालय की स्थापना तथा इन्हें संचालित करने वाली संस्थाओं के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थात् केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित, व्यक्तिगत तौर पर संचालित संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि द्वारा संचालित संग्रहालय।

4.2 संग्रहालय के प्रकार

संग्रहालयों का वर्गीकरण इनमें उपलब्ध सामग्रियों और उनकी प्रकृति के अनुसार निम्नलिखित ढंग से किया जा सकता है।

1. कला संग्रहालय
2. ऐतिहासिक संग्रहालय
3. पुरातात्त्विक संग्रहालय
4. स्थानीय उत्खनन-सम्बन्धी संग्रहालय
5. नृशास्त्रीय संग्रहालय

6. प्राकृतिक इतिहास सम्बन्धी संग्रहालय
7. औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय
8. वाणिज्य संग्रहालय
9. स्वास्थ्य संबंधी संग्रहालय
10. बाल संग्रहालय
11. बहुआयामी संग्रहालय

एक निश्चित उद्देश्य से स्थापित संग्रहालय के आधार पर वर्गीकरण :

1. राष्ट्रीय संग्रहालय
2. प्रान्तीय संग्रहालय
3. नगर संग्रहालय
4. स्थानीय संग्रहालय
5. स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय संग्रहालय
6. व्यक्तिगत संग्रहालय

व्यवस्था-सम्बन्धी आधार पर संग्रहालय का वर्गीकरण :

1. राजकीय संग्रहालय
2. नगर पालिकाओं तथा महापालिकाओं द्वारा संचालित संग्रहालय
3. विभिन्न संस्थाओं द्वारा स्थापित संग्रहालय
4. दाताओं के समूह **(Board of Trustee)** द्वारा संचालित संग्रहालय
5. स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय संग्रहालय
6. व्यक्तिगत संग्रहालय

4.2.1 कुछ प्रमुख प्रकार के संग्रहालयों का विवरण :

राष्ट्रीय संग्रहालय (National Museum)—यह एक बहुउद्देशीय संग्रहालय होता है। उसकी संगठन, व्यवस्था, संग्रह प्रदर्शन ज्ञान-प्रसार आदि कार्यों जो पूरे राष्ट्र पर अपनी छाप छोड़े, को आदर्श मानकार अन्य संग्रहालय में उसका अनुकरण करते हैं। इस संग्रहालय में सम्पूर्ण देश के प्रमुख संग्रह को रखा जाता है। ये सामग्री मौलिक होते हैं अथवा उनकी प्रतिमूर्ति ऐसे संग्रहालयों में अन्य देशों के मौलिक संग्रह अथवा उनकी प्रतिमूर्तियों को भी प्रदर्शित किया जाता हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि तुलनात्मक ज्ञान प्रदान किया जा सके। ऐसे संग्रहालय देश की राजधानी तथा अन्य व्यावसायिक केन्द्रों में स्थापित किये जाते हैं। प्रदर्शों के माध्यम से संग्रहालय देखने वालों को राष्ट्र के स्वरूप एवं व्यक्तित्व का परिचय दिया जाता है। इस कार्य के हेतु अत्यन्त प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है ताकि प्रदर्शों को विषयानुसार विभक्त कर सजाया जा सके तथा नवीनतम विधियों का प्रयोग किया जा सके। ये राष्ट्रीय संग्रहालय अन्य संग्रहालय कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण संस्था का कार्य भी करते थे। ऐसे संग्रहालय के लिए विशाल भवन की आवश्यकता होती है, परन्तु भवन की विशालता की कठिनाइयों के कारण

विषय-वर्गों (Subject Sections) के अनुसार एक या दो भवनों में उसी नगर में व्यवस्थित किया जाता है। अर्थात् मूल भवन की शाखा के रूप में ये कार्य करते थे। ऐसे संग्रहालय के लिए काफी द्रव्य की व्यवस्था आवश्यक है ताकि देश के अनुपलब्ध सामग्रियों को संग्रहालय के लिए खरीदा जाय। अन्यथा ऐसी वस्तुओं को विदेशी खरीददार इन्हें खरीदकर देश से बाहर ले जाते हैं जो राष्ट्र की क्षति हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना का यह एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है।

4.2.2 राज्य संग्रहालय (State Museum)—प्रत्येक राज्य के केन्द्रस्थ स्थान में संग्रहालय स्थापित किए गए हैं, जहाँ राज्य-स्तर की सभी सामग्रियों को समन्वित रूप से रखा जाता है ताकि वह यहाँ आनेवाले को राज्य के स्वरूप तथा वहाँ के विविध आयामों के विषय में पूरा ज्ञान देख सके। राज्य भर की चयनित सामग्रियाँ इसमें रखी जाती हैं। साथ ही अन्य राज्यों के संग्रहालय में रखी गई महत्त्वपूर्ण सामग्रियों की प्रतिमूर्ति भी रखी जाती हैं। यह संग्रहालय राज्य के अन्य संग्रहालयों के लिए प्रकाश स्तम्भ का कार्य करता है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ संग्रहालय, बिहार का पटना संग्रहालय तथा मध्यप्रदेश का भोपाल संग्रहालय ऐसे संग्रहालय हैं।

4.2.3 क्षेत्रीय संग्रहालय (Regional Museum)—क्षेत्रीय संग्रहालय में उस क्षेत्र में उपलब्ध सामग्रियों का संग्रह होता है जिसका संचालन राज्य सरकार करती है। कभी-कभी व्यक्तिगत संस्थाओं को भी इनका संचालन सौंपा जाता है। इलाहाबाद का कौशाम्बी संग्रहालय, नालन्दा संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय, सारनाथ संग्रहालय आदि क्षेत्रीय संग्रहालय के अन्तर्गत आते हैं। उदाहरण के रूप में हम सारनाथ संग्रहालय को लें तो इस संग्रहालय से हमें सारनाथ के विषय में जितनी जानकारी मिलती है उतनी राष्ट्रीय संग्रहालय अथवा राज्य संग्रहालय से नहीं मिलती।

4.2.4 शैक्षणिक संग्रहालय (Educational Museum)—शैक्षणिक संग्रहालय हम उन संग्रहालयों को कह सकते हैं जो स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालय में पाठ्य विषयों के मूर्त्त ज्ञान देने तथा रूचिकर बनाने के लिए स्थापित किए जाते हैं। ऐसे संग्रहालयों के उदाहरण हैं, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का भारत कला भवन, पटना, गोरखपुर, हरिद्वार आदि विश्वविद्यालयों के प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विभाग में स्थापित संग्रहालय बेगूसराय में स्थित गणेशदत्त कॉलेज में स्थापित संग्रहालय को इसी वर्ग में रखा जा सकता है। इनकी स्थापना अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के प्रयास तथा इनकी देखरेख अध्यापक एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा होती है।

4.2.5 स्थानीय संग्रहालय (Local Museum)—ऐसे संग्रहालय स्थानीय निकायों द्वारा चलाये जाते हैं। इलाहाबाद संग्रहालय, ग्वालियर म्यूनिसिपल संग्रहालय, मुम्बई का विक्टोरिया एवं अलबर्ट संग्रहालय इनके उदाहरण हैं। नगरपालिकायें तथा स्वायत्तशासी संगठन क्षेत्रीयता तथा जनरूचि से प्रेरित होकर संग्रहालय स्थापित करते हैं। अर्थात् यह स्थानीय जनता के आर्थिक सहयोग से स्थापित होता है। कभी-कभी सामुदायिक योजनाओं, प्रखण्ड विकास योजनाओं (Block extention programmes), विकास संस्था (Development Department), सूचना विभाग के अन्तर्गत भी इनकी स्थापना की जाती है। इनमें स्थानीय उपलब्धियाँ, पुरातन उपलब्ध सामग्रियाँ, अन्य विषय से सम्बन्धित जानकारियाँ रखी जाती हैं। इनका उद्देश्य है स्थानीय को विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ एक स्थान पर उपलब्ध कराना।

4.2.6 व्यक्तिगत संग्रहालय (Personel Museum)—इस प्रकार के संग्रहालय व्यक्ति विशेष की निजी सम्पत्ति होती है। ऐसे व्यक्ति जो समर्थ है तथा जिन्हें कलात्मक एवं दुर्लभ वस्तुओं को संगृहीत करने

में रुचि होती है। वे मूर्तियाँ, मुद्राएँ, अभिलेख अन्य प्रकार की सामग्रियाँ संगृहीत कर उसे संग्रहालय का रूप देते हैं। पटना सिटी के जालान हाउस में संगृहीत सामग्रियाँ इसके उदाहरण हैं। हैदराबाद के सालारगंज संग्रहालय प्रारम्भ में व्यक्तिगत संग्रहालय ही था। सरकार ने अब निजी अधिकार में जो वस्तुएँ हैं, उन्हें निबन्धित कराने की व्यवस्था की है। इस हेतु सरकार ने Registration officers की नियुक्ति की है।

4.2.8 सरक्षकों द्वारा संचालित संग्रहालय (Museum Adminstered by Board of Trustees)—ऐसे संग्रहालय का एक ज्वलंत उदाहरण मुम्बई का 'प्रिस आफ वेल्स म्यूजियम' है। केन्द्र द्वारा संचालित कोलकाता के 'इण्डिन म्यूजियम के लिए भी संरक्षकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है जो मात्र सलाहाकार समिति का कार्य करती है। समिति में सरकारी तंत्र तथा उच्चस्तीय संस्थानों के अधिकारी होते हैं। कभी-कभी यह समिति कर्मचारियों के कार्य में बाधक सिद्ध होते हैं जिससे विकास कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। कतिपय संग्रहालयों में व्यवस्थापिका समिति बनायी गई है, जिसका कार्य मात्र सलाह देना होता है। वैसे संग्रहालय का सारा दायित्व व्यवस्थापक (Curator) पर होता है। इस प्रकार की व्यवस्था में विकास की दिशा अधिक प्रशस्त होती है अगर ऐसी समितियों के सदस्य संग्रहालय के सम्बन्ध में जानकारी रखते हों।

4.2.9 खुला प्राकृतिक संग्रहालय (Open Natural Museum)—वनस्पतिशास्त्र उद्यान (Botanical Garden) तथा जन्तुशाला (Zoological Garden) इसके उदाहरण हैं। वनस्पतिशास्त्र उद्यान में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का संग्रह होता हैं। दुर्लभ पेड़-पौधा को लाकर ऐसे उद्यानों में सुरक्षित किया जाता है तथा जिज्ञासु व्यक्तियों को इससे जानकारी मिलती है। इसी प्रकार विभिन्न जीव-जन्तुओं को जन्तुशालाओं में रखा जाता है। मछली की विभिन्न प्रजातियों को जलागार (Acquarium) बनाकर रखा जाता है। मुम्बई का 'तारपोरवाला ऐक्वेरियम' इसका उदाहरण है। इतना ही नहीं विभिन्न प्रजातियों का संग्रह चेन्नई में है।

4.2.10 बाल संग्रहालय (Children Museum)—ऐसे संग्रहालय बालकों के मनोरंजन एवं ज्ञान के लिए बनाये जाते हैं जिसमें प्रदर्शों को मूलरूप से न रखकर उनके प्रतिरूप रखे जाते हैं। प्राय: चित्रों, पोस्टरों, आकृतियों के माध्यम से प्रदर्शों को इन संग्रहालय में रखना श्रेयस्कर होता है। नई दिल्ली का 'डॉल म्यूजियम' (Doll Museum) बालकों का भरपूर मनोरंजन करता है तथा उन्हें देश-विदेश के खिलौनों से अवगत कराता है वैसे यह संग्रहालय वयस्कों को भी उतना ही आकर्षित करता है।

4.2.11 लोक संग्रहालय (Folk Museum)—लोक संग्रहालय लोगों को लोक-जीवन का ज्ञान देने के लिए स्थापित किया जाता है सिमें जन-जीवन, जन-जातियों के जीवन से सम्बन्धित जानकारियों को संगृहीत कर उन्हें प्रदर्शित किया जाता है। इसमें लोक परम्पराओं को सुरक्षित रखा जाता है, जैसे उनके परिधान, आभूषण उनके नृत्य-संगीत से सम्बन्धित वस्तुओं को सुरक्षित रखा जाता है। इतना ही नहीं तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाया जाता है।

4.2.12 सचल संग्रहालय (Mobile Museum)—सचल संग्रहालय की कल्पना अभी तक मूर्त रूप नहीं ले सकी हैं। डॉ॰ अनन्तसदाशिव अल्तेकर ने 1952 ई॰ में भारत सरकार तथा राज्य सरकार को ऐसे संग्रहालय की स्थापना की सलाह दी थी। उनका उद्देश्य था संग्रहालय का छोटा स्वरूप गाड़ियों में रखकर गाँव-गाँव घुमाया जाय ताकि ऐसे लोग जो गाँव छोड़कर बाहर नहीं जाते हों, उन्हें भी संग्रहालय में उपलब्ध जानकारियों से वंचित न रहना पड़े।

4.3 सारांश

संग्रहालयों को छह मुख्य श्रेणियों में बाँटा जा सकता है: कला संग्रहालय, पुरातत्त्व संग्रहालय, वंशानुक्रम संग्रहालय, प्राकृतिक इतिहास का संग्रहालय, विज्ञान संग्रहालय, तथा प्रौद्योगिकी संग्रहालय। इनमें प्रथम तीन को एक वर्ग में और अन्य तीन को दूसरे वर्ग में रखा जा सकता है। चूँकि प्रथम तीन एक दूसरे से सम्बन्धित हैं और अन्य तीन भी एक-दूसरे सम्बद्ध हैं। संग्रहालय के अनेक प्रकारों का भी उल्लेख विद्वानों ने किया है। संग्रहालय को उसमें उपलब्ध सामग्रियों और उनकी प्रकृति के अनुसार उन्हें कला ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, स्थानीय उत्खनन-सम्बन्धी, नृशास्त्रीय, प्राकृतिक, इहितास, औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी तथा वाणिज्य स्वस्थ्य सम्बन्धी, बालकों के लिए तथा बहुआयामी आदि वर्गों में बाँटा गया है। एक निश्चित उद्देश्य से स्थापित संग्रहालय राष्ट्रीय प्रान्तीय, नगर स्थानीय, शिक्षण संस्थान (स्कूल, कॉलेज, एवं विश्वविद्यालय) तथा व्यक्तिगत आदि में वर्गीकृत किया गया है। इसी प्रकार व्यवस्था के आधार पर संग्रहालय को राजकीय, नगरपालिकाओं तथा महापालिकाओं एवं विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं द्वारा संचालित तथा दाताओं द्वारा संचालित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। राष्ट्रीय संग्रहालय, शैक्षणिक संग्रहालय, स्थानीय संग्रहालय, उत्खन्न क्षेत्र संग्रहालय, व्यक्तिगत संग्रहालय, संरक्षको द्वारा संचालित संग्रहालय, खुला प्राकृतिक संग्रहालय, बाल-संग्रहालय, लोक संग्रहालय तथा सचल संग्रहालय आदि संग्रहालय के कुछ प्रमुख प्रकार हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय बहुउद्देशीय होता है जो राष्ट के अन्य संग्रहालयों के लिए पथ-प्रदर्शक का कार्य करता है। इसी प्रकार राज्य संग्रहालय राज्य के अन्य संग्रहालय का मार्गदशन करता है। राष्ट्रीय संग्रहालय की संगृहीत सामग्री जहाँ सम्पूर्ण राष्ट्र का प्रतिविधित्व करती है, वही राज्य संग्रहालय में प्रान्तों में उपलब्ध सामग्रियों की प्रधानता रहती है। क्षेत्रीय संग्रहालय क्षेत्रीय आधार पर सामग्रियाँ प्रदर्शित की जाती हैं। शैक्षणिक संस्थानों के संग्रहालय शिक्षा में योगदान देते हैं। उत्खनन क्षेत्र संग्रहालय में वे सामग्रियाँ संगृहीत रहती हैं जो उस स्थान विशेष के उत्खनन से प्राप्त हुई हैं। व्यक्तिगत संग्रहालय किसी व्यक्ति द्वारा अपनी अभिरूचि के अनुसार संगृहीत सामग्रियों का संग्रह स्थल होता है। सरकार ने ऐसे संग्रहालय में संगृहीत एवं प्रदर्शित सामग्रियों की पूरी जानकारी के लिए 'रेजिस्ट्रेशन आफिसर (Registration officers) बहाल किए हैं। संरक्षकों द्वारा संचालित संग्रहालय का उदहारण है, 'प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम' मुम्बई। कोलकाता के 'इण्डियन म्यूजिम' के लिए भी सरंक्षकों को नियुक्त किया जाता है, परन्तु ये मात्र सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। खुला प्राकृतिक संग्रहालय के अन्तर्गत वनस्पतिशास्त्र उद्यान तथा जन्तुशाला का उल्लेख किया जा सकता है जिनमें क्रमश: विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ तथा विभिन्न प्रजातियों के जीव-जन्तु सुरक्षित रखे जाते हैं। बाल संग्रहालय बच्चों के ज्ञान-बर्द्धन एवं मनोरंजन के लिए होता है। लोक संग्रहालय में लोगों की जीवन शैली जनजातियों के जन-जीवन से सम्बन्धित सामग्रियाँ रखी जाती हैं। सचल संग्रहालय की स्थापना की प्रस्ताव डॉ॰ अल्तेकर ने 1952 ई॰ में दिया था। जो मूर्त न ले सका। इसका उद्देश्य था संग्रहालय को गाँव-गाँव तक पहुँचाना।

4.4 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. संग्रहालयों में रखे प्रदर्श के आधार पर संग्रहालय को मुख्यरूप से कितनी कोटियों में बाँटा जा सकता है? उनके नामों का उल्लेख करें।

2. राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है तथा इसका संचालन सरकार के हाथ में है अथवा संरक्षकों के हाथों में?
3. इण्डियन म्यूजियम तथा सालारजंग म्यूजियम किन स्थानों में स्थित है ?
4. मुम्बई के 'प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम' को किस कोटि में रखा जा सकता है?

4.5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. राष्ट्रीय संग्रहालय पर प्रकाश डालें।
2. राज्य संग्रहालय पर प्रकाश डालें। पटना म्यूजियम राष्ट्रीय संग्रहालय है अथवा राज्य संग्रहालय ?
3. उत्खनन क्षेत्र संग्रहालय किसे कहते हैं ? संक्षेप में लिखें तथा स्थानीय संग्रहालय पर प्रकाश डालें।
4. खुला प्राकृतिक संग्रहालय पर प्रकाश डालें।

4.6 संदर्भ ग्रंथ

1. संग्रहालय की ओर – डॉ॰ शिवस्वरूप सहाय
2. म्यूजियम स्टडीज – बी॰एस॰ अग्रवाल
3. इन्ट्रोडक्शन टू म्यूजियम वर्क – जी॰ई॰ वरका
4. म्यूजियम एण्ड कल्चरल हेरिटेज – नीलरतन बनर्जी
5. म्यूजियम टुडे – ग्रेस मोर्ले
6. संग्रहालय विज्ञान – गिरिश चन्द्र शुक्ल एवं विमलेश कुमार पाण्डेय

❑❑❑

सामग्रियों की प्राप्ति के तरीके (Acquisition of Antiquities)

5.0 उद्देश्य

संग्रहालयों में जो सामग्रियाँ प्रदर्शित की जाती हैं, उनका संग्रह किस प्रकार किया जाता है, इस पर प्रकाश डालना इस पाठ का उद्देश्य है। यहाँ यह उल्लेखनीय है जो सामग्रियाँ संग्रहालय में संगृहीत की जाती हैं, वे किसी एक स्रोत से नहीं आती हैं, उन्हें विभिन्न तरीकों से संग्रहालय में संगृहीत किया जाता है।

5.1 भूमिका

संग्रहालय एक ऐसी संस्था है जिसमें पुरातात्त्विक तथा दुर्लभ सामग्रियों को संगृहीत करके उन्हें समुचित ढंग से प्रदर्शित किया जाता है ताकि आम जनता उन्हें देखकर लाभान्वित हों। इन सामग्रियों को किस प्रकार संग्रहालय के लिए उपलब्ध किया जाता था, यह जानने के पूर्व यह जानता आवश्यक है कि इन सामग्रियों का स्वरूप क्या है। मुख्यत: ये सामग्रियाँ हमारे अतीत से सम्बन्धित होती हैं। ये हमारी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति से हमें परिचित कराती हैं। संग्रहालय में संगृहीत सामग्रियों में मुख्यत: हमारे पूर्वजों द्वारा व्यवहृत सामग्रियों के अवशेष होते हैं। इनमें कलात्मक वस्तुएँ जैसे–पत्थर एवं मिट्टी की मूर्तियाँ, मिट्टी एवं धातु के बर्त्तन अथवा उनके टुकड़े, ताम्र पत्र, शिलालेख, पांडुलिपियाँ, सिक्के, मनके, अस्त्र–शस्त्र, चित्र आदि आते हैं। संग्रहालयों में सामग्रियों के उपलब्ध कराने के संदर्भ में व्यक्तिगत एवं सरकारी संग्रहालय में भेद करना आवश्यक है। सरकारी संग्रहालयों में राष्ट्रीय, प्रान्तीय एवं स्थानीय संग्रहालयों की अपनी–अपनी समस्यायें होती हैं। व्यक्तिगत संग्रहालय में अत्यन्त समृद्ध संग्रहालय नवाबों द्वारा स्थापित तथा संबर्धित हैदराबाद का सालारगंज संग्रहालय है जो अब राष्ट्रीय सम्पत्ति है। जहाँ तक व्यक्तिगत संग्रहालयों का प्रश्न है प्राचीन एवं दुर्लभ वस्तुओं में रूचि रखने वाले समृद्ध व्यक्ति अपनी रूचि के अनुसार ऐसी वस्तुओं का संग्रह करता है। मुख्यत: समृद्ध व्यक्ति अपने धन से दुर्लभ एवं प्राचीन वस्तुओं को क्रय कर संगृहीत करते हैं। परन्तु सरकारी संग्रहालयों में उत्खनन से प्राप्त सामग्रियाँ, दान से प्राप्त साम्पतियाँ तथा क्रय कर प्राप्त की गई सामग्रियाँ संगृहीत एवं प्रदर्शित की जाती हैं। वस्तुत सरकारी संग्रहालयों का उद्देश्य प्राचीन एवं दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह कर प्रदर्शित करने के साथ–साथ उनको सुरक्षित रखना भी है।

5.2.1 मुख्य पाठ—संग्रहालय प्रदर्शित की जाने वाली सामग्रियों का संग्रह अनेक तरीकों से करता है, जिसमें एक तरीका है वस्तुओं को क्रय कर संग्रहालय को उपलब्ध कराना। क्रय की जाने वाली वे सामग्रियाँ होती हैं जो सरलतापूर्वक उपलब्ध नहीं होतीं और जो किसी व्यक्ति की निजी सम्पत्ति होती हैं तथा जिन्हें बिना उसका मूल्य प्राप्त किए वह व्यक्ति देना नहीं चाहता। ऐसी वस्तुएँ जितनी दुर्लभ होती हैं उसका मूल्य उतना ही अधिक होता है। इन दुर्लभ वस्तुओं में मूर्ति, सिक्के, पांडुलिपि, अथवा व्यक्ति विशेष के पत्र आदि हो सकते हैं। किसी–किसी राजा द्वारा जारी किए गए सिक्कों में कतिपय प्रकार के सिक्के के बहुत कम नमूने उपलब्ध हुए हैं। ऐसे सिक्कों के लिए सिक्के का स्वायी मुँह माँगी कीमत माँगता

है। प्राचीन दुर्लभ मूर्तियाँ भी काफी कीमत पर बेची तथा खरीदी जाती है। यही कारण है मूर्तियों अथवा दुर्लभ वस्तुओं की चोरी होती है ओर विदेशों में तस्करों के माध्यम से बेची जाती हैं। विभिन्न देशों के धनी व्यक्ति ऐसी दुर्लभ वस्तुओं लिए मुँहमांगा मूल्य चुकाने को तैयार रहते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सरकारी संग्रहालयों के पास धन की कमी होती है और वह किसी भी प्राचीन एवं दुर्लभ सामग्री को बहुत अधिक धन लेकर प्राप्त नहीं कर सकते। संग्रहालयों के लिए सरकारी बजट सीमित होता हैं। इसका मुख्य कारण है संग्रहालयों का औचित्य। यह जनहित में चलायी जाने वाली संस्था है, धन कमाने वाला उद्योग नहीं। सरकारी डाकविभाग, चिकित्सालय आदि की तरह ही संग्रहालय जनता की सेवा के लिए है। संग्रहालयों की व्यवस्था कम-से-कम धन में की जाती है। फलस्वरूप उनके पास मूल्यवान सामग्रियों को खरीदने के लिए बहुत कम पैसे होते हैं। यहाँ यह उल्लेखीय है कि ऐसी सामग्रियों को खरीदते समय उसकी जाँच विशेषज्ञों द्वारा कराई जाय। चूँकि कभी-कभी मूल (Original) वस्तु की नकल (duplicate) जालसाजों द्वारा बेचने की चेष्टा की जाती है। विशेषकर सिक्कों की नकल बेचने की अधिक संभावना होती है। यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि अधिक मूल्य देकर दुर्लभ वस्तुओं की उनके स्वामियों से खरीदकर तस्कर विदेशों में बेचते हैं। यही कारण है खुले बाजार से ऐसी वस्तुओं का गायब होना। वैसे सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है कि दुर्लभ प्राचीन वस्तुएँ देश से बाहर न जाय तथा जनता की नजर में रहे। सरकार ने पुरा सामग्रियों के पंजीयन (Registration of Autiquities) का प्रावधान कानून बनाकर किया है। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति को पुरातन महत्त्व की सामग्रियाँ मिले तो विधानत: उसे उस सामग्री को सरकार को सौंप देना चाहिए।

5.2.2 संग्रहालयों के लिए केवल खरीदकर ही सामग्रियाँ संगृहीत नही की जाती, बल्कि खोजकर्त्ताओं द्वारा भी सामग्रियाँ एकत्र की जाती हैं। पुरानिधियों की खोज उत्साही खोजकर्त्ता करते रहते हैं। एक ओर तो पुरातत्व विभाग उत्खनन से प्राप्त पुरानिधियों को स्थानीय, प्रान्तीय अथवा राष्ट्रीय संग्रहालयों में उनकी सुरक्षा एवं प्रदर्शन के लिए भेज देते हैं। परन्तु इन स्थलों से उत्खनन के बाद भी बहुत सी पुरानिधियाँ बिखरी हुई मिल जाती हैं। इन पुरानिधियों में मुख्यत: सिक्के एवं मूर्तियाँ खोजकर्त्ताओं का आकर्षण होती हैं। ऐसी पुरानिधि निजी खोजकर्त्ताओं अथवा इसमें रूचि रखने वाले धनी व्यक्तियों के हाथों चली जाती है और न निजी संग्रहालय की शोभा बढ़ाती हैं अथवा उनके भण्डारगृहों में बन्द पड़ी रहती हैं। इसी लिए सरकान ने इन पुरा सामग्रियों के पंजीयन का कानून में प्रावधान किया है। सरकार द्वारा भी विशेषज्ञों का खोजी दल (Explorers) गठित कर पुरानिधियों को खोजकर निकटतम संग्रहालयों में सुरक्षित करना चाहिए। अन्यथा ऐसी सामग्रियाँ का तस्करों के हाथों लग जाने पर देश से बहार जाने की संभावना रहती है। परन्तु सम्पूर्ण देश में बिखरी पुरानिधों की खोजकरना एक अत्यन्त खर्चीला कार्य है। यह किसी संग्रहालय के लिए संभव नहीं है। वैसे सरकार का पुरातत्व विभाग इस दिशा में अपने सीमित साधनों के साथ कार्य कर रहा है। उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष विभिन्न सरकारी तथा शिक्षण संस्थाओं के संग्रहालयों की शोभा बढ़ाते हैं।

5.2.3 संग्रहालय द्वारा सामग्रियाँ प्राप्त करने का तीसरा साधन दान है। अर्थात् जिस प्रकार पुस्तकालयों को लोग पुस्तकें दान करते हैं, उसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति के पास दुर्लभ पुरानिधि है जिसको वह सुरक्षित नहीं रख सकता अथवा वह ऐसी वस्तु आकस्मिक तौर पर प्राप्त करता है तो वह राष्ट्रहित में उन्हें संग्रहालयों को दान कर देता है ताकि ये सुरक्षित रहें तथा लोग लाभान्वित हों। व्यक्तिगत तौर पर किए गए संगृहीत पुरानिधियों को सरकार उन्हें संग्रहालयों को दान करने का अनुरोध करती है।

कभी-कभी स्वयं कोई जब यह देखता है कि उसकी संगृहीत पुरानिधियों को सुरक्षित रखने का उपाय नहीं है अथवा जनहित का भावना से प्रेरित होता है तो वह इन्हें संग्रहालय को दान कर देता है। भारत कला भवन, काशी में रायकृष्ण दास जैसे अनेक लोगों द्वार प्रदत्त विविध सामग्रियाँ हैं। पूर्वजों द्वारा संगृहीत पुरानिधियों का भण्डार जब विशाल हो जाता है और जब वर्तमान पीढ़ी को उनमें रूचि नहीं रहती तो वे उसे भार समझने लगते हैं और उनहें अपने पूर्वजों के नाम पर संग्रहालयों को दान कर देते हैं। ऐसी सामग्रियाँ उनके पूर्वज के नाम पर प्रदर्शित की जाती हैं।

5.2.4 कभी-कभी विभिन्न संग्रहालयों द्वारा आपस में सामग्रियों का आदान-प्रदान होता है। जब एक ही प्रकार की सामग्रियाँ किसी संग्रहालय को प्राप्त होती हैं तो संग्रहालय व्यवस्थापक (Curator) का यह कर्त्तव्य होता है कि ऐसी सामग्री को दूसरे संग्रहालय में भेजकर वहाँ से उनके यहाँ की इस प्रकार सामग्री प्राप्त करें। इससे संग्रहालय के भण्डारगृह का बोझ भी घटेगा तथा उसकी उपयोगिता भी बढ़ेगी। अर्थात् प्रदर्शों की संख्या भी बढ़ेगी। इस विधि द्वारा न केवल स्वदेशी बल्कि विदेशी सामग्रियाँ भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त की जा सकती हैं। यह तरीका न केवल भारतीय संग्रहालय बल्कि विदेशी संग्रहालय भी अपनाते हैं। मद्रास संग्रहालय में इसी विधि द्वारा ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका आदि की दुर्लभ पुरातात्त्विक वस्तुएँ संगृहीत हैं।

5.2.5 एक संग्रहालय दूसरे संग्रहालय से कभी-कभी ऋण के रूप में सामग्री प्राप्त करता है। ऋण के रूप में प्राप्त सामग्री स्थायी होती है अथवा अस्थायी। स्थायी तौर पर दी गई सामग्री उसे कह सकते हैं जो किसी व्यक्ति द्वारा दी जाती है। वे यह समझते हैं कि संग्रहालय में वह सामग्री अधिक उपयोगी सिद्ध होगी। अस्थायी सामग्री एक निश्चित समय के लिए विशेष प्रदर्शन के आयोजन पर या सामूहिक समय के लिए विशेष प्रदर्शन के आयोजन पर या सामूहिक प्रदर्शन के अवसर पर या कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए मँगाई जाती है। ऐसी सामग्री उचित देखरेख में लायी तथा निश्चित सयम पर लौटा दी जाती है ऐसे प्रदर्शन देश के अन्दर तथा विदेशों में आयोजित किए जाते हैं। सामग्रियों को भेजने अथवा माँगने के पूर्व कैसी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है, इसकी विस्तारपूर्वक जानकारी के लिए डॉ॰ वासुदेवशरण अग्रवाल के लेख First National Exhibition on Art (Journal of Indian Museum Vol. V 1950, pp 18-27) तथा Inter Saina Art Exhibition, 1947 (Journal of Indian Mesueam, Vol. III, 1947,pp 91-98) देखें।

5.2.6 कतिपय सामग्रियों की कोई दूसरी प्रति (Duplicate) नहीं होती। ऐसी सामग्रियों की छायाप्रति (Photo Copy) तथा पलास्टर ऑफ पेरिस (Plaster of Paris) की प्रति (Cast type) तैयार कराई जाती है। इन विधियों द्वारा ऐसी सामग्रियों को स्थानापन्न किया जाता है। विशेषकर शिक्षण संस्थानों के संग्रहालयों में शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तथा बाल संग्रहालयों में इनकी आवश्यकता होती है। कभी-कभी देश अथवा विश्व स्तर की प्रदर्शनियों में सुरक्षा की दृष्टि से मूल सामग्री न भेजकर उनकी प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रति (Cast Type) भेजी जाती है।

5.2.7 संग्रहालय के लिए सामग्रियाँ संगृहीत करने के लिए संग्रहालय क्लब (Club) जैसी संस्था के गठन की सलाह विद्वानों ने दी है। इस संस्था के सदस्य विविध विद्याओं में रूचि रखने वाले हों और जो आस-पास के क्षेत्र में बिखरे पुरावशेषों का संग्रह कर संग्रहालय को उपलब्ध करायें। इस दिशा में नगरपालिका एवं ग्राम पंचायत भी प्रयत्न करे तो अति उत्तम है। अपने क्षेत्र के पुरावशेषों को एकत्र कराये और अपने स्थीय इतिहास को समृद्ध करे तथा चुनी हुई सामग्रियों को प्रान्तीय अथवा राष्ट्रीय संग्रहालयों को उपलब्ध कराये। इससे उस क्षेत्र के गौरव से देश विदेश परिचित होगा।

5.3 सारांश

संग्रहालय में प्रदर्शित सामग्रियाँ विभिन्न तरीकों से उपलब्ध करायी जाती हैं। एक तरीका संग्रहालयों द्वारा अपने उपलब्ध स्त्रोतों से सामग्रियों को खरीदता है। संग्रहालय सामग्रियों को धारक को मूल्य देकर प्राप्त करता है। संग्रहालयों के पास सीमित धन होता है। दूसरा तरीका बिखरी सामग्रियों को एकत्र करना है। उत्खनन से प्राप्त सामग्रियाँ तो संग्रहालयों में रखी जाती हैं। उत्खनन के पश्चात् भी उस क्षेत्र में विखरी सामग्रियों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। लोग संग्रहालयों को अपने पूर्वजों द्वारा संगृहीत पुरावशेषों तथा कलाकृतियों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से अथवा भण्डारण की सुविधा न होने के कारण अथवा जनहित से प्रेरित होकर दान कर देते हैं। विभिन्न संग्रहालय में उपलब्ध एक ही प्रकार की गई सामग्री होने पर आपस में आदान-प्रदान करते हैं। इससे दोनों ही संग्रहालय समृद्ध होते हैं। कभी-कभी संग्रहालय दूसरों ये या दूसरे संग्रहालय से ऋण के रूप में सामग्री प्राप्त करते हैं ताकि उनका विशेष अवसर पर प्रदर्शन हो सके। कुछ सामग्रियों का फोटो काफी अथवा प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी उसकी अनुकृति को भी संग्रहालय में रखा जाता है ताकि लोग उसे देखें और उसके सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करें। विद्वानों ने संग्रहालय क्लब बनाने की सलाह दी है जिसके सदस्य आस-पास के क्षेत्र में खोज करें और उपलब्ध सामग्रियों से संग्रहालय को समृद्ध करें। अपने क्षेत्र के पुरावशेष एवं कलाकृत्तियों को संगृहीत करना नगरपालिका तथा ग्राम पंचायत का उत्तरदायित्व चाहिए।

5.4 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. संग्रहालय द्वारा सामग्रियाँ प्राप्त करने के किन्ही तीन तरीकों का उल्लेख करें।
2. किस विद्वान् द्वारा लिखे गए लेख से संग्रहालयों द्वारा सामग्रियाँ ऋण के रूप में देने के सम्बन्ध में विशेष जानकारी मिलती है ? इसे स्पष्ट करें।
3. संग्रहालय क्लब के गठन का क्या प्रयोजन होता है? इसे स्पष्ट करें।

5.5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. संग्रहालय द्वारा क्रय कर सामग्री प्राप्त करने की विधि पर प्रकाश डालिए।
2. दान द्वारा संग्रहालय सामग्री प्राप्त करने की विधि पर प्रकाश डालिए।
3. संग्रहालयों द्वारा आपस में किस प्रकार की सामग्रियों का आदान-प्रदान होता है तथा उनका क्या प्रयोजन होता है, इस पर प्रकाश डालिए।

5.6 संदर्भ ग्रंथ

1. संग्रहालय की ओर – डॉ॰ शिवस्वरूप सहाय
2. म्यूजियम स्टडीज – बी॰एस॰ अग्रवाल
3. इन्ट्रोडक्शन टू म्यूजियम वर्क – जी॰ई॰ वरका
4. म्यूजियम एण्ड कल्चरल हेरिटेज – नीलरतन बनर्जी
5. म्यूजियम टुडे – ग्रेस मोर्ले
6. संग्रहालय विज्ञान – गिरिश चन्द्र शुक्ल एवं विमलेश कुमार पाण्डेय

❑❑❑

प्रलेखन (Documentation)

6.0 उद्देश्य

संग्रहालयों में विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ संगृहीत कर उन्हें प्रदर्शित किया जाता है। ऐसी संगृहीत वस्तुओं का विधिवत प्रलेखन आवश्यक है अन्यथा उनकी सही जानकारी प्राप्त करना कठिन हो जायगा। अत: यह प्रलेखन किस प्रकार किया जाय इसका उल्लेख करना अथवा प्रलेखन विधि पर प्रकाश डालना इस पाठ का उद्देश्य है।

6.1 भूमिका

संग्रहालय में वस्तुओं को लाने के साथ ही सर्वप्रथम उनका प्रलेखन (Documentation) अत्यन्त आवश्यक है। वस्तुओं को संग्रहालय के भण्डारगृह में रखने के पूर्व अगर उनका प्रलेखन नहीं हुआ तो बाद में यह जानना कठिन हो जायगा कि वह वस्तु कहाँ से आयी वह दान से प्राप्त हुई अथवा क्रय की गयी अथवा उत्खनन से प्राप्त हुई। ऐसी सामग्रियाँ अपनी पहचान खो बैठती हैं, और उनसे सम्बन्धित विवरण जुटाना अत्यन्त कठिन कार्य होता है। उनका सम्पूर्ण विवरण तैयार करने से लोग भागने लगते हैं। विवरण के अभाव में इनकी चोरी होने की संभावना बनी रहती हैं। अगर ऐसी वस्तु संग्रहालय से चोरी हो जाय तो उसका ढूढ़ना कठिन हो जाता है। ऐसी सामग्रियों को जालसाज उसकी नकल से बदल भी सकते हैं। अगर ऐसी सामग्री चुराकर विदेशों में बेच दी जाय तो उसकी वापसी कठिन हो जाती है। ऐसी सामग्री को यूनेस्को (UNESO) के 'कन्वेंशन ऑन मीन्स ऑफ प्रोहिबिटिंग एण्ड प्रिवेटिंग इलिसिट इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एण्ड ट्रांसफर ऑफ आनेशिप ऑप कल्चरल प्रापर्टी' 1970[1] का पालन कर उसके व्यय को पूरा कर वापस नहीं लिया जा सकता। वस्तुओं के प्रलेखन से शोध में भी सुविधा मिलती है, चूँकि प्रलेखन के फलस्वरूप वस्तु के प्राप्ति स्थान, निर्माण सामग्री की प्राप्ति के स्रोत, जीवन में उपयोगिता, कौशल एवं प्रौद्यौगिकी, प्राप्ति की स्थिति, स्थान की जानकारी मिलती है। प्रलेखन में वस्तुओं की स्थिति के उल्लेख के आधार पर संग्रहालय परिरक्षण कर्मी समय से उसकी परिरक्षा का कार्य प्रारम्भ करते हैं ताकि उनके ह्रास को रोका जा सके। अत: प्रेलखन में निम्न बातों का अंकन होना चाहिए।

(1) क्रमांक, (2) वस्तु, (3) आधार सामग्री, (4) पूर्ण विवरण, (5) नाप-जोख तथा वजन, (6) उसके फोटो पर निगेटिव (Negative) का क्रमांक पूर्ण काले तथा रंगीन में, (7) उसका आलेखन, अंगों का बनाना और स्वरूप, (8) प्राप्ति के समय की अवस्था तथा परिरक्षण के बाद की स्थिति का आलेखन, (9) प्राप्ति का स्रोत, (10) वस्तु की अनुमानित तिथि, (11) प्राप्ति तिथि, (12) वस्तु कैसे प्राप्त हुई, यदि क्रय किया गया हो तो विशेषज्ञों द्वारा आकलित मूल्य तथा दी गई राशि, (13) संग्रहालय में रखने की स्थान, (14) टिप्पणियाँ।

6.2.1 मुख्य पाठ–संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए लाई जाने वाली वस्तुओं को सर्वप्रथम ऊपर लिखी बातों के अनुसार सूचनाएँ रजिस्टर में उल्लिखित की जाती हैं। इस अभिलेख को हम सामान्य

(1) Convention on Mean of Prohibiting and preventing Illicit import, export and transfer of honership of cultural property 1970 (UNESCO)

क्रमांकन पंजिका (General Accession Register) कहते हैं। यही संग्रहालय का मुख्य अभिलेख होता है जिसको अति सुरक्षित रखा जाता है संग्रहालय में सुरक्षित वस्तुओं का क्रमांकन इसी पंजिका में होता और उनका क्रमांक उन वस्तुओं पर भी अंकित किया जाता है। यह क्रमांक ऐसे रंग से लिखा जाता है कि भण्डारण, प्रदर्शन आदि के क्रम में मिट न जाय। इन सामग्रियों का फोटो कराया जाता है। तथा निगेटिव का जो नम्बर होता है उसकी भी प्रविष्टि इसी पंजिका में वस्तु के साथ की जाती है। ये ही प्रविष्टियाँ एक दूसरी पंजिका में करके उसके साथ सामग्रियों को संग्रहालय के व्यवस्थापक (Curator) को सौंप दिया जाता है। कतिपय विद्वानों ने इस पंजिका का तीन कापियाँ बनाने की सलाह दी है, जिनमें एक डायरेक्टर के पास, एक रजिस्ट्रार के पास और एक क्यूरेटर के पास रहना चाहिए। क्यूरेटर इन सामग्रियों को वर्गीकृत कर तात्कालिक संदर्भ, अध्ययन या सुधार के लिए दूसरी पंजिका के वर्गानुसार अलग-अलग अंकित करता है। इसका प्रारूप कुछ इस प्रकार होता है–

(1) प्राप्ति वर्ष, (2) क्रम संख्या वर्षानुसार, (3) स्थान जहाँ से वह वस्तु प्राप्त हुई, (4) वस्तु का नाम अथवा स्वरूप (जैसे मूर्ति, सिक्का, मनका, चित्र, मृद्भाण्ड आदि), (5) आधार सामग्री (पत्थर, मिट्टी अथवा धातु-सोना, चाँदी अथवा अन्य धातु), (6) परिमाप (लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई, मोटाई, सिक्के के वजन क्षेत्रफल आदि), (7) वस्तु की तिथि, (8) सांस्कृतिक परिदृश्य-प्राप्ति का स्रोत एवं पता (प्राप्ति तिथि तथा विषय पर पत्राचार विवरण), (9) प्राप्ति के माध्यम का विवरण (किससे दान दिया अथवा लिया गया, यात्रा से प्राप्त वर्ष सहित), (10) कीमत जो दी गई, (11) वस्तु की स्थिति, (12) यदि उत्खनन से प्राप्त हो तो प्राप्ति स्थल का नाम, स्तर, माप, सतह से गहराई, (13) विवरण, (14) रखने का स्थान (प्रदर्श है तो गैलरी नं, सेक्शन नं०, संरक्षित है तो कमरा नं०), (15) टिप्पणी (फोटो का निगेटिव नं०, अधिकारी हस्ताक्षर, प्रकाशन संदर्भ अगर कोई हो तो)।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पंजिका (Register) में स्थल अंकन हेतु जहाँ यह रखा गया है अधिक स्थान होना चाहिए ताकि स्थान बदलने, उधार देने, बाहर भेजने तथा पुनर्प्राप्ति का अंकन समय-समय पर किया जा सके।

6.2.2. इण्डेक्स कार्ड (Index Card)—पंजिका में सामग्री से सम्बन्धित पूरा विवरण अंकित करने के बाद इण्डेक्स कार्ड बनाया जाताहै। इण्डेक्स कार्ड का प्रयोजन संग्रहालय में आनेवाले जिज्ञासु दर्शकों को अपनी रूचि की सामग्रियों का सरलतापूर्वक जानकारी प्राप्त हो जाय। ऐसे कार्ड संग्रहालय कार्यालय में होना चाहिए ताकि दर्शक को प्रदर्श की जानकारी हो जाय। इसी आधार पर प्रदर्श की फोटो कॉपी तथा विवरण प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इसके लिए सफेद कार्ड का प्रयोग किया जाता है। कार्ड में पंजीयन संख्या, वस्तु का स्वरूप, आधार सामग्री, कला का क्षेत्र (जैसे मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र आदि) अनुमानित तिथि, चित्रण हो तो चित्रकार का नाम तथा संरक्षक, फोटो के निगेटिव का नं० तथा विवरण अंकित होना चाहिए।

इन कार्डों के अतिरिक्त विभिन्न दृष्टिकोण से भी कार्ड तैयार करना चाहिए ताकि इच्छित प्रदर्शों की, शीघ्रता और आसानी से जानकारी प्राप्त की जा सके। इन विभिन्न प्रकार के कार्डों में क्रमांक कार्ड (इसमें उपरोक्त विवरण के साथ परिभाषा, प्राप्ति स्थान, क्षेत्र, जिला, राज्य का उल्लेख होना चाहिए, वस्तु कार्ड (इसमें वस्तु का विवरण कर अन्य विवरण भी दिया जाना चाहिए), आधार सामग्री कार्ड (इसमें आधार सामग्री का उल्लेख करने के बाद अन्य विवरण देना चाहिए), स्थिति कार्ड (सर्वप्रथम प्रदर्श की

स्थिति की जानकारी देने के बाद अन्य विरण देना चाहिए) तथा प्रप्ति स्थल कार्ड (इसमें प्राप्ति स्थल, क्षेत्र, जिला, राज्य आदि) के उल्लेख के बाद अन्य विवरण देना चाहिए। अत: ये विभिन्न तरह के कार्ड न केवल प्रदर्शों को जानने में सहायक होंगे, बल्कि वस्तु के हेराफेरी में बाधक सिद्ध होंगे। उदाहरण के लिए, अगर हमे किसी संग्रहालय में प्रदर्शित शिव की प्रस्तर प्रतिमा की जानकारी प्राप्त करनी है तो हम सर्वप्रथम आधार सामग्री कार्ड देखेंगे न कि सम्पूर्ण इण्डेक्स कार्ड।

6.2.3. पुरातात्त्विक सामग्री का प्रलेखन—उत्खनन से प्राप्त सामग्रियों का प्रलेखन अत्यन्त आवश्यक है अन्यथा उस सामग्री का सही उपयोग नहीं किया जा सकता हैं। चूँकि वह सामग्री किस काल की है, उसकी स्थिति क्या है आदि बातें अनजान रहती हैं। अगर वैसी सामग्री चोरी हो जाय तो फिर से उसे पहचान कर प्राप्त करना कठिन हो जाता है। अगर उत्खाता (Excavator) की गलती से उसके स्तर की सही जानकारी अज्ञात रहती है तो उस सामग्री का अध्ययन अधूरा रहता है। प्राचीन इतिहास के निर्माण में उसका उचित उपयोग नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं कि पुरातात्विक सामग्री की प्राप्ति दो प्रकार से होती है- स्थल खोज के द्वारा तथा उत्खनन द्वारा। ऐसी सामग्रियाँ संग्रहालय को दान, अदला-बदली, ऋण, क्रय अथवा त्वरित क्रिया द्वारा प्राप्त होती हैं। उत्खनन के समय किसी खात में मिली सामग्री का प्रलेखन खात सुपरवाइजर **(Trench sypervisor)** द्वारा सामग्री के मिलने के साथ किया जाता है। प्रलेखन में इन बिन्दुओं पर जानकारी अंकित की जाती है : (1) स्थल, (2) पंजीकृत सं॰ (क्षेत्र सं॰), (3) वस्तु का नाम, (4) आधार सामग्री, (5) स्तर जहाँ से सामग्री मिली है, (6) खूँटे से सामग्री प्राप्ति स्थल की दूरी की माप, (7) सतह से प्राप्ति स्थल की गहराई का माप, (8) विवरण और आरेखन (Sketch), (9) तिथि जिस दिन सामग्री मिली, (10) निरीक्षक के हस्ताक्षर।

प्रतिदिन उत्खनन कार्य समाप्त होने पर वस्तुओं को अलग-अलग लिफाफे में रखकर विवरण के साथ उसे मुख्य उत्खाता (Chief Excavator) को सौंप दिया जाता है। फिर वह उसका विवरण अपने रजिस्टर में चढ़ाता है। वह रजिस्टर का वही क्रमांक भी वस्तु पर डालता है। फिर चयनित वस्तुओं का फोटो कराया जाता है। अध्ययन हेतु क्रमांकित फोटो कॉपी रखी जाती है साथ ही फोटो पर भी रजिस्टर का क्रमांक डालते हैं। ऊपरी सतह पर जो सामग्री बिखरी हुई मिलती है उसपर Surface find लिखकर बोरे में बंद कर दिया जाता है। उत्खनन से प्राप्त सामग्रियाँ जब संग्राहलयों में पहुँचती हैं तो पुन: संग्रहालय की पंजिका में इन्हें पंजीकृत किया जाता है।

6.2.4. प्रलेखन एक प्रकार से उस सामग्री का पहचान पत्र है। जैसे किसी भी मनुष्य के पहचान पत्र में लिंग, पिता का नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान तथा अन्य जानकारियाँ अंकित होती हैं, उसी प्रकार इन सामग्रियों के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी पंजिका में अंकित की जाती है। अत: किसी भी संग्रहालय में प्रदर्शित अथवा सुरक्षित सामग्री का प्रलेखन संग्रहालय व्यवस्था का अनिवार्य अंग है। इसी के आधार पर ही संग्रहालय की उपयोगिता निर्भर है।

6.3 सारांश

संग्रहालय में वस्तुओं के आने के साथ ही उनका प्रलेखन किया जाना आवश्यक होता है अन्यथा वे अपनी पहचान खो बैठी हैं। अगर संग्रहालय में प्रवेश के समय वस्तु से सम्बन्धित जानकारियाँ प्रलेखन के अवसार पर पंजिका में अंकित नहीं की जाती है तो बाद में यह कार्य नहीं किया जा सकता। अत:

वस्तु से सम्बन्धित जानकारी संग्रहालय की पंजिका में दर्ज की जाती है, जैसे क्रमांक प्राप्ति स्थल, वस्तु एवं उसकी आधार सामग्री आदि। प्रत्येक संग्रहालय में एक सामान्य क्रमांकन पंजिका (General Accession Register) होता है जिसमें संग्रहालय में लाये जाने वाले प्रत्येक वस्तु का पंजीयन होता है। यह पंजिका संग्रहालय का मुख्य अभिलेख होता है। इस पंजिका में वस्तु का जो क्रमांक होता हे वही क्रमांक वस्तु पर किसी स्थाई रंग से अंकित किया जाता है। बाद में इन सामग्रियों का वगीकृत करके विभिन्न पंजिका में अंकित की जाती है। पंजिका में सभी जानकारी अंकित की जाती हैं इसके साथ-साथ सामग्रियों का इण्डेक्स कार्ड भी तैयार कराया जाता है इनके अतिरिक्त विभिन्न दृष्टि से भी इण्डेक्स कार्ड तैार किया जाता है, जैसे क्रमांक कार्ड, आधार सामग्री कार्ड, स्थिति कार्ड, प्राप्ति स्थान कार्ड आदि। पुरतात्विक सामग्रियों का प्रलेखन उत्खनन स्थल पर ही सर्वप्रथम खात सुपरवाइजर (Trench Supervisor) द्वारा तैयार किया जाता हैं। इसमें प्राप्ति खाता संख्या, स्थल, खूँटी से दूरी गहराई, आधार सामग्री, वस्तु आदि बातों का अंकन किया जाता है। ये सामग्रियाँ जब संग्रहालय को सौंपी जाती है तो वहाँ भी इनका पुनः संग्रहालय की पंजिका में अंकन किया जाता है।

6.4 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. प्रलेखन से आप क्या समझते हैं? इसे स्पष्ट करें।
2. कितने प्रकार की पंजिका प्रलेखन के संदर्भ में एक संग्रहालय में रखे जाते है ?
3. उत्खनन से प्राप्त सामग्री अगर संग्रहालय को सौंपी जाती है तो किन बिन्दुओं पर जानकारी अंकित करनी चाहिए?
4. उत्खनन से प्राप्त सामग्री का सर्वप्रथम कौन प्रलेखन करता है ? अगर यह संग्रहालय को सौंपा जाय तो क्या इसका पुनः संग्रहालय की पंजिका में अंकन आवश्यक है ?

6.5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. संग्रहालय में सरक्षित अथवा प्रदर्शित सामग्रियों का प्रलेखन क्यों आवश्यक है? इस पर प्रकाश डालिए।
2. संग्रहालय की सामान्य क्रमांकन पंजिका में किन-किन बिन्दुओं पर जानकारी अंकित करनी चाहिए ? इस पर प्रकाश डालिए।
3. इण्डेक्स कार्ड कितने प्रकार का होता है? उन पर किन जानकारियों को अंकित करना चाहिए तथा उनकी क्या उपयोगिता है? इस पर प्रकाश डालिए।

6.6 संदर्भ ग्रंथ

1. संग्रहालय की ओर – डॉ॰ शिवस्वरूप सहाय
2. म्यूजियम स्टडीज – बी॰एस॰ अग्रवाल
3. इन्ट्रोडक्शन टू म्यूजियम वर्क – जी॰ई॰ वरका
4. म्यूजियम एण्ड कल्चरल हेरिटेज – नीलरतन बनर्जी
5. म्यूजियम टुडे – ग्रेस मोर्ले.
6. संग्रहालय विज्ञान – गिरिश चन्द्र शुक्ल एवं विमलेश कुमार पाण्डेय

❑❑❑

सामग्रियों का प्रदर्शन (Display of Objects)

7.0 उद्देश्य

इस पाठ में संग्रहालय में वस्तुओं को किस प्रकार प्रदर्शित करें ताकि दर्शक अधिक-से-अधिक लाभान्वित हो और उनके ज्ञान में वृद्धि हो इस पर विचार किया गया है।

7.1 भूमिका

संग्रहालय में पुरातन और आधुनिक सामान्य रूचि और देश काल तथा स्थान के व्यक्तित्व को निखारने वाली सामग्रियों का संग्रह किया जाता है ताकि वे सुरक्षित रहें तथा वर्तमान एव आनेवाली पीढ़ी उससे लाभ उठायें। संग्रहालय केवल ऐसी सामग्रियों का संग्रह स्थल नहीं है बल्कि संगृहीत सामग्रियों में से कुछ चुने हुए को प्रदर्शित करना भी इसका उद्देश्य है। अत: संग्रहालय में संगृहीत सामग्रियों को दो श्रेणियों बाँटा जाता है जो सामग्री महत्त्वपूर्ण तथा मनोरंजन के लिए आवश्यक है, उन्हें संग्रहालय के कक्षों में प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी श्रेणी उन सामग्रियों की है जिनकी कई प्रतियाँ हों, उनमें से केवल एक प्रदर्शित किया जाता है अन्य को भण्डार गृह में सुरक्षित रखा जाता है। जो सामग्री दर्शकों दिखाने के लिए कक्षों में रखे जाते हैं उनहें प्रदर्श कहते हैं तथा इनको दिखने अथवा कक्षों में सजाने की विधि को प्रदर्शन (Display) कहते हैं। प्रदर्शों को कक्षों में सजाने की विधि का अपना एक दर्शन है। वस्तुत: संग्रहालय में विभिन्न आयु वर्गों के स्त्री-पुरूष विभिन्न उद्देश्यों से आते हैं। इन सभी के लिए संग्रहालय अपने को तैयार करता है। जितना आकर्षक संग्रहालय में प्रदर्शों का प्रदर्शन होगा उतना ही लोग उसकी ओर आकृष्ट होंगे। अत: संग्रहालय में प्रदर्शों के बीच दर्शक का ही प्रमुख स्थान होता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आनन्द ही संग्रहालय का प्रधान तत्त्व है। अत: प्रदर्शों को इस प्रकार सजाया जाय की दर्शक बार-बार उसकी ओर आकृष्ट हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदर्शों की सजावट में फेर-बदल किया जाता है ताकि संग्रहालय दर्शक बार-बार आयें तो उन्हें नवीनता का अनुभव हो और वे प्रदर्शों का आनन्द उठा सकें।

7.2 मूल पाठ

प्रदर्शन के लिए कुछ सावधानियाँ (Precaution) आवश्यक हैं–

(1) प्रदर्शन कक्ष में अनावश्यक सामग्रियों का का जमघट न हो। जो सामग्री विशेष आकर्षण की न हो उन्हें भण्डार गृह में सुरक्षित रखा जाय।

(2) प्रदर्शन स्थल बड़ा होना चाहिए तथा प्रदर्शों के चारों ओर खाली स्थान हो ताकि प्रदर्श दर्शकों का ध्यान आकृष्ट करने में समर्थ हों, खाली स्थान छोड़ने से दर्शकों को प्रदर्शों को देखने में सहूलियत होती है।

(3) प्रदर्शों को उनके आकार के अनुसार आधार पर रखना चाहिए। बड़े प्रदर्श को छोटे आधार पर और छोटे प्रदर्श को बड़े आधार पर रखना चाहिए, इससे प्रदर्शों की ऊँचाई में अधिक भिन्नता

नहीं रहती। जो प्रदर्श खड़ा रहने लायक नहीं है उनकी लकड़ी के ब्रैकेट बनाकर अथवा खम्भे के सहारे खड़ा करना चाहिए।

(4) प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अर्थात् सीधी रोशनी प्रदर्श पर न पड़े।

(5) प्रदर्शों के लिए हवा तथा वातानुकूलन भी आवश्यक है। हवा दर्शकों के लिए तथा गर्मी से नष्ट होने वाले प्रदर्श के लिए वाताकूलन भी आवश्यक है।

(6) छोटी एवं बहुमूल्य वस्तुओं के लिए कैबिनेट की व्यवस्था होनी चाहिए। यह शीशे का होना चाहिए ताकि बाहर से वह वस्तु साफ दिखाई पड़े। जो वस्तुएँ अन्यन्त मूल्यवान हो उसके कैबिनेट को सुरक्षा कक्ष (Strong Room) में रखना चाहिए। इस प्रकार की सामग्रियाँ-दस्तावेज, गहने, सिक्के आदि को आलमारियों में सुरक्षित रखना चाहिए।

(7) लकड़ी की घुमावदार अलमारियों में ऐसे स्थान बने हो जिनमें फरमान अथवा पत्रक लटकाया जा सके और उन्हें हाथ से छुए बिना आलमारी को घुमकार पढ़ा जा सके।

(8) सामग्रियों को उनके आधार सामग्री (Base material) के अनुसार एक साथ रखना चाहिए, जैसे धातु की सामग्री एक साथ, पत्थर की सामग्री एक साथ तथा मिट्टी की सामग्री एक साथ। साथी ही एक प्रकार की सामग्री एक साथ होना चाहिए, जैसे अस्त्र-शस्त्र पुस्तकें, कपड़े, मूर्तियाँ, सिक्के आदि एक स्थान पर रखना चाहिए।

(9) पोस्टर, चार्ट और फोटो आदि को दीवार पर लगाना चाहिए ताकि दर्शक इन्हें भलीभाँति देख सके।

(10) दो मंजिला संग्रहालय में सामग्रियों का प्रदर्शन गर्मी और आर्द्रता से सामग्रियों की रक्षा की दृष्टिकोण से ऊपरी तथा निचली मंजिल स्थित कक्षों में रखना चाहिए।

7.2.1 प्रदर्शन की परम्परागत विधि यह थी कि सामग्रियों को दीवाल में टेबुल में अथवा कमरे के बीच में शोकेस (Show Case) बनाकर प्रदर्शन हेतु रखा जाता है। प्रदर्शन के लिए प्राकृतिक प्रकाश का सहारा लिया जाता था और जिसके लिए प्रदर्शन कक्ष में बड़े-बड़े दरवाजें एवं खिड़कियाँ होती थीं। प्रदर्शन कुछ ही सामग्री का होता था बल्कि भण्डार गृह में बन्द रहते थे। इस प्रकार के प्रदर्शन से सामान्य लोग लाभान्वित नहीं होते थे। प्रदर्शन को आकर्षक, ज्ञानवर्द्धक तथा मनोरंजक बनाने की ओर कोई स्थानी नहीं दिया जाता है। संगृहीत अधिकतर सामग्री तो भण्डारगृह की शोभा बढ़ाते थे।

7.2.2 परम्परागत विधि को छोड़कर अब प्रदर्शन की नवीन विधि अपनायी जाती है, जो सभी कोटि के दर्शकों को आकर्षित करने में सक्षम सिद्ध हुई है। प्रदर्शन के लिए कुछ सामान्य सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जाता है। ये सिद्धान्त इस प्रकार हैं—

(1) प्रदर्शन दर्शक को ध्यान में रखकर करना चाहिए।

(2) सामान्य तथा विशिष्ट टेबुल का प्रयोग करना चाहिए।

(3) आकर्षक आकार के अक्षरों का प्रयोग करना चाहिए।

(4) वस्तु को रखने के लिए परिवेश बनाना चाहिए।

(5) वस्तु को इतनी ऊँचाई पर रखा जाय ताकि दर्शक को उन्हें देखने में कष्ट न हो।

कालीन को प्लास्टिक के टुकड़े बिछाकर रखना चाहिए। सिक्के मूल्यवान होते हैं, परन्तु उनमें दर्शक की रूचि नहीं होती है। अतः उन्हें सुरक्षित रखा जाय तथा इसके प्रति रूचि रखनेवालों को दिखाया जाय ताकि वे उसकी बनावट, अग्रभाग एवं पृष्ठभाग में बनी आकृतियों एवं लेख का अध्ययन कर सकें।

7.2.5 संग्रहालय के बाहर विभिन्न कक्षों की स्थिति एवं उनमें प्रदर्शित प्रदर्शों की जानकारी उपलब्ध होना चाहिए। चुने हुए प्रदर्शों का फोटो मूल्य देने पर उपलब्ध होनी चाहिए। बल्कि संग्रहालय का कैटलॉग उपलब्ध हो तो और भी अच्छा है। प्रदर्श सामग्रियों में जो लेबल लगाये जाय उनपर उस सामग्री का परिचय काल, तथा प्राप्ति स्थान का नाम अवश्य अंकित हो। संग्रहालय के लिए गैलरी सहायक (Gallery Assistant) तथा गाइड लेकचरर (Guide Lecture) का होना चाहिए। दर्शक इनकी सहायता से संग्रहालयों में समय-समय पर व्याख्यान माला का आयोजन किया जाता है जहाँ उत्खन्न से प्राप्त सामग्रियों के स्लाइडस (Slides) के माध्यम से उनकी व्याख्या की जाती है। कभी-कभी इन पर सचल चित्र (Motiion Picture) बनाकर दिखाया जाता है। पाश्चात् देशों में दर्शकों को गाइडो-फोन (Guido Phone) की सुविधा दी जाती है। ताकि वे इसे लेकर कक्षों में घूमे तथा रिकार्ड किये निर्देश सुनें और प्रदर्शों के विषय में जानें। कभी विद्वानों से प्रदर्श सामग्री पर व्याख्यान दिलाया जाता है।

7.3 सारांश

संग्रहालय केवल पुरानिधियों का संग्रहालय नहीं है, बल्कि इनका प्रदर्शन भी इनका उद्देश्य है संग्राहलय के विभिन्न कक्षों में चुनी हुई सामग्रियों को प्रदर्शित किया जाता है शेष भण्डार गृह में सुरक्षित रखी जाती हैं। प्रदर्श सामग्री के चारो ओर इतना स्थान होना चाहिए कि दर्शक इनहें अच्छी तरह देख सके। इनके पदाधार भी इनकी ऊँचाई के अनुरूप होने चाहिए ताकि दर्शक को अपनी आँखें कभी ऊपर और कभी नीचे की ओर न घुमाना पड़े। प्रकाश की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी वस्तुओं जो गर्मी एवं आर्द्रता से नष्ट होने वाली हो उन्हें वातानुकूलित कमरे में रखना चाहिए। दर्शक को ध्यान में रखकर प्रदर्शन करना चाहिए। बहुत बड़ी मूर्त्ति अथवा शिलाखण्डों पर उत्कीर्ण लेख आदि को संग्रहालय कक्षों में रखकर संग्रहालय परिसार में लगाना चाहिए। कक्षों में प्रदर्श को एककतार में पर्याप्त दूरी पर रखना चाहिए। छोटी-छोटी वस्तुओं को आलमारी अथवा शो-केस में रखना चाहिए। प्रदर्शों के बदल-बदलकर प्रदर्शित करना चाहिए। प्रदर्शों पर पहचान के लिए लेबुल (Lable) होना चाहिए। दर्शकों की सहायता के लिए गैलरी सहायक तथा गाइड लेक्चरर होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के प्रदर्शों का प्रदर्शन उनके आकार, आधार साम्रगी, तथा उनके प्रति लोगों के आकर्षण को ध्यान में रखकर करना चाहिए। सिक्कों को प्रदर्शित करने के पूर्व उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। शीशे की सामग्री में प्रकाश की व्यवस्था ऐसी हो कि वे प्रति छाया उत्पन्न न कर सके। लकड़ी, वस्त्र तथा शीघ्र नष्ट होने वाली सामग्रियों के प्रदर्शन में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। संग्रहालय के बाहर कक्षों तथा उनमें प्रदर्शित प्रदर्शों की जानकारी उपलब्ध होना चाहिए। संग्रहालय का कैटलॉग प्रकाशित करना भी आवश्यक है। इससे सामान्य एवं प्रबुद्ध दर्शक, दोनों लाभान्वित होते हैं। संग्रहालय में व्याख्यान भी आयोजित किये जाते हैं। जिनमें प्रदर्श सामग्रियों पर प्रकाश डाला जाता है। इन्हें स्लाइड्स तथा सचल चित्रों के माध्यम से दर्शकों को दिखाकर उन्हें आकर्षित किया जाता है अथवा उनमें प्रदर्शों के प्रति आकर्षण उत्पन्न किया जाता है।

7.4 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. प्रदर्शित सामग्री का पदाधार कैसा होना चाहिए ?
2. किस प्रकार की वस्तुओं को वातानुकूलित कक्षों में रखना चाहिए ?
3. क्या विभिन्न प्रकार की आधार सामग्रियों से बनी वस्तुएँ एक ही स्थान पर प्रदर्शित होनी चाहिए ?
4. प्रदर्शन की परम्परागत विधि पर प्रकाश डालिए।

7.5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. प्रदर्शन के सामान्य नियमों का उल्लेख कीजिए।
2. प्रदर्शन के लिए अपनाई गई रीतियों पर प्रकाश डालिए।
3. हाथी-दाँत, शीशे की सामग्री, लकड़ी के सामान, वस्त्र एवं सिक्कों के प्रदर्शन पर प्रकाश डालिए।
4. संग्रहालय की अन्य गतिविधियों एवं उसे अधिक उपयोगी बनाने के उपाय के सम्बन्ध में जानकारी दें।

7.6 संदर्भ ग्रंथ

1. संग्रहालय की ओर – डॉ॰ शिवस्वरूप सहाय
2. म्यूजियम स्टडीज – बी॰एस॰ अग्रवाल
3. इन्ट्रोडक्शन टू म्यूजियम वर्क – जी॰ई॰ वरका
4. म्यूजियम एण्ड कल्चरल हेरिटेज – नीलरतन बनर्जी
5. म्यूजियम टुडे – ग्रेस मोर्ले
6. संग्रहालय विज्ञान – गिरिश चन्द्र शुक्ल एवं विमलेश कुमार पाण्डेय

❑❑❑

संग्रहालय सामग्री का परिरक्षण (Preservation Museum Objects)

8.0. उद्देश्य

संग्रहालय में संगृहीत तथा प्रदर्शित सामग्रियों को किस प्रकार नष्ट होने से बचाया जाय, अर्थात् किस प्रकार उनका परिक्षण किया जाय, यह इस पाठ का उद्देश्य है।

8.1. भूमिका

संग्रहालय का कार्य केवल सामग्रियाँ प्राप्त कर उनका भण्डारण एवं प्रदर्शन तक सीमित नहीं हैं उसकी यह भी जिम्मेदारी है कि न क़ेवल उन सामग्रियों को वह सुरक्षित रखे, बल्कि उन्हें नष्ट होने से बचाने का हर संभव उपाय करे। अर्थात् उसका महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है इनका परिरक्षण (Preservation) करना। किसी भी पुरावशेष को उसके मौलिक रूप में बनाये रखने की क्रिया को संरक्षण (Conservation) कहते हैं। इसे दो प्रकार से किया जाता है—परिरक्षण (Preservation) तथा जीर्णोद्धार (Restoration)।

8.2 मुख्य पाठ

परिरक्षण (Preservation) वस्तु से सभी प्रकार के प्रदूषण एवं रोगनाशक तत्त्वों को समाप्त कर उसको ह्रास से बचाकर मूर्त स्वरूप से सुरक्षित रखने को कहते हैं। जीर्णोद्धार का अर्थ है किसी पुरावशेष अथवा कलाकृति के नष्ट हुए अंश को कारीगरों तथा कलाकारों की सहायता से मूलरूप देना। यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कहीं इस प्रयास में वस्तु का मूलरूप ही विकृत न हो जाये, जिससे उनका महत्त्व ही समाप्त हो जाए। अत: जीर्णोद्धार करते समय उसका मौलिक स्वरूप बना रहे तथा उसमें विकृति न आये। यह कार्य कुशल हाथों द्वारा तथा वैज्ञानिक विधि द्वारा किया जाता है। अर्थात् जीर्णोद्धारा का अर्थ है मूल स्वरूप को बनाये रखना तथा विकृति की रोकथाम करना है। परिरक्षण वस्तु को सुरक्षित रखना अवश्य है, परन्तु केवल चोरों से उनकी सुरक्षा नहीं, बल्कि प्राकृतिक विनाशक तत्त्वों से उनकी सुरक्षा करना भी है। इसके अतिरिक्त इन सामग्रियों को सावधानीपूर्वक स्थानान्तर किया जाता है ताकि वे टूट-फूट न जाएँ। यह उल्लेखनीय है कि किसी भी वस्तु के राष्ट्रीय पुरासम्पति घोषित होने पर यह भारत सरकार के परिरक्षण कानून के तहत सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाता है। आज संग्रहालयों की संख्या भारत में 500 है, परन्तु परिरक्षण की व्यवस्था सभी संग्रहालय में नहीं है। इसका मूल कारण है कमजोर आर्थिक स्थिति तथा अनुभव के अभाव में ऐसी व्यवस्था सभी संग्रहालय में करना संभव नहीं है। पुरावशेषों को हर प्रकार से सुरक्षित रखने की ओर भारत सरकार एवं 'यूनेस्को' दोनों का ध्यान रहा है। अत: भारत सरकार ने Antiquities and Art Treasures Act तथ Wild life portection Act को 1977 पारित किया एवं यूनेस्को ने 1970 में एक सम्मेलन Means of Prohibiting and preventing Illicit import & export and transfer of ownership of culture property पर बुलाया।

वस्तुओं का क्षरण गर्मी, प्रकाश, वातावरण में नमी, प्रदूषण, औद्योगिक विकास के साथ वातावरण में जहरीली गैस की उपस्थिति आदि के कारण होता है, जिससे वस्तुओं की मूल स्थिति में बदलाव आ जाता है। परन्तु इस क्षरण अथवा विनाश को प्रयास से रोका जा सकता है। बहुत कम संग्रहालय ऐसे हैं जहाँ परिरक्षण के लिए समुचित व्यवस्था है। अर्थात्, प्रयोगशालाएँ हैं। परिरक्षण के लिए उच्चकोटि की वैज्ञानिक क्रिया की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इस हेतु प्रयोगशाला है। संग्रहालय कर्मियों को प्रारम्भ में यहाँ परिरक्षण विधि की शिक्षा भी दी जाती है। अब यह कार्य लखनऊ स्थित National Laboratory for Conservation of cultural property द्वारा सम्पन्न होती हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों में परिरक्षणा की सैद्धान्तिक एवं प्रयोगिक शिक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक है ताकि प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध हो सकें। न्यूयार्क विश्वविद्यालय में यह सुविधा उपलब्ध है। भारत में प्राप्त पुरासम्पदा में हस्तलिखित ग्रंथ, वस्त्र, धातु की सामग्री, सिक्के, लड़की के सामान आदि के लिए परिरक्षण अत्यन्त आवश्यक है।

8.2.1 वस्तुओं के ह्रास के कारण अनेक हैं और इनसे बचाव के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए जाते हैं। वस्तुओं के ह्रास के दो प्रमुख कारक हैं– (1) प्राकृतिक कारण तथा जानकर किया गया नुकसान (2) मानवकृत आकस्मिक दुर्घटना द्वारा हुआ ह्रास। जहाँ तक प्राकृतिक कारणों का प्रश्न है इनके अन्तर्गत निम्न कारणों को रखा जा सकता है, जैसे–ऊष्मा, प्रकाश, आर्द्रता (वातावरण तथा मौसम द्वारा प्राप्त), धूल, प्रदूषण, बिजली गिरना, बाढ़, भूकम्प, अत्यधिक वर्षा आदि। इनके अतिरिक्त चोरी, बिजली का शार्ट सर्किट, प्रयोग में हुई भूल, वस्तुओं के स्थानान्तरण में दुर्घटना आदि।

8.2.1.1 वस्तुओं के नष्ट होने का एक प्रमुख कारण है ऊष्मा। धूप, बिजली अथवा आग के प्रभाव से कुछ वस्तुएँ फैलती हैं तथा ठंढ़ा होने पर सिकुड़ती है। इस प्रक्रिया के कारण उस वस्तु में दरार आने की संभावना रहती है। अतः ऐसी वस्तुओं को न केवल तेज गर्मी से बचाना चाहिए, बल्कि ठंढे स्थान में रखना चाहिए तथा लाल प्रकाश से बचाना चाहिए।

8.2.1.2 प्रकाश भी वस्तुओं के ह्रास का एक स्रोत है। यह प्रकाश प्रत्यक्ष हो अथवा अप्रत्यक्ष। जो वस्तु जितनी संवेदनशील होती है वह उतनी जल्द प्रभावित होती है। यह प्रभाव लम्बे समय तक बना रहता है। प्रकाश के तीन स्रोत हैं– सूर्य का प्रकाश, साधारण दीये अथवा लैम्प का प्रकाश तथा फ्लोरेशेंट ट्यूब का प्रकाश। इन सभी से प्रकाश किरणें निकलती हैं। जो दृश्य किरणें हैं वे सतरंगी होती हैं। अदृश्य और दृश्य प्रकाश से निकलती हुई किरणें विकीर्णित होती हैं जैसे X-rays, Gama rays, Ultraviolet rays आदि। संग्रहालय के संदर्भ में दृश्य किरणें तथा अल्ट्रावायलेट तथा इन्फ्रारेड किरणों का विशेष महत्त्व होता है। इनके प्रभाव के फलस्वरूप वस्तुओं में निम्नलिखित परिवर्त्तन होता है–

(i) वे गरम होती हैं,

(ii) उनमें आक्सीजन तथा वाष्प के कारण रासायनिक परिवर्तन होते हैं तथा जिसके बदलाव से वस्तु के स्वरूप में बदलाव आता है,

(iii) इनके रासायनिक बंधन टूटते हैं,

(iv) समीपस्थ मौलिक्यूल (Molecule) के बिलगाव होने से इनमें बिखराव आता है,

(v) इससे धातु तत्त्व फ्लोरेसेस निकलता है। इन्हें सामूहिक रुप से फोटो केमिस्ट्री कहते हैं। ये जितनी देर तक प्रभावक बना रहता है उतनी गहराई तक अपना प्रभाव डालते हैं। लकड़ी, हाथी दाँत, हड्डी तथा कागज जैसी वस्तुओं में गीलापन तथा सूखापन घटने से गलन होने लगता है। इसके आकलन की इकाई 'लक्स' कहलाती है तथा जिसको मापनेवाला यंत्र 'लक्सोमीटर' कहलाता है।

संग्रहालय में वस्तुओं को सीधी धूप से बचाना चाहिए तथा लैम्प का प्रयोग नहीं करना चाहिए चूँकि उससे निकला कार्बनडायक्साइड (Carbon dioxide) वायु को प्रदूषित करता है। फ्लोरेसेण्ट लैम्प में पारा भरा रहने के कारण तो छनकर आता है पर उससे तेज गर्मी नहीं मिलती है, परन्तु उनसे निकली हानिकारक अल्ट्रनायलेट किरणों से बचाने के लिए फ्लोरेसेण्ट ट्यूब अथवा बल्ब को उनके निरोधक तत्त्व से रंगा होना चाहिए। परन्तु जहाँ यह संभव न हो वहाँ कम प्रकाश वाले स्रोत का प्रयोग करना चाहिए तथा एक सादे शीशा द्वारा वस्तु को प्रकाश से बचाना चाहिए। कभी-कभी Infra-red radiation की लम्बी धारा उष्मा उत्पन्न करती है, इसलिए वस्तु पर ठंढी हवा कभी-कभी देनी चाहिए। परन्तु ऐसा करते समय इस पर ध्यान देना चाहिए नमी पूरे कमरे में न फैले। संग्रहालयों में प्राय: आम दर्शकों के लिए फोटोग्राफी प्रतिबन्धित होती है। अगर फोटोग्राफ लेना हो तो इलेक्ट्रोनिक फ्लैश, जिसमें फ्लैश फिल्टर लगा हो का प्रयोग करना चाहिए। इस फ्लैश की कुल क्षमता 1400 ज्योलेस से अधिक न हो और ये वस्तु से कम-से-कम दो मीटर की दूरी पर हो। इन्हें एक एक्पोज में एक मिनट से अधिक समय तक प्रयोग न करें।

सामग्रियों को बार-बार हाथ से स्पर्श नहीं करना चाहिए। इससे कार्बनिक सामग्री में धूल और नमी आ जाती है और उनमें ह्रास होने लगता है।

8.2.1.3 एक सीमा से आर्द्रता कम होने पर वस्तु की मौलीक्यूलर संरचना बदलने लगती है। आर्द्रता कम होने पर वस्तु कमजोर होने लगता है तथा अधिक होने पर उसमें फंगस (Fungus) लगने लगता है। यह वस्तु को खा जाता है। अत: ताप और आर्द्रता दोनों का तालमेल आवश्यक है। सामान्यतया 18°-20°C ताप और 40-45 प्रतिशत आर्द्रता उपयुक्त है। अत: इसके नियंत्रण के लिए प्राय: सामग्रियों को मोम से भिगो दिया जाता है। वस्त्रों पर इसका प्रभाव अधिक होता है। आर्द्रता के नियंत्रण के लिए कैबिनेट के कोने में कपड़े से ढके वर्त्तन में सिलिकाजेल (Silica Gel) रख देना चाहिए। वातानुकूलन की व्यवस्था करके भी इसे नियंत्रित किया जा सकता है।

8.2.1.4 वातावरण में विद्यमान धूल के कण वस्तुओं को हानि पहुँचाने में सक्षम होते हैं। इनका प्रभाव पत्थर की वस्तुओं पर अधिक होता है। आर्द्रता के कारण ये उसके छिद्रों से अन्दर प्रवेश कर जाते हैं फिर बाहर निकलने के लिए दरार उत्पन्न करते हैं। चिमनी आदि से निकलने वाला धुआँ और भी वस्तुओं के लिए घातक होता है। समुद्र तटों के निकट स्थित संग्रहालयों में रखी वस्तुओं पर वातावरण में उपस्थित नमक से हानि पहुँचती है। अत: समय-समय पर इनकी

वैज्ञानिक विधि से सफाई होनी चाहिए तथा भण्डारगृह में रखी वस्तुओं को पालिथीन में लपेटकर रखना चाहिए।

8.2.1.5 संग्रहालय में रखी वस्तुओं को दीमक से भी नुकसान होने की संभावना रहती है। इसलिए संग्रहालय की नियमित सफाई कुशल हाथों से होनी चाहिए ताकि दीमक पर नियंत्रण रखा जा सके।

8.2.1.6 संग्रहालय परिसर को मनोरम बनाने हेतु पेड़-पौधे तथा फूल आदि लगाये जाते हैं। परन्तु इससे संग्रहालय में रखी वस्तुओं के नष्ट होने की संभावना होती है। एक ओर तो ये पेड़-पौधे जमीन को नम तथा वातावरण को आर्द्र बनाते हैं तथा दूसरी ओर से विषैले जन्तुओं के कारण स्थल होते हैं। ये कीड़े-मकोड़े कभी-कभी संग्रहालय के अन्दर पहुँचने में सफल हो जाते हैं। अत: इन पेड़-पौधों को संग्रहालय से थोड़ी दूरी पर लगाना चाहिए।

8.2.2 संग्रहालयों में संगृहीत सभी वस्तुएँ प्रदर्शित नहीं की जातीं। केवल 10% ही प्रदर्श हेतु रखी जाती है। बाकी भण्डार में सुरक्षित रखी जाती हैं। इनकी साफ-सफाई, तथा इनमें ह्रास न आये इसके लिए हर संभव उपाय करना चाहिए। संग्रहालय में विभिन्न धातु की वस्तुएँ रहती हैं। सोने की वस्तु को जल, रीठा के घोल अथवा हल्के डिटरजेन्ट से धोना चाहिए ताकि इस पर जमी धूल अथवा गन्दगी साफ हो जाय। साफ करने के लिए हल्के ब्रश का प्रयोग किया जा सकता है। इसे सांभर के चमड़े या मुलायम फाहे से चमकाया जाता है तथा टीशू कागज में रखा जाता है। चाँदी के सामान का सम्पर्क जब क्लोराइड अथवा सल्फाइड से होता है तो उसपर धूसर रंग की परत चढ़ जाती है जिसे 'सिल्वो' अथवा 'सिल्वोडिम' घोल से साफ किया जाता है। इस पर चमक लाने के लिए अमोनिया का भी व्यवहार किया जाता है। लोटे अथवा इस्पात के सामान में जंग लगती है, जिसे रोकने के लिए सूक्ष्म क्रिस्टलीय मोम का प्रयोग किया जाता है। सिक्कों को साफ करके टीशू कागज में लपेटकर रखा जाता है ताकि रगड़ से इसपर अंकित लेख अथवा मूर्ति नष्ट न हो। मिट्टी की सामग्री जैसे खिलौने अथवा बर्त्तन (Pottery), दो प्रकार की होती है कच्चे अथवा पक्के। मिट्टी के कच्चे सामान को कभी पानी से साफ नहीं करना चाहिए। इनके लिए नरम ब्रश का उपयोग उचित है। जिन मूर्तियों के रंग में परिवर्तन हो उनको प्रयोगशाला में भेजकर पुनर्गठन करना चाहिए। काठ की सामग्री पर आग, पानी तथा कीट से शीघ्र क्षरण होता है। इसलिए इन्हें 45 से 65 प्रतिशत आर्द्रता की सीमा में रखना चाहिए ताकि ये धीरे-धीरे सूखे। इनके सूखते ही इन पर मोम अथवा रेजिन का लेप लगा देना चाहिए। इनको दीमक से बचाने के लिए इनके एक भाग के छिद्रों में कार्बन डाइ सल्फाइड तथा दूसरे भाग के छिद्रों में कार्बन टेट्राक्लोराइड का धूआँ देकर छिद्रों के भीतर ही इन दीमकों को मारा जा सकता है। बाद में इनपर पेंट भी करना चाहिए। इनको काठ की आलमारियों में रखना चाहिए तथा उसमें कीट नाशक पाउडर, गैम्कसीन, डालना चाहिए। वस्त्र को टिटेनियम ट्राइआक्साइड अथवा जिंक आक्साइड का लेप लगाकर कीड़ों से सुरक्षित रखना चाहिए। इनपर कृत्रिम प्रकाश देना चाहिए तथा इन्हें तह लगाकर नहीं, बल्कि रोलर में लपेटकर रखना चाहिए। कागज को सुरक्षित रखने के लिए नेप्थलीन की गोली उसके साथ रखना चाहिए। उन्हें वातानुकूलित कक्ष में रखे तथा उनपर लेमिनेशन भी कराया जा सकता है। भोजपत्र तथा ताड़-पत्र जब उत्खनन से प्राप्त होते हैं, उन्हें साफ करने के लिए एक बर्त्तन में पानी को खौलाते हैं। इस बर्त्तन के

मुँह पर एक जाली रखकर उसपर इन्हें फैलाकर रखा जाता है तथा बाद में सोख्ता कागज पर रखकर इन पर के प्रदूषण को सुखाया जाता है। फिर 10% विनायल एसिटेट का लेप लगाया जाता है। इनके बदले अल्कोहल तथा ग्लिसरीन के घोल का भी प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात स्याही के रंग को पक्का करने के लिए 5% सेल्युकोवएसीटेट का घोल और मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। कीटाणु को नष्ट करने के लिए फ्युमीगेशन चैम्बर में रखकर रासायनिक घोल का धुआँ दिया जाता है। चमड़ा का सामन धूप में टूटता है। इसलिए इसे बुरादे के भीतर रखते हैं अथवा कागज अथवा कागज की लुग्दी से इसे ढँका जाता है। दीमक से बचाने के लिए अजवाईन के सत्तू का घोल तथा कोयले के धुआँ का प्रयोग होता है। अगर उनपर धब्बा हो तो उसे चाकू से खुरचकर तथा स्वच्छ पानी से धोकर उसपर 10% बिनायल एसीटेट का घोल लगाना चाहिए। उत्खनन में हड्डियाँ भी मिलती हैं। इन्हें केवल पानी से साफ नहीं किया जा सकता। एक ही हड्डी के विभिन्न टुकड़ों को तार से जोड़कर सही आकार दिया जाता है। फिर इन्हें एसेटिक एसिड के 15% घोल में डुबोकर छाया में सुखाया जाता है। काँच की वस्तुओं को केवल धोने से साफ नहीं किया जा सकता है। इन्हें चाकू से ही धीरे-धीरे साफ करना चाहिए। इसके बाद पानी विनायल एसीटेट का घोल इन पर लगाना चाहिए।

8.2.3 परिरक्षण और मरम्मत :

8.2.3.1. परिरक्षण तथा मरम्मत संरक्षण के दो अभिन्न भाग हैं। मरम्मत परिरक्षण का दूसरा पक्ष है। कुशल कारीगरों द्वारा छाया प्रति के आधार पर टूटे हुए भाग का इस प्रकार मरम्मत किया जाय कि वस्तु अपना मौलिक रूप प्राप्त कर ले। भारत सरकार के आर्कियोलॉजिकल सर्वे में तथा बड़े-बड़े संग्रहालयों में संरक्षण (conservation) विभाग होता है जिसके कार्यकता अपनी देख-रेख में पुरावशेषों की मरम्मत का कार्य करवाते हैं। पुरावशेषों का पुनरूद्धार प्राचीन काल में भी होता रहा है। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। आधुनिक काल में रायल ऐशिएटिक सोशायटी ने भी यह कार्य प्रारम्भ किया था। 1863 ई० में इसके लिए कानून बना जिससे सरकार के ऐतिहासिक और वास्तुगत महत्त्व के 'स्मारको' की क्षति को रोकरने तथा परिरक्षण का अधिकार मिला। 1870 ई० में यह तय हुआ कि पुरासामग्रियाँ तभी शिक्षा के लिए उपयोगी हैं जबतक कि वे मूलरूप से संरक्षित रहें। 1878 ई० में Indian Treasure Trade Act पास हुआ। 1881 ई० में लार्ड लिटन के गवर्नरशिंप के काल में पुरातन तथा ऐतिहासिक भवनों के परिरक्षण केन्द्रीय सरकार तथा राष्ट्र का दायित्व है। जब सर जॉन मार्शल 1902 ई० पुरातत्त्व विभाग के डायरेक्टर जेनरल बने तो उन्होंने परिरक्षण के लिए निम्न सिद्धान्त लागू किए--(1) उसी वस्तु को इसमें लिया जाय जिनको इसकी आवश्यकता है। (2) वस्तु के प्रत्येक अंग को सुरक्षित रखा जाय तथा इसको तोड़ा या मरम्मत तभी किया जाय जबकि इसके बिना उसे सुरक्षित रखना संभव न हो। (3) मरम्मत का कार्य पत्थर पर खचित चित्रण, लकड़ी पर की गई कलाकारिता, भवनों में बनाये गए मोड़ तथा पलास्टर आदि को तभी किया जाय जब उसके लिए उपयुक्त कलाकार प्राप्त हो। (4) किसी भी स्थिति में ऐतिहासिक तथा दूसरे दृश्यों को फिर से न बनाया जाय। इन मूल आधार को लेकर मार्शल ने Conservation Manual बनाया। 1904 ई० में Ancient Movements Preservation Act (VII) पारित हुआ था जिसके अनुसार पुरा स्मारकों तथा सामग्रियों के परिरक्षण का दायित्व केन्द्रीय सरकार को दिया गया।

8.2.3.2. परिरक्षण के सम्बन्ध में बने नियम के प्रावधान के अनुसार परिरक्षण के लिए उपयुक्त पुरावशेषों को Protected घोषित किया गया। इसके विषय में इस कानून में निम्न बातें कही गई हैं– कोई खड़ी वस्तु अथवा भवन, कोई गुहा, प्रस्तर मूर्ति, अभिलेख, एकाश्मक, थम्भ, जो ऐतिहासिक पुरातात्त्विक और कलात्मक महत्त्व के हों तथा कोई भग्न स्मारक हों जिसमें सम्मिलित हैं– (1) पुरास्थल एवं पुरास्मारकों का स्थान, (2) इससे सटे भू भाग जिसकी आवश्यकता इसको घेरने, ढँकने या स्मारक की सुरक्षा के लिए हो, (3) वह सुगमता से आने-जाने के मार्ग की भूमि। इस कानून के अनुसार कोई ऐसी वस्तु जिसे स्थानान्तरित न किया जा सके तथा जिसे सरकार उनके ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक संगठनों के कारण परिरक्षित करना उचित समझे ताकि उनकी हानि न हो, उन्हें कोई हटा न सके तथा उनकी बिक्री न की जा सके। इस कानून द्वारा धार्मिक महत्त्व की वस्तुओं को छोड़कर इन्हें खरीदने का अधिकार सरकार के परिरक्षण प्राप्त है। धार्मिक स्मारकों के परिरक्षण की व्यवस्था संस्था की रजामंदी पर करने की व्यवस्था की गई है जो पुरासामग्रियाँ अपने वास्तु से अलग हो गई हों इनको परिरक्षण से रोका गया, पर उनके स्थानान्तरण को प्रतिबाधित किया गया और राजकीय सूचना देकर सरकार को उन्हें खरीदने का अधिकार दिया गया।

8.2.3.3. सांस्कृतिक महत्त्व की वस्तुओं को देश से बाहर भेजना भी सरकार ने प्रति बन्धित किया। इस सम्बन्ध में अनेक कानून पारित किये गए। 1947 ई० के Antiquities (Export Control) Act के अनुसार सक्षम अधिकारी से लाइसेंस प्राप्त किए बिना ऐसी कोई सामग्री विदेश भेजना अपराध घोषित किया गया। Sea Custom Act 1878 ई० में भी इसी प्रकार का प्रावधान है। 1972 ई० में पारित Antique ties and Treasurere Act के अनुसार व्यक्तिगत तथा संस्थागत पुरानिधियों के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। यूनेस्को ने भी विदेश में गई किसी देश की पुरासामग्रियों को लौटाने के विषय में Convention for prohibiting and preventing Illecit Import, Export and Transfer of Cultural Property नामक कानून बनाया।

8.3 सारांश

संग्रहालय का प्रारम्भिक कार्य है प्रदर्श पुरानिधि का परिरक्षण करना। वस्तुत: पुरानिधि अथवा पुरावशेषों का संरक्षण (Conservation) अपने अतीत को जीवित रखने के लिए आवश्यक है। संरक्षण के दो अभिन्न अंग हैं– परिरक्षण तथा जीर्णोधार। परिरक्षण का अर्थ है पुरानिधि को सुरक्षित रखना। इन सामग्रियों को प्रदूषण, व्याधियों, आघातों, क्षरण तथा कीटों आदि से बचाकर रखना चाहिए। संग्रहालय से सामग्रियाँ चोरी न जाय इसके लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। भारत सरकार ने अनेक कानून बनाकर हमारे पुरावशेषों की सुरक्षा की व्यवस्था की है। पुरानिधि, प्राचीन मूर्तियाँ, चित्रकारी, सिक्के, मिट्टी के सामान आदि की सुरक्षा के लिए इन्हें विभिन्न संग्रहालयों को सौंपा जाता है ताकि इनका रिकार्ड रहे। वैसे व्यक्तिगत अथवा संस्थागत ऐसी सामग्री कर रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) कराना भी आवश्यक परिरक्षण के लिए प्रमुख संग्रहालयों में प्रयोगशाला होता है। लखनऊ में भारत सरकार द्वारा स्थापित National Laboratory for Conservation of Cultural Property है जहाँ पुरावशेषों के परिरक्षण सम्बन्धी-कार्य होते हैं।

यह संसार नश्वर है यह केवल जीव-जन्तुओं पर ही नहीं, बल्कि सभी प्रकार की जड़-चेतन वस्तुओं पर लागू होता है। इसलिए संग्रहालय में संगृहीत सामग्रियों, आर्गेनिक तथा इन आर्गेनिक (organic and Inorganic) का भी निरन्तर ह्रास होता है। इस ह्रास के अनेक कारण है, जैसे– प्राकृतिक कारण तथा जानबूझकर किया गया नुकसान प्राकृतिक कारणों में ऊष्मा, प्रकाश, आर्द्रता, धूल, प्रदूषण आदि प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त चोरी, बिजली का शार्ट सर्किट से आग लगना, प्रयोग में हुई भूल, स्थानान्तरण में हुई क्षति आदि कारणों से भी सामग्रियों की क्षति होती है। इन सबसे सामग्रियों की रक्षा करनी चाहिए ताकि सामग्री यथावत बनी रहे। इनके लिए सफाई, विभिन्न रसायन का प्रयोग, प्रकाश की व्यवस्था, ऊष्मा से सुरक्षित रखने के उपाय, दर्शकों द्वारा होने वाले संभावित क्षति के प्रति संग्रहालय कर्मचारियों की सतर्कता आदि आवश्यक है। सभी प्रकार की सामग्रियों का परिरक्षण एक ढंग से नहीं होता। सामग्री प्रकृति, आधार सामग्री आदि को ध्यान में रखकर परिरक्षण का समुचित उपाय करना चाहिए।

वस्तुओं का केवल परिरक्षण ही नहीं, बल्कि मरम्मत भी संरक्षण का आवश्यक अंग है। मरम्मत की आवश्यकता उस वस्तु को उसका मूल रुप प्रदान करना है। भारत सरकार के पुरातात्त्विक विभाग ने इस ओर ध्यान दिया है इसके लिए कानून भी बनाये गए। इतना ही नहीं पुरानिधि को देश से बाहर ने भेजा जाय इसके लिए भी कानून बनाये गए। यूनेस्कों ने भी इसकी व्यवस्था की है ताकि चोरी से विदेशों में भेजे गए पुरानिधि को पुनः उसके मूल देश को वापस किया जा सके।

8.4 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. संरक्षण के कौन से दो महत्त्वपूर्ण अंग हैं?
2. भारत सरकार द्वारा स्थापित National Laboratetory for Conservation of Cultural Property कहाँ स्थित है?
3. वस्तुओं के ह्रास के दो मुख्य कारण कौन-कौन से हैं?
4. वस्तुओं के ह्रास के प्रमुख प्राकृतिक कारणों का उल्लेख करें।

8.5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. नमक, गैस एवं धुआँ किस प्रकार वस्तुओं के ह्रास का कारण बनते हैं और इनसें बचाव के क्या उपाय हैं ?
2. प्रकाश से सामग्री को किस प्रकार हानि होती है तथा उससे बचाव के क्या उपाय हैं? इस पर प्रकाश डालिए।
3. ऊष्मा और आर्द्रता, दोनों ही, वस्तु के ह्रास के कारण हैं। इनसें किस प्रकार क्षति पहुँचती है और उनसे बचाव के क्या उपाय हैं? संक्षेप में वर्णन करें।
4. सोना, चाँदी तथा लोहा-इस्पात की सामग्रियों के परिरक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करें।
5. वस्त्र, कागज, भोज-पत्र, ताड़-पत्र जैसे सामग्रियों के परिरक्षण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करें।

8.6 संदर्भ ग्रंथ

1. संग्रहालय की ओर – डॉ॰ शिवस्वरूप सहाय
2. म्यूजियम स्टडीज – बी॰एस॰ अग्रवाल
3. इन्ट्रोडक्शन टू म्यूजियम वर्क – जी॰ई॰ वरका
4. म्यूजियम एण्ड कल्चरल हेरिटेज – नीलरतन बनर्जी
5. म्यूजियम टुडे – ग्रेस मोर्ले
6. संग्रहालय विज्ञान – गिरिश चन्द्र शुक्ल एवं विमलेश कुमार पाण्डेय

❑❑❑

संग्रहालय : सांस्कृतिक एवं मनोरंजक क्रियाएँ
(Museum Activities : Cultural and Recreational)

9.0. उद्देश्य

इस पाठ का उद्देश्य है संग्रहालय के सांस्कृतिक एवं मनोरंजक क्रियाओं पर प्रकाश डालना।

9.1. भूमिका

संग्रहालय एक ऐसा स्थान होता है जिसमें हमारी सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहती है जिसका ज्ञान हमें उनके अवलोकन से होता है। मनुष्य अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहता है। अधिकांश मनुष्य को अपनी सांस्कृतिक विरासत को जानने के लिए समय नहीं बचता। ऐसे व्यक्तियों के लिए कम समय में संग्रहालय अपेक्षित ज्ञान देता है। इससे उनका मनोरंजन भी होता है, चूँकि जिस प्रकार का जीवन वे अपनी दिनचर्या में व्यतीत करते हैं उससे भिन्न संग्रहालय परिसर में उन्हें अनुभूति होती है। विभिन्न वर्गों के लोगों का जमघट वहाँ होता है, मेला जैसा दृश्य होता है, जिससे लोगों का स्वाभाविक मनोरंजन होता है। संग्रहालय के कक्षों में संगृहीत विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को अपनी रूचि की सामग्रियों को देखकर दर्शक आनन्दित होते हैं। प्राचीन मूर्तियों, वेश-भूषा, नृत्य-संगीत से सम्बन्धित प्राचीन सामग्री, चित्र आदि दर्शकों का न केवल ज्ञान वर्द्धन करते हैं, बल्कि उनका मनोरंजन भी करते हैं। संग्रहालय सांस्कृतिक क्रियाओं से भी सम्बद्ध है तथा संग्रहालय शैक्षणिक क्रियाएँ भी सम्पन्न करता है।

9.2 मुख्य पाठ

9.2.1 मनोरंजक क्रियाओं को हम संग्रहालय के साथ निम्न प्रकार से जुड़ा पाते हैं– व्यस्ता के बाद मनोरंजनार्थ संग्रहालय में जाना, विविध रूचि की सामग्रियों का संग्रह, श्रव्य उपकरणों का प्रयोग, टी० वी० का प्रयोग, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, परिभ्रमण, प्रदर्शनियों का आयोजन, कार्यशाला की स्थापना, चलचित्रों का प्रदर्शन, जीव-जन्तुओं का साहचर्य, खेल के द्वारा सीखने की व्यवस्था, व्याख्यानों एवं विचार-विमर्श का आयोजन, चित्रित कार्य, फोल्डर (folder) का वितरण एवं विक्रय।

9.2.1.1 कुछ विशेष महत्त्वपूर्ण अवसरों को छोड़कर संग्रहालय खुले रहते हैं, जबकि अन्य संस्थानों में सार्वजनिक छुट्टी रहती है। यहाँ तक कि रविवार को भी संग्रहालय बन्द नहीं रहता। अर्थात् जब सामान्य जनता को छुट्टी रहती है वे संग्रहालय का लाभ उठा सकते हैं। अर्थात् अन्य दिनों की व्यस्त जिन्दगी से अवकाश पाकर मनोरंजन के लिए सपरिवार संग्रहालय जा सकते हैं। संग्रहालय परिसर खुला होता है जिसमें पेड़ लगे होते हैं फूल-पत्ते एवं घास से भरा मैदान होता है। दर्शक यहाँ बैठकर पिकनिक का आनन्द उठा सकते हैं। अतः संग्रहालय परिसर को इस प्रकार बनाया जा सके कि दर्शक सपरिवार आनन्द उठा सके, बच्चे खेल सके तथा साथ ही साथ संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तुओं को देखकर आनन्द उठा सकें।

9.2.1.2 संग्रहालयों में विविध रुचि की सामग्रियाँ संगृहीत होती हैं, चाहे वह बहुउद्देशीय हों अथवा एक पक्षीय (जैसे- कला संग्रहालय, संगीत संग्रहालय, विज्ञान संग्रहालय आदि)। उनमें अनेक प्रकार की सामग्रियाँ संगृहीत होती हैं। संग्रहालय में बच्चे, बूढ़े, शिक्षित-अशिक्षित सभी आते हैं और वे अपनी रूचि के अनुसार उन दीर्घाओं में विशेष रूप से घूमते हैं जिनमें उनकी रूचि की सामन्तियाँ प्रदर्शित होती हैं। वे उन वस्तुओं को देखकर आनन्द उठाते हैं।

9.2.1.3 दर्शकों की सुविधा के लिए श्रव्य उपकरणों का उपयोग संग्रहालयों में होने लगा है। इन उपकरणों के माध्यम से विभिन्न वीथियों अथवा दीर्घाओं के दर्शकों एक साथ विभिन्न प्रदर्शों के सम्बन्ध में जानकारी दी जाती है। इन उपकरणों द्वारा सूचना देने वाले की वाणी जितनी प्रभावशाली होगी दर्शक को इतना ही आनन्द प्राप्त होगा। इस प्रकार दर्शकों को संग्रहालय भ्रमण अधिक सार्थक प्रतीत होगा।

9.2.1.4 दर्शकों के मनोरंजन के लिए टी० वी० (Television) का भी प्रयोग होने लगता है। इनपर न केवल प्रदर्शों को देखा जा सकता है, बल्कि उनके विषय में जानकारी को सुना भी जा सकता है। टी०वी० के माध्यम से कला का इतिहास विभिन्न युगों में प्रचलित आभूषणों श्रृंगार सामग्री, सिक्कों, अस्त्र-शस्त्र आदि का ज्ञान लोगों को दिया जा सकता है। इससे संग्रहालय के प्रति लोगों में आकर्षण बढ़ता है और वे स्वयं इन प्रदर्शों को देखकर आनन्दित होना चाहते हैं।

9.2.1.5 संग्रहालयों में कभी-कभी सामाजिक जीवन की झाँकी प्रस्तुत करने के लिए सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

9.2.1.6 कभी-कभी संग्रहालय की आरे से परिभ्रमण (Excursion) का आयोजन होता है जिसमें नवयुवकों को एकत्र कर किसी महत्त्वपूर्ण स्थान पर ले जाती है। ऐसे महत्त्वपूर्ण पुरातात्त्विक स्थलों से पुरावशेष एकत्रित करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है। वैसे ऐसे कार्यों के लिए संग्रहालय के पास अपना बजट नहीं होता, बल्कि ऐसे कार्य स्वेच्छाचारी समुदाय के सहयोग से ही संभव हैं। परन्तु ऐसे आयोजनों से लोगों का भरपूर मनोरंजन होता है।

9.2.1.7 लोगों को अपने क्षेत्र के अलावे दूसरे क्षेत्रों प्रान्तों तथा देशों के विषय में जानकारी देने के लिस संग्रहालय द्वारा प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाता है।

9.2.1.8 संग्रहालयों में कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाता है। इसमें कुछ सामग्रियों को प्रदर्शन दीर्घा में रखा जाता है और उनको फिर से बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इससे खीसने की प्रवृत्ति जागृत होती है।

9.2.1.9 संग्रहालय द्वारा संग्रहालय परिसर में चलचित्र भी समय-समय पर जाता है। प्रदर्शों का स्लाइट (Slide) बनाकर उनके प्रोजेक्टर पर दिखाया जाता है तथा उनके विषय में जानकारी दी जाती है। इससे लोगों का ज्ञानवर्द्धन के साथ-साथ मनोरंजन भी होता है।

9.2.1.10 आज के संग्रहालय में जीव-जन्तुओं को भी घेरे के अन्दर रखा जाता है ताकि दर्शक इन्हें देख सकें, इनकी जीवन-पद्धति आदि के विषय में जानकारी प्राप्त कर आनन्दित हो सकें।

9.2.1.11 प्राय: संग्रहालय में समय-समय पर व्याख्यानों एवं विचार-विमर्श का आयोजन किया जाता है। इसमें किसी विषय पर चर्चा होती है जिसमें दर्शक भी भाग लेते हैं।

9.2.1.12 संग्रहालय में प्रदर्शित जो प्रदर्श अच्छे होते हैं उनका रंगीन कार्ड बनाकर दर्शकों को बेचा जाता है। अथवा कई प्रदर्शों के रंगीन कार्ड को एक फोल्डर में रखकर वितरित अथवा बिक्री की जाती है। दर्शक अपने मनोरंजन तथा संग्रहालय भ्रमण की याद ताजा करने के लिए इन्हें बार-बार देखते हैं और आनन्दित होते हैं।

9.2.2 संग्रहालय में प्रदर्शित प्रदर्श हमारी संस्कृतिक परम्परा के अंग हैं। इनके द्वारा हमारा सांस्कृति गौरव उजागर होता है तथा इनसे परिचित होने अथवा इनसे आकर्षित होकर देश-विदेश के पर्यटक संग्रहालयों में आते हैं। अत: संग्रहालय की विभिन्न सांस्कृतिक क्रियाओं से जुड़े हुए हैं। ये क्रियाएँ हैं-सांस्कृतिक कार्यों का आयोजन, सांस्कृतिक विकास को प्रदर्शित करना, खोजी एवं खोजों से परिचित हानेा, धार्मिक विकास और वैविध्य से परिचय, शिल्प एवं कौशल का ज्ञान, विशिष्ट कालीन सांस्कृतिक प्रदर्शनियों का आयोजन, सौन्दर्योंयासना और चित्र की दिशा का परिचय, परम्परा को जीवित करने का प्रयास, पूर्वजों से परिचित होना तथा आदरभाव जाग्रत होना, मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता तथा राष्ट्र निर्माताओं के प्रति श्रद्धा।

9.2.2.1 जहाँ तक **संग्रहालय की सांस्कृति क्रियाओं** का प्रश्न है हम जानते हैं कि संग्रहालय के प्रदर्श उस देश की सांस्कृतिक विरासत को उजागर करते हैं तथा देश के गौरव को बढ़ाते हैं। संग्रहालय के कर्मचारी समय-समय पर लोगों को सांस्कृतिक जीवन की झाँकी प्रस्तुत करने के लिए स्थानीय कलाकरों को आमंत्रित करके नृत्य, संगीत, वेश-भूषा प्रदर्शन आदि के द्वारा स्थानीय संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं।

9.2.2.2 संग्रहालय देश के सांस्कृति विकास को प्रदर्शित करता है। संग्रहालय में जो प्रदर्श रखे जाते हैं, उन्हें एक क्रम में रखा जाता है ताकि लोग प्रारंभ से लेकर आज तक उस क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो सकें। ये प्रदर्श मूर्तियों चित्रों, शस्त्र-अस्त्र वेश-भूषा आदि के अवशेष (जहाँ इनका अभाव है वहाँ उनके मॉडलों के द्वारा कमी की पूर्ति की जाती है-- के रूप में होते हैं।

9.2.2.3 मानव सभ्याता के विकास में समय-समय पर विवेकशील मानव द्वारा आविष्कार का योगदान रहा है। संग्रहालय में इन आविष्कारों के साथ-साथ आविष्कारकों के जीवन को भी प्रदर्शित किया जाता है। दर्शक इन्हें देखकर इस बात से अवगत होता है कि किन परिस्थितियों में ये आविष्कार किए गए।

9.2.2.4 संग्रहालय धार्मिक विकास और उनमें विविधता से हमें परिचित करता है। मूर्तियाँ यहाँ की सामान्य प्रदर्श हैं। इनसे हमें यह ज्ञात होता है कि किस समय कौन-कौन सी धार्मिक परम्पराएँ, समुदाय और मान्यताएँ प्रचलित थीं। कब कौन सा धार्मिक सम्प्रदाय अधिक लोकप्रिय था।

9.2.2.5 संस्कृति का एक अंग शिल्प और कौशल होता है। संग्रहालय में प्रस्तुत वस्तुएँ किसी काल के शिल्पी के कौशल की देन होती हैं, इससे निर्माता के युग की रूचि, मान्यता, चलन, परम्परा, परिवेश आदि तत्त्वों का ज्ञान मिल जाता है इससे यह ज्ञात होता है कितना तत्त्व अपने पूर्व की कला परम्परा से लिया है, कितना बाहरी प्रभाव है और कितना उस की मौलिक देन है।

9.2.2.6 संग्रहालय कभी-कभी विशिष्टकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियों के प्रदर्शन हेतु प्रदर्शनियों का आयोजन करता है। इसमें उस काल की वेशभूषा, आभूषण, भवनों के चित्र, मूर्तियाँ, मिट्टी के खिलौने तथा बर्त्तन, चित्र, धार्मिक जीवन, उत्सव, सिक्के, आदि का प्रदर्शन किया जाता है। प्रदर्शन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए चार्ट, मॉडल, पोस्टर तथा श्रव्य माध्यम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रदर्शन को देखकर लोग उस काल की जीवनशैली तथा सांस्कृतिक परिवेश से परिचित होते हैं।

9.2.2.7 संग्रहालय हमारे अतीत को जीवित रखने में विशेष योगदान देता है। यहाँ हम अपने अतीत से परिचित होते हैं। आज के पूर्व जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारी प्रगति कितनी थी, इसकी जानकारी मितली है। इससे हमें अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा जागृत होती है।

9.2.2.8 संग्रहालय का प्राकृतिक इतिहास दीर्घा हमें हमारे भौगोलिक परिवेश जीव-जन्तु तथा वनस्पतियों से परिचित कराता है। यह ज्ञान हमें अपनी मातृभूमि का पूर्ण ज्ञान देकर हमें उससे जोड़ने में सफल होता है। अपनी मातृभूति के प्रति हमारी भक्ति जागृत होती है।

9.2.2.9 संग्रहालय में हमारे राष्ट्र निर्माताओं से सम्बन्धित जानकारी भी संगृहीत एवं प्रदर्शित की जाती है जिससे हम अपनी श्रद्धा उन्हें अर्पित कर सकें तथा उनके द्वारा स्थापित मूल्यों को अपने जीवन में अपना सकें।

9.2.3. संग्रहालय की भूमिका :

9.2.3.1 संग्रहालय की भूमिका एक शैक्षणिक संस्था के रूप में अब पहचाना जाने लगा है। वस्तुतः संग्रहालय के अनेक कार्यों में सबसे प्रमुख है नाम की खोज, उनमे वृद्धि तथा उन्हें जन-जन तक पहुँचाना। संग्रहालय को शिक्षा केन्द्र के रूप में विकसित करना वर्त्तमान शिक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक है चूँकि पुस्तकों से अर्जित ज्ञान के साथ-साथ अपनी आँखों से विद्यार्थी देखकर उसमें वृद्धि करता है।

9.2.3.2 इस क्षेत्र में नेशनल काउंसिल आफ सायंस म्यूजियम के अन्तर्गत सायंस एवं टेकनॉलॉजी म्यूजियम अपवाद है। शिक्षा के क्षेत्र में इसने अपने विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा काफी प्रगति की है। ये कार्यक्रम है-पाठ्यक्रमों के आधार पर कार्यक्रम, दर्शकों की भागीदारी, प्रदर्शन और ग्रामीण क्षेत्रों में खुले आकाश के नीचे संग्रहालय वार्षिक विज्ञान मेला तथा घुमन्तु वाहन कार्यक्रम का आयोजन आदि।

9.2.3.3 नई दिल्ली का नेशनल म्यूजियम आफ नेचुरल हिस्ट्री भी शिक्षा से जुड़ा है और उसका डिस्कवरी रूम शिक्षा का अभूतपूर्व माध्यम है इसके द्वारा आयोजित 'नेचुरल हिस्ट्री' पर चित्रांकल कार्यक्रम एक महान सफलता मानी जाती है। इसी प्रकार 'रेल ट्रांसपोर्ट म्यूजियम' रेलवे ईंजन का इतिहास हमारे समक्ष उपस्थि करता है।

9.2.3.4 संग्रहालय के शैक्षणिक महत्त्व को सर्वप्रथम स्वर्गीय आशुतोष मुखर्जी ने पहचाना। 1915 ई॰ उन्होंने इस बात की घोषण की कि संग्रहालय मनुष्य के कार्यों का लेखा-जोखा सुरक्षित रखता है जिसका उपयोग ज्ञान वर्द्धन तथा मनोरंजन के लिए किया जा सकता है। स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने भी 1951 ई॰ गवर्नमेन्ट म्यूजियम मद्रास की शताब्दी समारोह के अवसर

पर कहा था कि प्राचीन वस्तुओं का संग्रहालय हो अथवा आधुनिक जीवन का लोगों को इन्हें देखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। इसके लिए व्याख्यान की व्यवस्था होनी चाहिए।

9.2.3.5 संग्रहालय में संगृहीत वस्तुओं के प्रति स्कूली बच्चों में रूचि जागृत करना चाहिए। चूँकि बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति अधिक होती है। 1960 ई॰ में नेशनल म्यूजियम में बोलते हुए नेहरूजी ने कहा था कि संग्रहालय केवल विचित्र वस्तुओं को देखने की जगह ही नहीं है, बल्कि यह शैक्षणिक व्यवस्था तथा देश के सांस्कृतिक कार्य का प्रमुख अंग है। बच्चों के लिए विशेष रूप से बनाये गए संग्रहालय, नई दिल्ली, लखनऊ तथा देश के अन्य स्थानों में है।

9.2.3.6 संग्रहालय के अध्यक्ष के माध्यम से संस्कृति के प्रचार का कार्यक्रम बनाना चाहिए। उस दिशा में संस्कृति विभाग ने नेशनल काउसिल ऑफ एडुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से मिलकर राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली को इसका केन्द्र बनाया, ताकि स्कूल एवं कॉलेजों के बीच संस्कृति का प्रचार हो सके।

9.2.3.7 संग्रहालय जहाँ विभिन्न क्षेत्रों में आधार भूत ज्ञान के लिए साधन उपलब्ध कराते हैं, वही पुरातत्त्व, कला, संगीत, नृत्य, साहित्य, इतिहास, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, भुगर्भ विज्ञान, धातु विज्ञान, कृषि विज्ञान, औषधि विज्ञान, भौतिक एवं रसायन विज्ञान एवं तकनीक आदि में शोध कार्य हेतु सामग्री उपलब्ध कराते हैं।

9.2.3.8 विद्वानों का सुझाव है कि सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति में, स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय का संग्रहालय तथा शोध संस्थानों को महत्त्व देना चाहिए और ऐसा तरीका ढूँढ़ना चाहिए कि शिक्षा एवं शोध के लिए उनका सही उपयोग हो सके। जैसे अस्पतालों के अभाव में मेडिकल कॉलेजों में सही शिक्षा नहीं दी जा सकती उसी प्रकार इन संग्रहालयों का महत्त्व स्कूल एवं कॉलेजों के लिए है।

9.2.3.9 अत: संग्रहालयों की शैक्षणिक भूमिका और देश के लिए उसके महत्त्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। बहुत सी चीजें पुस्तकों के वनिस्वत संग्रहालय में घूमकर जानी जाती जा सकती हैं। अगर हमें अपनी आजादी का इतिहास जानना है तो चित्रों के माध्यम से यह अच्छी तरह जाना जा सकता है विशेषकर बच्चों के लिए। मूर्तियां की शैली एवं उसकी खूबियाँ, उन्हें देखकर ही हम सही ढंग से जान सकते हैं।

9.3. सारांश

संग्रहालय अनेक सांस्कृतिक क्रियाएँ सम्पन्न करता है। वह सांस्कृति कार्यों का आयोजन करता है। वह सांस्कृतिक विकास को प्रदर्शित करता है। लोगों को खोजों एवं खोजकर्त्ता से परिचित कराता है। ध र्मिक विकास से परिचित कराता है। हमें शिल्प एवं कौशल का ज्ञान देता है। कभी-कभी विशिष्ट कालीन सांस्कृतिक प्रदर्शनियों का आयोजन करता है। वह सौन्दर्यों पाशना और चित्र की दिशा का हमें परिचय देता हैं। वह हमारी परम्परा को जीवन करने का प्रयास करता है। वह हमें अपने पूर्वजों से परिचित कराकर उनके प्रति आदर भाव जागृत करता है। वह हमें अपनी मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता का पाठ पढ़ाता है तथा राष्ट्र निर्माताओं के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करता है। संग्रहालय हमें मनोरंजन का भी अवसर प्रदान करता है। हम अपने व्यस्त जीवन से थककर संग्रहालय में अपना मनोरंजन कर सकते है।

संग्रहालय में प्रदर्शित सामग्रियाँ ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण संग्रहालय परिसार को इस दृष्टिकोण से तैयार किया जाता है। संग्रहालय में विविध रूचि की सामग्रियाँ प्रदर्शित होती हैं। इनकी जानकारी दर्शकों श्रव्य उपकरणों के प्रयोग द्वारा अधिक प्रभावी ढंग से दी जाती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए टी०वी० का भी प्रयोग किया जाता है। दर्शकों के मनोरंजन के लिए संग्रहालय द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता हैं। संग्रहालय परिभ्रमण तथा प्रदर्शनियों का भी आयोजन करता है। संग्रहालय में कार्यशाला की भी स्थापना की जाती है ताकि लोग करके तीखे/चलचित्रों का भी प्रदर्शन किया जाता है। समय-समय पर व्याख्यान का भी आयोजन किया जाता है। संग्रहालय परिसर पिकनिक स्थल के रूप में भी विकसित किया जाता है। आकर्षक एवं अन्य महत्त्वपूर्ण प्रदर्शों के चित्रित कार्ड, फोल्डर आदि बनाकर विक्रय अथवा वितरण किया जाता है। संग्रहालय की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका शिक्षण संस्था के रूप में है जिसे अब पहचाना जाने लगा है। शिक्षा को ध्यान में रखकर अनेक प्रकार के संग्रहालयों की स्थापना की गई हैं स्वर्गीय आशुतोष मुखर्जी ने संग्रहालय के ज्ञानवर्द्धन एवं मनोरंजन के लिए उपयोग पर बल दिया है। नेहरू जी ने भी शिक्षा के लिए संग्रहालय के उपयोग पर बल दिया है। संग्रहालय बच्चों को सीखने का अधिक अवसार प्रदान करते हैं। संग्रहालय संस्कृति के प्रचार का कार्य करता है। संग्रहालय आधारभूत ज्ञान के लिए सामग्री उपलब्ध कराते हैं चाहे ज्ञान का कोई भी क्षेत्र क्यों न हो। शिक्षा पद्धति में संग्रहालयों एवं शोध संस्थानों को विशेष महत्त्व प्रदान करना चाहिए।

9.4 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. संग्रहालय में श्रव्य उपकरण का प्रयोग किया जाना है। मनोरंजन से इसका क्या सम्बन्ध है?
2. प्रदर्शनियाँ किस प्रकार मनोरंजन करती हैं ?
3. विशिष्ट कालीन सांस्कृतिक प्रदर्शनियों के आयोजन से आप क्या समझते हैं ?
4. स्वर्गीय आशुतोष मुखर्जी ने संग्रहालय के शैक्षणिक महत्त्व के विषय में कब और क्या कहा था ?

9.5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. संग्रहालय के मनोरंजक क्रियाओं पर प्रकाश डालिए।
2. संग्रहालय के सांस्कृतिक क्रियाओं पर प्रकाश डालिए।
3. संग्रहालय के शैक्षणिक क्रियाओं पर प्रकाश डालिए।

9.6 संदर्भ ग्रंथ

1. संग्रहालय की ओर – डॉ० शिवस्वरूप सहाय
2. म्यूजियम स्टडीज – बी०एस० अग्रवाल
3. इन्ट्रोडक्शन टू म्यूजियम वर्क – जी०ई० वरका
4. म्यूजियम एण्ड कल्चरल हेरिटेज – नीलरतन बनर्जी
5. म्यूजियम टुडे – ग्रेस मोर्ले
6. संग्रहालय विज्ञान – गिरिश चन्द्र शुक्ल एवं विमलेश कुमार पाण्डेय

❑❑❑

संग्रहालय व्यवस्था एवं देख-रेख
(Maintenance and Museum Management)

10.0. उद्देश्य

संग्रहालय की व्यवस्था किस प्रकार करनी चाहिए, उनमें कितने ओर किस प्रयोजन के लिए कर्मचारी हों, जो संगृहीत वस्तुओं का समुचित, प्रदर्शन निरन्तर देख-रेख एवं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करें यहीं इस पाठ का उद्देश्य है।

10.1. भूमिका

संग्रहालय दो प्रकार के होते हैं—व्यक्तिगत अथवा संस्थागत तथा सरकारी। प्रथम कोटि के संग्रहालय व्यक्ति की रूचि पर निर्भर होते हैं। यहाँ किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर वस्तुओं का संग्रह नहीं किया जाता। अतः व्यक्तिगत संग्रहालय का भवन किस प्रकार का हो तथा उसमें संगृहीत सामग्री को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाय तथा ह्रास से बचाया जाय, इस पर विशेष ध्यान ही दिया जाता है। जबकि सरकारी संग्रहालय राष्ट्र धरोहर तथा उसके अतीत को सुरक्षित रखने तथा वर्तमान को सुरक्षित रखकर भावी पीढ़ी को सौंपने के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है। अतः एक निर्धारित योजना पर संग्रहालय भवन का निर्माण किया जाता है। संग्रहालय भवन बनाने के पूर्व ऐसे स्थल का चुनाव किया जाता है जिससे दर्शकों को वहाँ पहुँचने में कोई असुविधा न हो। दूसरा इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि संग्रहालय का उद्देश्य क्या है चूँकि उसी के अनुरूप संग्रहालय भवन की योजना बनाई जाती है। संग्रहालय की व्यवस्था के लिए विभिन्न कार्य हेतु कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, जिनके जिम्मे संग्रहालय में प्रदर्शों के प्रदर्शन, परिक्षण, सुरक्षा पदर्शों का लेखा-जोखा, भण्डारण कक्षों एवं परिसार की सफाई, दर्शकों को सहूलियत अदान-प्रदान करना आदि विभिन्न कार्य होता है। इसके लिए विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति संग्रहालय में की जाती है। जितना बड़ा संग्रहालय होगा उसमें कर्मचारियों की उतनी ही अधिक आवश्यकता होगी।

10.2. मुख्य पाठ

10.2.1 संग्रहालय एक जनसेवी संस्था है। इसका मूल कार्य है दर्शक की भावनाओं को जगाना तथा मानसिक रूप से उसे विकसित करना। यह तभी संभव है जब कि संग्रहालय की व्यवस्था अत्यन्त उच्च कोटि की हो। संग्रहालय की क्रिया एक प्रकार से पारिवारिक व्यवस्था पर आधारित होती है। परिवार का प्रधान जिस प्रकार परिवार की व्यवस्था का नियंत्रक होता है, उसी प्रकार संग्रहालय व्यवस्था का नियंत्रक उसका प्रधान होता है जिसे हम निदेशक, अध्यक्ष अथवा क्यूरेटर कहते हैं। वस्तुतः क्यूरेटर (Curator) छोटे संग्रहालय के अध्यक्ष को कहते हैं जबकि बहुउद्देशीय संग्रहालयों के नियंत्रक को अध्यक्ष अथवा निदेशक कहते हैं।

बड़े संग्रहालयों में विभिन्न विषय के अनेक कक्ष होते हैं जिनमें प्रत्येक कक्ष के लिए एक-एक क्यूरेटर होता है। कभी-कभी किसी संग्रहालय में कला की कई कक्षा होते हैं जिसमें प्रत्येक कक्ष के लिए एक-एक क्यूरेटर होता है और सबके ऊपर संग्रहों की प्राप्ति और शैक्षणिक कार्य तथा दूसरी क्रियाओं पर आधारित होती है। क्यूरेटर का का कार्य जहाँ आन्तरिक व्यवस्था का होता है, वही निदेशक का कार्य सामान्य प्रशासन का होता है। क्यूरेटर एक विभागीय अध्यक्ष होता है और वह उस वर्ग के संग्रह के प्रति उत्तरदायी होता है जिसका वह व्यवस्थापक होता है। उनका कार्य संग्रह को बढ़ाना उसकी देख-रेख करना, योजना तैयार करना, उनका अध्ययन एवं उनका उचित ढंग से प्रदर्शन करना आदि होता है। वह यह सहायक क्यूरेटर की सलाह से करता है। ये निदेशक को भी उसके कार्य में सहायता प्रदान करते हैं।

इनकी सहायता के लिए गैलरी एसिस्टेन्ट (Gallary Assistant) होते हैं जो दर्शकों को उस गैलरी में रखे प्रदर्शों से दर्शक का परिचय कराते है। ये क्यूरेटर के कार्य में भी सहायता करते है।

संग्रहालय मे अनेक तकनीकी सहायक (Technical Assitant) होते हैं जैसे-फोटोग्राफर, चित्रकार, टेक्सीडर्मिस्ट (Texidermist)। इनके अतिरिक्त कक्ष का संरक्षक, चौकीदार, माली, जमादार आदि भी इसमें कार्यरत रहते हैं।

प्रत्येक संग्रहालय में कार्यालय भी होता है जहाँ लिखा-पढ़ी के लिए कार्यालय सहायक (Office Assistant) होते हैं। यह कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों एवं अध्यक्ष के बीच कड़ी का काम करता हैं। उनके सुझाव, उनकी शिकायत, उनकी आवश्यकताओं, वेतन तथा अन्य सुविधाओं सम्बनधी कार्यों का निपटारा करने में अध्यक्ष की सहायता करता है। कार्यालय में इस कार्य के लिए अनेक लिपिक होते हैं। कार्यालय में संग्रहालय में होने वाले आय-व्यय का लेखा-जोखा रखने के लिए एकाउन्टेन्ट तथा कैशियर होते हैं। कार्यालय कर्मचारियों की नियुक्ति, छुट्टियाँ, व्यक्तिगत विवरण, प्रोन्नति, प्रॉविडेन्ड फंड आदि सम्बन्धी कार्य में अध्यक्ष की सहायता करता है।

प्रत्येक संग्रहालय में एक भण्डार-गृह होता है जिसकी जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति को सौंपा जाता है। इसके देखरेख में स्टॉक रजिस्टर रहता है जिसमें प्रत्येक वर्ग की वस्तुओं का रेकार्ड होता है और उन वस्तुओं पर पंजियन अंकित किया जाता है। रजिस्टर में उस वस्तु का विवरण अंकित होता है। कार्यालय के प्रयोग में अथवा संग्रहालय मे उपयोग में आनेवाली वस्तुओं को स्टोर में रखा जाता है। स्टोरकीपर का कार्य है—इन वस्तुओं का लेखा-जोखा रखना। संग्रहालय में एक रिकार्ड कक्ष (Record Room) भी होता है जिसमें संग्रहालय के कार्यकलापों का रिकार्ड रखा जाता है।

संग्रहालय में दैनिक लिपिक (Duty Clerk) भी होता है जिसका कार्य संग्रहालय के खुलने से लेकर बन्द होने तक विभिन्न कर्मचारियों द्वारा सम्पन्न कार्य पर नजर रखना होता है। कक्षों की सफाई परिसर की सफाई आदि जैसे कार्य की देख-रेख इनके जिम्मे होता है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि किसी भी संग्रहालय में निदेशक ही सभी कर्मचारियों के कार्यों के बीच ताल-मेल बैठाता है। उन्हें अनुशासित रखना, आपसी टकराव न हो इस पर ध्यान देना निदेशक की जिम्मेदारी होती है।

10.2.2 संग्रहालय की सारी व्यवस्था संग्रहालय में संगृहीत वस्तुओं की देख-भाल समुचित ढंग से करने के उद्देश्य से की जाती है। संग्रहालय में पत्थर की मूर्त्तियाँ, धातु की मूर्तियाँ तथा अन्य सामान, काँच एवं लकड़ी के सामान तथा वस्त्र एवं कागज के सामन संगृहीत होते हैं। चूँकि ये हमारी प्राचीन संस्कृति के धरोहर हैं, इनमें हमारा अतीत सुरक्षित है, इसलिए इनकी समुचित देखभाल संग्रहालय व्यवस्था की जिम्मेदारी है। इस सम्बन्ध. में दो बातें उल्लेखनीय हैं–संग्रहालय में आने वाली सामग्री में अगर पहले से कोई खराबी हो तो उसे ठीक करना और दूसरी बात यह है कि भविष्य में केई खराबी न हो इस सम्बन्ध में सतर्क रहना। सामग्रियों के परिरक्षण सम्बन्धी पाठ में इस विषय पर पूरा प्रकाश डाला गया है।

क्यूरेटर का कार्य संग्रहालय में आनेवाली वस्तुओं की प्रयोगशाला में जाँच कराये और अगर उसमें कोई खराबी हो तो उसे ठीक कराये। क्यूरेटर के लिए आवश्यक है कि उसे सामग्रियों को नष्ट करने वाले तत्त्वों की पूरी जानकारी हो तथा इस सम्बन्ध में पूरी सावधानी रखे। शीघ्र नष्ट होने वाली सामग्रियों पर विशेष ध्यान चाहिए। कुछ सामग्रियाँ ऐसी होती हैं जिनके स्थानान्तरण में असावधानी बरतने पर इनके टूटने अथवा नष्ट होने की सम्भावना रहती है। प्रकाश की समुचित व्यवस्था, प्रदर्श की धूल कण से बचाव आदि अन्य बातों पर ध्यान देना भी संग्रहालय व्यवस्था का कार्य हैं। संग्रहालय में ऐसी सामग्रियाँ भी होती हैं जिनहें कीड़े-मकोड़े आसानी से नष्ट कर सकते हैं। अतः इनसे बचाव की व्यवस्था करना चाहिए। कपड़ा, कागज तथा चमड़ा जैसे पदार्थों को फफूँदी जैसे, जीवणु से बचाना चाहिए चूँकि फँफूँदी इन्हें नष्ट करने में समक्ष होते है। संग्रहालय में प्रदर्शों की सुरक्षा तथा भण्डार-गृह में रखी सामग्रियों की सुरक्षा ही केवल संग्रहालय व्यवस्था का कार्य नहीं है, बल्कि संग्रहालय से सम्बन्धित अन्य बातों पर भी ध्यान देना पड़ता है।

संग्रहालय में कार्यरत कर्मचारियों का कर्त्तव्य होता है प्रदर्श को बाहरी तत्त्वों से सुरक्षित रखना। प्रत्येक संग्रहालय में दर्शकों की भीड़ रहती है। ये दर्शक प्रदर्शों को छूकर ही केवल उन्हें हानि नहीं पहुँचा सकते, बलिक दर्शक के वेश में चोर भी प्रदर्श-कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं तथा छोटी-छोटी वस्तुओं को चुरा सकते हैं। इसलिए गैलरी सहायक का कर्त्तव्य है इस पर नजर रखे। प्रदर्शों की चोरी न हो जाय इसके लिए सुरक्षा-गार्ड आवश्यक है। ये सुरक्षा गार्ड न केवल प्रवेश द्वार पर पहरा दें, बल्कि संग्रहालय के गैलरियों में भी घूमते रहें ताकि अवांछित दर्शकों पर नजर रख सके।

प्रदर्शों की तथा प्रदर्श-कक्षों की नियमित रूप से सफाई होनी चाहिए। निश्चित समय पर कक्षों के ताले खुलने चाहिए तथा निश्चित समय पर बन्द होने चाहिए। कक्षों को बन्द कर चाभियों को क्यूरेटर के पास अथवा इस हेतु निर्धारित अधिकारी के पास जमा करना चाहिए। अर्थात् कक्षों को खोलने एवं बन्द करने की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति के हाथों में होना चाहिए।

संग्रहालय के अन्दर प्रदर्श कक्षों तक ही संग्रहालय व्यवस्था का कार्य समिति नहीं है, बल्कि संग्रहालय परिसार की साफ-सफाई, पेड़-पौधों की देख-भाल, परिसार में आने वाले वाहनों की व्यवस्था तथा दर्शकों की सुविधा के लिए व्यवस्था करना भी संग्रहालय व्यवस्था का कार्य है।

10.3 सारांश

संग्रहालय में संगृहीत वस्तुएँ हमारे अतीत की याद ताजा करती हैं। ये वस्तुएँ संग्रहालय में सुरखा के दृष्टिकोण से नहीं रखी जातीं, बल्कि लोगों को इनसे परिचित करपरने के लिए रखी जाती हैं। इनसे

दर्शकों का मानसिक विकास होता है और वे अपने अतीत से परिचित होती हैं। अत: इनकी व्यवस्था जितनी अच्छी होती उतना ही लाभ वे उठा सकेंगे। संग्रहालय की क्रिया एक प्रकार से पारिवारिक व्यवस्था पर निर्भर करता हैं। संग्रहालय का एक निदेशक अथवा अध्यक्ष होता है जिनके अधीन अनेक क्यूरेटर, गैलरी सहायक, कार्यालय (जिसमें अनेक लिपिक कार्य करते हैं) तकनीकी सहायक, चतुर्थवर्गीय कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, साफ-सफाई करने वाले कर्मचारी होते हैं। कार्यालय अध्यक्ष एवं अन्य कर्मचारियों के बीच कड़ी का कार्य करता है। दर्शकों की सहायकता के लिए गैलरी सहायक तथा गाइड लेक्चर होते हैं। निदेशक अथवा निदेशक विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करता है तथा उन्हें अनुशासित करता है तथा उनके बीच ताल-मेल बैठता है।

संग्रहालय व्यवस्था का मुख्य कार्य प्रदर्शों की सुरक्षा न केवल चोरों से, बल्कि उन्हें नुकसान पहुँचाने वाले तत्त्वों से भी करना है। इसके लिए समुचित व्यवस्था करना उसका कर्य है। प्रदर्शों की देखभाल के साथ-साथ संग्रहालय परिसर की देख-भाल के साथ-साथ संग्रहालय परिसार की देख-भाल, दर्शकों की सुविधाओं पर ध्यान देना संग्रहालय व्यवस्था का कार्य है।

10.4 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. संग्रहालय के प्रमुख को क्या कहते हैं?
2. विभिन्न कक्षों अथवा गैलरी की देखरेख करने वालों को क्या कहते हैं?
3. तकनीकी सहायक किसे कहते हैं?

10.5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. संग्रहालय के निदेशक के कार्य पर प्रकाश डालिए।
2. क्यूरेटर के कार्यों पर प्रकाश डालिए।
3. संग्रहालय के कार्य पर प्रकाश डालिए।
4. संग्रहालय व्यवस्था के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए।

10.6 संदर्भ ग्रंथ

1. संग्रहालय की ओर – डॉ॰ शिवस्वरूप सहाय
2. म्यूजियम स्टडीज – बी॰एस॰ अग्रवाल
3. इन्ट्रोडक्शन टू म्यूजियम वर्क – जी॰ई॰ वरका
4. म्यूजियम एण्ड कल्चरल हेरिटेज – नीलरतन बनर्जी
5. म्यूजियम टुडे – ग्रेस मोर्ले
6. संग्रहालय विज्ञान – गिरिश चन्द्र शुक्ल एवं विमलेश कुमार पाण्डेय

❑❑❑

पर्यटन का इतिहास एवं स्वरूप (History and Nature of Tourism)

11.0 उद्देश्य

इस पाठ में पर्यटन के इतिहास एवं उसके स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है।

11.1 भूमिका

पर्यटन अर्थात् अपना घर छोड़कर अन्य स्थानों का भ्रमण करना, मानव स्वभाव है। चूँकि वह अन्य स्थानों के विषय में जानना चाहता है। एक स्थान पर रहते-रहते व मनुष्य ऊबने लगता है। अत: अन्य स्थानों के भ्रमण से उसमें ताजगी आती है। पहले बच्चा अपने घर में घूमता है। थोड़ा बड़ा होने पर घर के आस-पास और फिर अपने गाँव में घूमता है। अधिक समझदार होने पर वह गाँव की हद पर कर दूर देशों को देखने के लिए लालायित होता है। मानव जिज्ञासा को शांत करने के लिए पर्यटन आवश्यक है। आजकल पर्यटन को एक उद्योग के रूप में पहचान दी गई है और यह अब विश्व का एक विकसित उद्योग है। प्रत्येक देश की सरकार पर्यटन को प्रोत्साहित करने की चेष्टा कर रही है ताकि अधिक-से-अधिक विदेशी पर्यटक उसके यहाँ आवें और उनके माध्यम से देश में विदेशी मुद्रा की आमद हो। भारत में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन का आयोजन हाल में ही प्रारंभ हुआ है। यहाँ आने वाले विदेशी पर्यटों की संख्या में अमूतपूर्व वृद्धि हुई है। सरकार का ध्यान इन पर्यटकों को अधिक-से-अधिक सुविधा महत्वपूर्ण है साथ-ही-साथ पर्यटन स्थलों को आकर्षक बनाने की ओर भी सरकार का ध्यान है। पर्यटन से न केवल मनोरंजन होता है, बल्कि इससे ज्ञान की भी वृद्धि होती है, पर्यटक विभिन्न देशों का भ्रमण कर वहाँ के रीति-रिवाजों से परिचित होते हैं तथा उनसे अपने लोगों को परिचित कराते हैं। इससे दो देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान होता है तो दोनों देशों के वासियों की एक दूसरे के सम्बन्ध में जानकारी बढ़ती है। अत: पर्यटन मानवजीवन एवं देश के लिए महत्वपूर्ण है।

11.2. मुख्य पाठ

11.2.1 पर्यटन का मानवजीवन के साथ गहरा सम्बन्ध होने के कारण यह जानना आवश्यक है कि भारत में इसकी क्या स्थिति रही है। अर्थात् भारत में पर्यटन का इतिहास जानना आवश्यक है। इसमें कोई संदेह नहीं कि एक उद्योग के रूप में पर्यटन के विकास का इतिहास भारत में अधिक पुराना नहीं है, बलिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के बहुत बाद सरकार ने उद्योग के रूप में इसे विकसित करने की ओर ध्यान दिया।

11.2.1.1. प्राचीन काल में पर्यटन की क्या स्थिति थी यह जानना आवश्यक है। पाषणकालीन मानव एक ही स्थान में रहना पसन्द करता था वह अपनी गुफा से तभी निकलता था जब परिस्थिति उसके अनुकूल हो और आहार की खोज आवश्यक हो। अपनी सुरक्षा उसकी पहली आवश्यकता थी। एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर वह तभी प्रस्थान करता था जबतक उस

स्थान की परिस्थिति प्रतिकूल न जो जाए जैसे वातावरण में बदलाव, पेयजल की कमी अथवा भोजन की कमी। परन्तु कृषि के ज्ञान के साथ ही मानवों की स्थायी बस्तियाँ बसने लगीं। सभ्यता के विकास के साथ ही लोगों ने भ्रमण के महत्त्व को समझा। अत: आवागमन के लिए मार्ग बनाये गए सवारी के लिए पशुओं तथा पशुओं द्वारा खीची जाने वाली गाड़ियों का उपयोग होने लगा। समुद्री यात्रा तथा नदी मार्ग से यात्रा के लिए नाव बनाई गई। सुविधाओं की खोज में मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगा। यही क्रम विकास का है और पर्यटन-प्रकृति की अनवरत वृद्धि का है।

11.2.1.2. सभ्यता का प्रथम प्रकाश आर्यों ने देखा। अपनी मूल भूमि से निकल कर वे संसार के विभिन्न क्षेत्रों में बस गए। हम जानते हैं कि प्रारंभ में मनुष्य ने आखेट और बाद में पशुपालन को अपनी जीविका का साधन बनाया। सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य ने कृषि कार्य सीखा और इसके साथ ही अपने घुमक्कड़ा जीवन के बदले एक स्थान पर रहना प्रारम्भ किया। आर्यों के विभिन्न शाखाओं ने यूरोप एवं एशिया के विभिन्न क्षेत्रों को आबाद किया। प्राचीन काल से ही दूर देशों की समुद्र के रास्ते यात्रा करने की प्रवृत्ति रही है। दूर देशों की यात्रा मुख्यत: दो कारणों से की जाती थी। एक तो सुविधा सम्पन्न नये स्थानों की खोज के लिए तो दूसरा व्यापर के लिए। भारत में हड़प्पाकालीन सभ्यता में भी बड़ी नाव एवं पहिया लगी गाड़ी के प्रयोग का प्रमण मिला है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मनुष्य में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। कुछ लोागें में यह प्रवृत्ति इतनी प्रबल होती है कि वह कष्ट साध्य यात्रा कर दूर-दूर के देशों की यात्रा कर वहाँ के विषय में जानकारी प्राप्त करता है और उन्हें लिपिबद्ध करता हैं विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में मिस्र की सभ्यता महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। यहाँ विश्व के अन्य देशें के पर्यटक पहुँचते थे। बेबीलोन तथा यूनान में भी पर्यटन के प्रति लोग जागरूक थे। यूनान के निवासी हेरोडोटस ने परम्पराओं, रीतियों और घटनाओं के सही आकलन के लिए मिस्त्रा, सीरिया फिनीशिया आदि अनेक स्थानों की यात्रा की थी।

11.2.1.3. रोमवासी पर्यटकों की श्रेणी में अग्रणी रहे हैं जो विनोद के लिए यात्राएँ करते थे। यहाँ पाँच-छह मील की दूरी पर विश्राम गृह होते थे जहाँ यात्रियों के लिए घोड़ों की व्यवस्था रहती थी। यात्रा घोड़ों अथवा पशुओं द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों से होती थी। भारत भी पर्यटन के क्षेत्र में पीछे नहीं रहा है। हड़प्पा कालीन सभ्यता से भी इसके प्रमाण मिलते हैं। भारत के ऋषि-मुनि एक स्थान पर अधिक दिनों तक नहीं रहते थे। ये घूम-घूक कर धर्म एवं ज्ञान का प्रचार करते थे तथा भिक्षाटन पर अपना जीवन यापन करते थे। विभिन्न तीर्थस्थलों का भ्रमण एक प्रकार से पर्यटन है। सभी धर्मावलम्बी अपने धर्म से सम्बन्धित तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं। भारत में हिन्दू, बौद्ध, जैन, मुसलमान अथवा ईसाई सभी इस भावना से प्रेरति हैं। आज निस्सन्देह आवागमन की सुविधा उपलब्ध है, परन्तु प्राचीन काल में यात्रा करना अत्यनत कष्टप्रद था। परन्तु फिर भी लोग तीर्थ यात्रा करते थे। विदेशी यात्री विशेषकर बौद्ध, भारत स्थित बौद्ध तीर्थस्थलों का भ्रमण करने एवं ज्ञान की खोज में आते थे। इनके विवरण से भारत यात्रा सम्बन्धी जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेखों, जातक कथाओं तथा अन्य साहित्यिक ग्रंथों से इस विषय पर प्रकाश पड़ता है। भरत से पर्यटक दक्षिण-पूर्व एशिया

में जाते थे तथा उन्होंने वहाँ की सभ्यता एवं संस्कृति में विशेष योगदान दिया। भारत में आनेवाले विदेशी पर्यटकों में ह्वेनसंग, फाहियान इत्सिंग आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। मध्यकालीन भारत में इब्नबतूता, अलबेरूनी ने भारत की यात्रा की।

11.2.1.4. पर्यटन के क्षेत्र में यूरोप का पुनर्जारण एक नया युग लेकर आया। इस काल में अनेक साहसी नाविकों ने समुद्र के रास्ते दूर-दूर तक यात्रा की। इसकी यात्रा का उद्देश्य व्यापार अथवा धर्मप्रचार नहीं था, बल्कि नये स्थानों अथवा देशों की खोज, वहाँ तक पहुँचने का सुगम मार्ग तथा वहाँ के निवासियों के विषय में जानकारी एकत्र करना था। वास्कोडिगामा, क्रिस्टोफर कोलम्बस आदि ऐसे ही दु:साहसी यात्री थे। वास्को-डि-गामा ने भारत पहुँचने का समुद्री मार्ग खोज निकला। फिर भारत में पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अँग्रेज आये। भारत अंग्रेजों का गुलाम बना। अंग्रेजों के शासन काल में यातायात की सुविधा में वृद्धि हुई। धीरे-धीरे मशीन, वाष्प ईंजन आदि के आविष्कार के साथ मोटर गाड़ियों तथा रेलमार्ग का अविर्भाव हुआ। पयर्टन को बल मिला। शिक्षा का प्रचार हुआ। भारत के लोगों की जानकारी अन्य स्थानों के विषय में बढ़ी। अत: उन्हें देखने की लालसा भी जागृत हुई। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने-जाने की रफ्तार बढ़ी। परन्तु अभी भी लोग तीर्थ यात्रा, व्यापार, नौकरी की खोज आदि के लिए ही यात्रा करते थे। एक उद्योग के रूप में पर्यटन के विकास का इहितास भारत में अधिक पुराना नहीं है। पर्यटन को बढ़ावा यात्रा की सुविधाओं से मिला।

11.2.1.5. पर्यटन रेल क आविष्कार से अधिक सुविधाजनक हो गया। आरंभ में लोग रेल यात्रा से डरते थे, परन्तु अब इसे सबसे अधिक सुरक्षित समझा जाता है। एजेंटो द्वारा रेल यात्रा आयोजित करने का प्रचलन ब्रिटेन में प्रारंभ हुआ। 184। ईख थामस कुक नाम एजेण्ट ने 570 यात्रियों को लंदन की यात्रा लिसेस्टर से कराया तथा पुन: लंदन लौआ लया। इसमें उसे लाभ हुआ और उसने इसे अपना व्यवसाय बना लिया। इसी प्रकार की यात्राओं का आयोजन अन्य देशों में भी बाद में हाने लगा। 1820 ई॰ से अटलांटिक पार देशों में निर्धारित समय से चलने वाले जलयानों द्वारा यात्राएँ प्रारंभ हुईं। धीरे-धीरे जलयान से यात्रा करना सुविधाजनक हो गया। बल्कि वायुयान सेवा से प्रारम्भ के पूर्व विदशों में जाने का एकमात्र सुगम साधन जलयान ही था। रेलयात्रा पर्यटों के लिए देश के अन्दर ही आयोजित की जा सकती है, परन्तु विदेश यात्रा का एक मात्र साधन जलयान अथवा वायुयान ही है। वायुयान के आविष्कार के बाद उसमें द्रुतगति से प्रगति हुई है। वायुसेवा आजकल अत्यन्त विकसित है। भारत एवं भारत से बाहर अनेक कम्पनियाँ हैं जिनके द्वारा वायुयान यात्रियों को अधिक-से-अधिक सुविधा देने की कोशिश की जाती है। वायुयान सेवा देशा के अन्दर तथा विदेश यात्रा के लिए उपलब्ध है। यात्रा के परम्परागत साधन सड़क मार्ग का भी सभी देशों ने विकास किया है। भारत भी इस दिशा में पीछे नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय वायुयान सेवा यात्रियों के लिए सुविधाजनक हो इसलिए 1947 ई॰ संयुक्त राष्ट्र में एक एजेंसी स्थापित हुई 'इन्टरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन (ICAO), जिसका उद्देश्य था सदस्य देशें में सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा की व्यवस्था। इन्टरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोशिएशन (IATA) ने सामूहिक पर्यटक किरायें में कभी तथा कुछ अन्य सुविधायें भी प्रदान की हैं। अनेक प्रकार की योजनाएँ पर्यटन के क्षेत्र में एजेन्सियाँ उपलब्ध कराती हैं। भारत की इस दिशा में अन्य देशों से पीछे नहीं है।

11.2.1.6. पर्यटन को बढ़ावा देने में पर्यटन एजेन्सियों (Travel Agencies) का बहुत बड़ा योगदान है। इस का प्रारंभ थामस कुक ने सर्वप्रथम ब्रिटेन में किया। पर्यटन एजेन्सी पर्यटकों से एक निश्चित राशि लेते हैं और पर्यटन के दौरान होने वाले सभी झंझटों से मुक्त कर देती हैं। ये न कवल रेल जलयान अथवा वायुयान में उनकी सीट सुरक्षित कराती हैं बलिक निर्दिष्ट स्थान पर वाहन, होटल आदि की भी व्यवस्था करती है। पर्यटन एजेन्सी सर्कुलर टूर (Circuler Tour) एराउन्ड द वर्ल्ड टूर (Around The World Tour) आदि का भी आयोजन करती है। भारत में अनेक पर्यटन एजेन्सियाँ कार्यतर हैं। इस दिशा में टूरिस्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (TCI) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त अनेक निजी पर्यटन एजेन्सियाँ कार्यरत हैं। भारत सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इण्डियन टूरिज्म डेवलॉपमेंट कार्पोरेशन (ITDC) की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में राज्य टूरिज्म डेवलॉपमेंट विभाग हैं। इनके कार्य हैं पर्यटन स्थलों का विकास तथा उन्हें आकर्षक बनाना तथा पर्यटकों की सुविधा में वृद्धि करना। सरकार का ध्यान इस ओर इसलिए भी है कि इसके माध्यम से सरकार विदेशी मुद्रा अर्जित करती है।

11.2.1.7. पर्यटकों की सुविधा के लिए आवास की सुविधा भी आवश्यक है जिसकी पूर्ति धर्मशालायें एवं होटल करते हैं। हाल के दिनों में होटल उद्योग विकसित हुआ है। विभिन्न श्रेणी के होटल खुले हैं। अनतर्राष्ट्रीय होटल संगठन विभिन्न देशों में होटलों को संचालित करते हैं। भारत में सरकार की ओर से भी पर्यटन स्थलों पर होटल खोले गऐ हैं ताकि यात्रियों को अधिक-से अधिक सुविधा मिल सके।

11.2.2. पर्यटन का स्वरूप :

11.2.2.1 पर्यटन का जो स्वरूप आज है वह पहले नहीं था। इसमें कोई संदेह नहीं कि मानव भ्रमणशील प्राणी रहा है। यह भ्रमण अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रस्थान करना प्रारंभ में मानव की जीविका अथवा जीने के लिए आवश्यक था। पाषाण कालीन मानव अनुकूल स्थान की खोज में रहता था। जैसे सुरक्षित गुफाएँ, आखेट की सुविधा अथवा जंगली फल उपलब्ध हो तथा पेजयल का स्रोत हो। बाद मे पशुपालन से जुड़ने के बाद मानव चारागाह की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमने लगा। परन्तु कृषि कार्य से जुड़ने के बाद मानव एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य हो गया। कृषि कार्य से जुड़ने के बाद ही सभ्यता का निरन्तर विकास हुआ। विनिमय के साधन विकसित हुए। मुद्रा का प्रचलन हुआ जिससे यात्रा में सुविधा हुई। मनुष्य अब व्यापार अथवा रोजगार के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा। मुद्रा के प्रचलन के साथ-साथ यातायात के साधानों में सुधार हुआ। पशु एवं पशुओं द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियाँ पहियों के आविष्कार के फलस्वरूप अस्तित्व में आई। मनुष्य ने धीरे-धीरे आनन्द एवं ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से भी देश विदेश की यात्रा करना प्रारम्भ किया। बीसवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में इस दिशा में विशेष प्रगति हुई। इस प्रगति में यातायात की सुविधा एवं यातायात के साधन सड़क पर चलने वाली गाड़ी, रेल, जलयान तथा वायुयान) निरन्तर विकसित होते रहे।

11.2.2.2 पर्यटन की अवधारणा की अगर बात करें तो हम पर्यटन उसे कह सकते हैं जबकि मनुष्य एक स्थान से दूसरे पर जाय और वह कुछ समय तक ठहरकर वापस लौटे। अर्थात् घर एवं गृह स्थान को छोड़कर किसी मनपसन्द स्थान पर जाकर कुछ समय व्यतीत करे और तरोतजा होकर घर वास लौटे। इसमें घर से बाहर किसी स्थान पर ठहरना भले ही अल्पकालीन होता है, परन्तु यह ठहराव आनन्ददायक होता है। इससे मनुष्य में नई स्फूर्ति आती है। पर्यटन आर्थिक प्रयोजन से की जानेवाली यात्रा को नहीं कहा जा सकता, बलिक इसका उद्देश्य मनोरंजन अथवा उसके साथ-साथ ज्ञान अर्जित करना है। पर्यटन के दौरान पर्यटक नये-नये स्थान देखता है, तरह-तरह के लोगों से मिलता है, दर्शनीय स्थलों को देखता है, जिससे न केवल उसका मनोरंजन होता है, वह बहुत कुछ सीखता भी है। अर्थात् पर्यटन में यात्रा दर्शनीय स्थल, अस्थायी ठहराव तथा आर्थिक क्रियाओं का अभाव होना चाहिए।

11.2.2.3 पर्यटन अनेक कारणों से किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यात्रा का सुविधाजनक तथा निरापद होना, मुद्रा के विकास से यात्रियों के लिए कही जाकर ठहरना तथा अपनी आवश्यकता की पूर्ति का सहज होना, पर्यटन को बढ़ावा देने में सफल हुआ है। वस्तुत: पर्यटन का मूल उद्देश्य आनन्द की प्राप्ति अथवा मनोरंजन ही है, परन्तु साथ ही साथ धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर तीर्थ स्थलों की यात्रा, विभिन्न स्थानों में होने वाले उत्सवों एवं त्यवहारों को देखना तथा विभिन्न धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर तीर्थ स्थलों की यात्रा विभिन्न स्थानों में होने वाले उत्वों एवं त्याहरों को देखना तथा विभिन्न धार्मिक स्थानों से में होने वाले उत्सवों एवं त्योहारों को देखना तथा विभिन्न धार्मिक परम्पराओं तथा जन-जीवन को जानने के उद्देश्य से भी भ्रमण किया जाता है। पर्यटन अपने मित्रों सम्बन्धियों से मिलने स्वास्थ्य लाभ, देश-विदेश के विषय में अधिक जानने की भूख मिटाने अथवा लोगों के बीच इस बात का दावा करने के उद्देश्य से भी किया जाता है।

11.2.2.4 पर्यटन आज विश्व का एक विकसित उद्योग बन गया है। यातायात की सुविधाजनक होना, यातायात के साधनों का विकास तथा जगह-जगह आवास की सुविधा पर्यटन के विकास में सहायक सिद्ध हुए हैं। औद्योगिक विकास तथा जीवन-स्तर के उठाने की होड़ में आज का मनुष्य व्यस्त है। लोगों का जीवन निरन्तर मशीन की तरह हो गया है। अत: इस व्यस्त जिन्दगी में अवकाश एवं मनोरंजन की आवश्यकता बढ़ गई है। निरनतर काम करने से कर्मचारियों की कार्य-क्षमता घटती है। अत: विभिन्न संस्थाएँ तथा कम्पनियाँ अपने कर्मचारियों को वैतनिक छुट्टी देती है तथा बहार घूमने के लिए भी पैसा देती है। पर्यटन को इससे बढ़ावा मिला है। लोगों को पर्यटन के प्रति आकर्षित करने के लिए यातायात के साधनों के किराए मे कमी, प्रचार के माध्यमों में वृद्धि, सरकार का पर्यटन को आकर्षक एवं सुविधाजनक बनाने का प्रयास आदि अनेक कारण गिनाये जा सकते हैं।

11.2.2.5 पर्यटन के विकास में निम्न कारणों से बाधाएँ भी उत्पन्न होती हैं। भारत में संयुक्त परिवार व्यवस्था होने के कारण सम्पूर्ण परिवार का एक साथ यात्रा पर जाना व्यय साध्य है और अधिकतर परिवार जो एक व्यक्ति की आमदनी पर निर्भर होता है इस दिशा में सोच नहीं सकता। वस्तुओं की बढ़ती कीमतें भी बाधक कही जा सकती हैं। अधिकांश लोगों के पास

समय का अभाव होता है। अतः वे पर्यटन का सुख भोगने में असमर्थ होते हैं। पर्यटन के लिए स्वस्थ्य शरीर का होना आवश्यक है ताकि पर्यटन की कठिनाइयों को उसका शरीर सहन कर सके। पर्यटन के लाभ के विषय में लोगों के बीच जानकारी की कमी होती है।

11.2.2.6 आज पर्यटन उद्योग एक अकेला उद्योग नहीं रह गया। कई उद्योग इस से जुड़े हैं, बल्कि सही अर्थों मे इस पर निर्भर है, जैसे-पर्यटन स्थल, यात्रा एजेंसियाँ, होटल व्यवसाय था आवागमन के साधन। पर्यटक उद्योग के विकास के साथ-साथ इनका भी विकास हुआ है। विभिन्न शहरों एवं पर्यटन स्थल पर होटल खुलते जा रहे हैं। सरकार भी पर्यटन विभाग की देखरेख में होटल खोल रही है तथा पर्यटकों के लिए परिवहन की सुविधा प्रदान कर रही है।

11.3. सारांश

मनुष्य निस्सन्देह एक स्थान पर रहता है, परन्तु उसकी प्रवृत्ति अन्य स्थानों के विषय से जाने की होनी है। प्रारम्भ ये मनुष्य जीविकोपार्जन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने के लिए बाध्य होता है। परन्तु कृषि एसं उद्योग के विकास के साथ मनुष्य ने एक स्थान पर बसना सीखा जिसे वह केवल अल्पकाल के लिए छोड़ सकता था। अतः बाहरी दुनिया की जानकारी तथा मनोरंजन के लिए उसने पर्यटन को अपनाय। विश्व के अनेक दशों में यही स्थिति रही है। आर्यों ने सर्वप्रथम सभ्यता की ज्योति जलाई। यूरोप और एशिया के विभिन्न देशों में आर्यों की सभ्यता विकसित हुई। समुद्री अथवा स्थल मार्ग से यात्रा की सुविधा विकसित हुई इन सभ्य देशों के बीच सम्पर्क स्थापित हुए। मुद्रा के विकास ने इसमें सहयोग दिया। भारत में हड़प्पा काल से ही दूर-दूर के देशों से सम्पर्क का प्रमाण मिलता है। यह सम्पर्क व्यापार के लिए किया जाता था । बाद में सभ्याता के विकास के साथ विभिन्न धर्म एवं धार्मिक सम्प्रदाय का उदय हुआ। धर्म के प्रचार एवं प्रसार ने लोगों को तीर्थयात्रा की प्रेरणा दी। भारत में तीर्थयात्री प्राचीन काल से ही एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर यात्रा करते रहे हैं। बाहर से आनेवाले यात्रियों में ह्वेनसांग, फाह्यान, इत्सिंग, इब्नबतूता, अलबेरूनी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। यूरोप में पुनर्जागरण के साथ यूरोपीय देशों के साहसिक नाविकों ने समुद्री रास्ते से यात्रा कर दूर-दूर के देशों के विषय में जानकारी प्राप्त की। वास्कोडिगाम, क्रिस्टोफर कोलम्बस आदि ऐसी ही नाविक थे। वास्कोडिगाम ने भारत की समुद्री रास्ता खोज निकाला जिसके फलस्वरूप भारत में पुर्तगाली, फ्रांसीसी तथा अंग्रेजों का पदार्पण हुआ और भारत अंग्रेजों का गुलाम बना। अंग्रेजी शासन काल में भारत में यातायात को सुगम बनाने की दिशा में प्रयत्न किए गए। प्रारम्भ में पर्यटन व्यापार एवं धार्मिक उद्देश्य से किए जाते थे। परन्तु धीरे-धीरे पर्यटन एव उद्योग के रूप में विकसित हुआ। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसमें विशेष प्रगति हुई। सरकार ने इसके विकास में रूचि ली। पर्यटन एजेन्सियों का आविर्भाव हुआ। रेल, जलयान तथा वायुयान के कारण पर्यटन को विशेष प्रोत्साहन मिला।

पर्यटन का वास्तविक उद्देश्य आनन्द एवं ज्ञान की प्राप्ति होता है। मनुष्य जब अपने स्थायी ठिाने से निकल किसी दूसरे स्थान पर कुछ समय तक ठहरता है तो उसे पर्यटन कहा जाता है। अर्थात् इसके लिए अल्पकालीन ठहराव आवश्यक है। पर्यटन धार्मिक कारणों से हो अथवा किसी अन्य कारण से इसमें आनन्द प्राप्ति तथा अर्थोपार्जन का अभाव होना चाहिए। मनुष्य दिनोंदिन इतना व्यस्त होता जा रहा है कि उसकी कार्यक्षमता घटने लगती है इसलिए कम्पनियों तथा संस्थाओं में वेतन के साथ अवकाश का प्रावधान है ताकि कर्मचारी बाहर जाकर घूमे और तरोताजा होकर वापस लौटे।

11.4 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. पाषाणकाल में मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए क्यों बाध्य था ?
2. संयुक्त राष्ट्र द्वारा सुरक्षित हवाई यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए जो एजेन्सी स्थापित की गई उसके नाम का उल्लेख कीजिए।
3. पर्यटन के साधनों में सड़क मार्ग के अतिरिक्त और कौन-कौन से मार्ग हैं ?
4. भारत सरकार द्वारा स्थापित वह कौन सी संस्था है जिसका कार्य पर्यटन को विकसित करना है ?

11.5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. पर्यटन की प्रारम्भिक अवस्था पर प्रकाश डालिए।
2. भारत में पर्यटन की स्थिति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
3. पर्यटन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए।
4. पर्यटन के स्वरूप पर प्रकाश डालिए।

11.6 संदर्भ ग्रंथ

1. संग्रहालय की ओर – डॉ॰ शिवस्वरूप सहाय
2. म्यूजियम स्टडीज – बी॰एस॰ अग्रवाल
3. इन्ट्रोडक्शन टू म्यूजियम वर्क – जी॰ई॰ वरका
4. म्यूजियम एण्ड कल्चरल हेरिटेज – नीलरतन बनर्जी
5. म्यूजियम टुडे – ग्रेस मोर्ले
6. संग्रहालय विज्ञान – गिरिश चन्द्र शुक्ल एवं विमलेश कुमार पाण्डेय

❑❑❑

पर्यटन का महत्त्व (Importance of Tourism)

12.0 उद्देश्य

इस पाठ में पर्यटन का मानव-जीवन एवं देश के लिए क्या महत्व है, इस पर प्रकाश डाला गया है।

12.1 भूमिका

मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। उसकी प्रवृत्ति अधिक-से-अधिक जानकारी प्राप्त करने की होती है। इस उद्देश्य से वह पहले आस-पास के विषय में जानना चाहता है फिर दूर-दराज के स्थानों के विषय में जानना चाहता है। बहुत-सी जानकारी उसे पुस्तकों से अथवा अन्य व्यक्ति से मिलती है। परन्तु इससे उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति की पूर्ण संतुष्टि नहीं होती। वह स्वयं अनुभव करना चाहता है। जैसे कोई पुस्तकों से अथवा किसी अन्य व्यक्ति से ताजमहल की सुन्दरता की जानकारी प्राप्त करता है तो ताजमहल को स्वयं देखकर उनकी सुन्दरता का अनुभव करना चाहता है। यही प्रवृत्ति पर्यटन के विकास को बढ़ावा देता है। विज्ञान की पढ़ाई पुस्तकों के माध्य से होती है, परन्तु बिना प्रयोगशाला के यह ज्ञान अधूरा रहता है। प्रयोगशाला में विद्यार्थी स्वयं उसका परीक्षण करता है और उस तथ्य को स्वयं प्रयोग कर अपनी संतुष्टि करता है। उसी प्रकार मनुष्य स्वयं वस्तुओं को देखकर अपने ज्ञान को बढ़ाता है। अतः पर्यटन मनुष्य को क्षेत्रीय परिधि से निकाल कर देश एवं विश्व के अन्य क्षेत्रों से जोड़ता है। आज आवागमन की सुविधा, संचार के विकसित माध्यम एवं पुस्तकों द्वारा प्राप्त जानकारी से न केवल देश के विभिन्न क्षेत्र के वासी बल्कि संसार के सभी देशों के निवासी एक-दूसरे से जुड़ से गये हैं। इसी से देश के अन्दर विदेशी पर्यटन का विकास हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पर्यटन के दृष्टिकोण से विदेशों में भारत का विशेष आकर्षण है। भारतीय पर्यटन सम्पदा को हम मुख्यतः दो भागों में बाँट सकते हैं, जैसे-सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक। सांस्कृतिक सम्पदा के अन्तर्गत भारत के अनगिनत ऐतिहासिक स्मारक, धार्मिक स्थल, पुरा सम्पदाएँ, उत्खनित स्थल, मूर्तिकला तथा चित्रकला के अवशेष, गुफाएँ, मंन्दिर, स्तूप, लोक कला आदि का उल्लेख किया जा सकता है। जहाँ तक प्राकृतिक सम्पदा का प्रश्न है हिमालय की पर्वत शृंखला तथा नदियाँ, प्राकृतिक सौन्दर्य, वनजीवन, समुद्रतट आदि का उल्लेख किया गया है।

12.2 मुल पाठ

पर्यटन मनुष्य के जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। यह मनुष्य के जीवन की एकरसता से उत्पन्न निराशाजनक प्रवृत्ति में बदलाव लाता है। उसकी कूपमंडूकता को दूर करता है। भारत में प्राचीन काल से ही इस पर जोर दिया जाता रहा है। यहाँ मानवजीवन को चार आश्रमों में बाँटा गया है, जिसमें अन्मि संन्यास आश्रम हैं। इसमें मनुष्य घर छोड़ कर यायावर की जिन्दगी व्यतीत करता है। इस दौरान वह ज्ञान अर्जित करता है और ज्ञान बाँटता है। अर्थात् घर से बाहर निकलकर विभिन्न प्रदेशों की यात्रा करना, वहाँ के लोगों के विषय में जानना, वहाँ के जनजीवन, परम्पराएँ, प्राकृतिक सम्पदा आदि की जानकारी प्राप्त करना मनुष्य को न केवल आनन्द देता है, बल्कि वह देश के निवासियों से जोड़ता है। वह अपने देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सम्पदा से परिचित होता है जिससे राष्ट्र प्रेम जगता है। इसी प्रकार विश्व के विभिन्न देशों के भ्रमण से विश्व-बन्धुत्व की भावना जागृत होती है।

12.2.1 प्रत्येक व्यक्ति अथवा देश अपनी संस्कृति पर गर्व करता है तथा उसकी खूबियों को जानने की चेष्टा करता है। पर्यटन इस दिशा में उसकी सहायता करता है। सांस्कृतिक पर्यटन के द्वारा पर्यटक के किसी भी स्थान विषयक सांस्कृतिक तथा वैचारिक ज्ञान की उत्सुकता को संतुष्ट किया जा सकता है, जिसमें पुरातन स्मारकों, कला सामग्रियों तथा धार्मिक महत्त्व के केन्द्रों की यात्रा की जाती है। इसका उद्देश्य होता है जनरूचि, परम्पराओं, सभ्यताओं, विश्वासों, उत्सवों, त्योहारों तथा कलात्मक अभिव्यक्ति से परिचित होना। भारत की सभ्यता एवं संस्कृति अति प्राचीन है। यहाँ की मिट्टी के कण-कण में सांस्कृतिक सम्पदा का अतुलित भंडार भरा है। प्रत्येक क्षेत्र अपनी परम्परागत कला एवं परम्परा का जीता-जागता नमूना है। असमय कहे जानेवाले आदिवासियों ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को मूलरूप में जीवित रखा है। पर्यटन के द्वारा हमें इनकी जानकारी मिलती है। इन्हें समझने में सहायता मिलती है। पहले भारत की सांस्कृतिक छवि विदेशों में अच्छी नहीं थी, परन्तु पर्यटन के विकास के साथ विदेशों में भारत के विषय में लोगों की मानसिकता बदली है और भारत की छवि बदली है। भारतीय संस्कृति के प्रति विदेशियों में सम्मान बढ़ा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार पर्यटन के विकास पर जोर दे रही है ताकि न केवल देश वासी देश के अन्य भागों की भाषा, सांस्कृतिक परम्पराएँ, खान-पान से परिचित हो सकें तथा उनका राष्ट्र प्रेम बढ़े बल्कि साथ-ही-साथ विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर विदेशी मुद्रा अर्जित कर सके।

12.2.2 पर्यटन से ऐतिहासिक सम्पदा का भी ज्ञान होता है। प्रत्येक व्यक्ति अथवा देश अपने ऐतिहासिक सम्पदा पर गौरवान्ति होता है। हम अपने देश के इतिहास के सुनहरे पन्नों से अवगत होना चाहते हैं। इसके लिए पर्यटन एक साधन है। हम संग्रहालयों, उत्खनित स्थानों (खण्डहरों), स्मारक (भवन, महल, किला, मन्दिर, स्तूप, गुफाएँ), महापुरुषों के जन्मस्थान, महत्त्वपूर्ण युद्ध स्थलों, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ें स्थानों का भ्रमण कर इस इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। हम केवल देश के इतिहास से ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय इतिहास से भी परिचित होते हैं। अगर हम अपने ऐतिहासिक विरासत की बात करें तो राजगीर, वैशाली, बोधगया, पाटलिपुत्र तथा देश के अन्य भागों में बिखरे खण्डहर हमें प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में सहायक होता है। कालीवगा, कायथा, भाहड़, चिरांद तथा अन्य स्थानों के उत्खनन से प्राप्त सामग्री हमारे प्राचीनतम सभ्यता एवं संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं। बौद्ध, जैन एवं हिन्दू धर्म के पवित्र स्थल (मन्दिर, स्तूप आदि) उन धर्मों के इतिहास पर प्रकाश डालती हैं। हम रोहतास, आगरा, फतहपुरसिकरी, लालकिला, जयपुर आदि में महलों तथा अन्य स्मारकों को देखकर गौरवान्वित होते हैं। छात्र पुस्तकों में पढ़े ज्ञान की पुष्टि इन स्थलों को देखकर करते हैं। इतिहास के क्रमिक विकास की जानकारी मिलती है। छात्रों को पर्यटन से विशेष लाभ होता है। पुस्तकों से जिस स्थापत्य कला मूर्तिकला तथा चित्रकला का समुचित ज्ञान नहीं होता उसे प्रत्यक्ष देखकर पूरा किया जा सकता है। ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा अपने देश के इतिहास क प्रति गौरव अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। हमारा राष्ट्रप्रेम बढ़ता है। इसी प्रकार विदेश भ्रमण से उन देशों के सम्बन्ध में हमारी गलत धारणाएँ समाप्त होती हैं और वहाँ के निवासियों के विषय में जानकारी प्राप्त होने से उनके प्रति सम्मान एवं प्रेम का उदय होता है। इस प्रकार विश्व-बन्धुत्व की भावना को बल मिलता है। पर्यटन का जितना विकास होगा विश्व-मानव एक-दूसरे से उतना अधिक जुड़ता जायेगा। पहले हम अन्य देशों के प्रति उनके जन-जीवन के सम्बन्ध या तो बिलकुल नहीं जानते थे अथवा बहुत कम जानते थे। पर्यटन इस कमी की पूर्ति करता है और सम्पूर्ण विश्व को एक सूत्र में जोड़ने में सहायक होता है।

12.2.3 पर्यटन का महत्त्व केवल सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सम्पदा के ज्ञान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्राकृतिक सम्पदा का प्रत्यक्ष अनुभव आनन्ददायक होता है। भारत में प्राकृतिक सम्पदा की कमी नहीं है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में अनेक विश्राम स्थल हैं, जहाँ पर्यटकों की भीड़ रहती है। भारत में घने जंगल हैं जो हर प्रकार के जीव-जन्तुओं एवं वनस्पतियों से भरे हैं। राजस्थान में मरूभूमि है तो रमणीक समुद्रतट भी है। पर्यटक हिल स्टेशनों (Hill station) पर व्यस्त जीवन से कुछ पल निकाल कर आते हैं और नई उर्जा प्राप्त करते हैं। ये पर्वतीय विश्राम स्थल स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक हैं। यहाँ शुद्ध वायु एवं जल उपलब्ध होता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में कश्मीर से लेकर दार्जलिंग तक अनेक स्थान हैं जहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। कश्मीर के प्राकृतिक सौन्दर्य को देखने तथा वहाँ के आनन्ददायक वातावरण को अनुभव करने के लिए न केवल भारत के, बल्कि विश्व के विभिन्न देशों के पर्यटक आते हैं। जहाँ एक ओर हिमालय पर्वत पर बने हिल स्टेशनों का आकर्षण है, वहीं राजस्थान के रेगिस्तान में ऊँट की सवारी पर्यटकों को भाता है। गोवा का समुद्र तट तथा उसकी सुन्दरता विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारत का समुद्रीतट बहुत लम्बा है। पर्यटक घने जंगलों का सैर का भी आनन्द उठाने के लिए उत्सुक रहते हैं। हम अपने देश की प्राकृतिक सम्पदा का ज्ञान पाकर, उनका अनुभव कर न केवल आनन्दित होते हैं बल्कि गौरवान्वित भी होते हैं। हमारे अनेक कवियों ने भारत की प्राकृतिक सम्पदा का वर्णन अपनी कविताओं में भी किया है। पर्यटन की दृष्टि से प्राकृतिक सौन्दर्य पर्यटकों के लिए विशेष महत्त्व रखते हैं।

12.2.4 पर्यटन का स्वरुप :

12.2.4.1. पर्यटन अब उद्योग का रुप ले चुका है। इसका महत्त्व देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए भी है। बल्कि पर्यटन का आर्थिक पक्ष कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। पर्यटन के विकास पर प्रत्येक देश बल दे रहा है चूँकि यह विदेशी मुद्रा अर्जन का एक स्रोत बन गया है। पर्यटन की सुविधा में वृद्धि से पर्यटक आकर्षित होते हैं और विदेशी पर्यटक अपने साथ विदेशी मुद्रा लाते हैं। पर्यटन के विकास के साथ अनेक उद्योगों का विकास निर्भर करता है। होटल उद्योग का पर्यटन के साथ गहरा सम्बन्ध है, चूँकि पर्यटक विश्राम के लिए स्थान खोजते हैं। विभिन्न श्रेणियों के पर्यटकों को सुविधा देने के लिए विभिन्न श्रेणियों के होटल, लॉज (Lodge), गेस्ट हाउस, धर्मशाला तथा सराय आदि स्थापित होते हैं जिनमें अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। पर्यटन स्थल पर विभिन्न श्रेणियों के भोजनालय तथा रेस्तरां होते हैं। अर्थात् स्थानीय लोगों को इससे रोजगार का अवसर मिलता है।

12.2.4.2. होटल के अतिरिक्त परिवहन भी पर्यटन के साथ जुड़ा है। रेलगाड़ी से लेकर रिक्शा तक विभिन्न वाहन पर्यटकों को सेवा प्रदान कर धनोपार्जन करते हैं। रेलवे, विभिन्न ट्रांसपोर्ट कम्पनियाँ तथा साधारण वाहन चालक पर्यटन से लाभ उठाते हैं। हिल स्टेशनों में घोड़े वाले पर्यटकों को घोड़े किराये पर देते हैं तथा रेगिस्तान में ऊँटवाले अपना ऊँट पर्यटकों को किराये पर देते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं।

12.2.5 पर्यटन में रोजगार : पर्यटन से अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। पर्यटन स्थल के आस-पास के क्षेत्र के निवासियों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। पढ़े-लिखें लोग गाइड का काम करके धन कमा सकते हैं। मूर्ति बनाने वाले तथा श्रृंगार की वस्तुएँ अथवा खिलौना बनाने वाले पर्यटकों के हाथों अपना सामान बेच सकते हैं। हस्तशिल्प तथा कुटीर उद्योग को पर्यटन से बल मिलता है। देश के विभिन्न

भागों से तथा विदेशों से पर्यटक स्थानीय हस्तशिल्प के प्रति आकर्षित होते हैं और कम-से-कम यादगार स्वरूप कुछ-न-कुछ खरीद कर अपने घर ले जाते हैं। इस प्रकार स्थानीय कारीगरों की जीविका चलती है और उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। किसी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर जमीन पर चादर बिछाकर ऐसे समान सजाये अथवा ठेला पर इन्हें सजाये विक्रेता दिखाई पड़ते हैं। कतिपय स्थायी दुकानें भी होती हैं। छोटे-छोटे रेस्तरां होते हैं। अत: स्थानीय लोगों के लिए पर्यटन रोजगार का अवसर .प्रदान करता है।

12.3. सारांश

पर्यटन का महत्त्व दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। इसने अब उद्योग का रूप धारण कर लिया है। सरकार भी इसके विकास के लिए प्रयत्नशील है। पर्यटन मनुष्य की जिज्ञासा को शान्त करने में सहायक होता है। पर्यटन मनुष्य की कूप-मंडूकता को समाप्त कर उसे बाहरी दुनिया से परिचित कराता है। वह अपने देश में बिखरी प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सभ्यता सें परिचित होता है। इसलिए पर्यटन का विशेष महत्त्व है। हम अपनी सांस्कृतिक सम्पदा का दर्शन कर न केवल भारतीय संस्कृति से पूर्णत: परिचित होते हैं बल्कि अपनी संस्कृति के प्रति हमारे हृदय में सम्मान बढ़ता है और उसपर हम गर्व करते हैं। इसी प्रकार ऐतिहासिक स्थलों को देखकर हम गर्व अनुभव करते हैं और हमारा राष्ट्र प्रेम जागृत होता है। विदेशी पर्यटकों का भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक सम्पदा को देखकर भारत के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल जाता है और उनकी नजर में भारत का सम्मान बढ़ जाता है। पर्यटन का एक आर्थिक पक्ष भी है अर्थात् पर्यटन का आर्थिक महत्त्व कम नहीं है। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने से हमारी विदेशी मुद्रा के भण्डार में वृद्धि होती है। पर्यटन के विकास के साथ होटल उद्योग, परिवहन तथा छोटे-छोटे व्यवसाय का भविष्य जुड़ा है। साथ-ही-साथ पर्यटन स्थल के आस-पास के निवासियों के लिए पर्यटन रोजगार के अवसर प्रदान करता है।

12.4 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. पर्यटन का मनुष्य के जीवन में महत्त्व है अथवा नहीं? अगर है तो उससे होने वाले किसी एक लाभ का उल्लेख कीजिए।
2. सांस्कृतिक पर्यटन से होनेवाले किसी एक महत्त्वपूर्ण लाभ का उल्लेख कीजिए।
3. ऐतिहासिक पर्यटन के किसी एक लाभ का उल्लेख कीजिए।

12.5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. सांस्कृतिक पर्यटन के महत्त्व पर एक टिप्पणी लिखिए।
2. ऐतिहासिक पर्यटन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
3. पर्यटन के आर्थिक पक्ष पर प्रकाश डालिए।

12.6 संदर्भ ग्रंथ

1. पर्यटकों का देश भारत – डॉ॰ शिवस्वरूप सहाय
2. पर्सपेक्टिव्य ऑन इंडियन टूरिज्म इन इंडिया – एस॰एन॰ छिव
3. इंडियन टूरिज्म – कर्ण सिंह

❑❑❑

पर्यटन का व्यावहारिक पक्ष
(Practical Aspects of Tourism)

13.0 उद्देश्य

इस पाठ का उद्देश्य पर्यटन उद्योग के व्यावहारिक पक्ष पर प्रकाश डालना है। उद्योग का अर्थ है उत्पादन तथा उत्पाद को बेचना। इस सम्बन्ध में उत्पन्न समस्याओं और उनका निष्पादन तथा पर्यटन को प्रोत्साहित करने वाले कार्य की जानकारी देना इस पाठ का उद्देश्य है।

13.1 भूमिका

पर्यटन आज एक उद्योग का रूप ले चुका है। सभी देश इसे राष्ट्रीय आय के एक स्रोत के रूप में देखते हैं। अत: इसे आकर्षक बनाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार एक व्यापारी अपना माल बेचने के लिए उसकी गुणवत्ता बढ़ाने तथा उसे प्रचारित करने की चेष्टा करते हैं, उसी प्रकार पर्यटन स्थलों को आकर्षक, वहाँ तक की यात्रा को सुविधाजनक तथा उन स्थानों पर विश्राम को आरामदायक बनाने की ओर प्रत्येक देश प्रयत्नशील है। प्रत्येक देश अपने यहाँ के ऐतिहासिक, प्राकृतिक तथा अन्य आकर्षक स्थानों के विषय में प्रचार कर लोगों को आकर्षित करते हैं। इन स्थानों तक पहुँचने सम्बन्धी सुविधाओं की जानकारी पर्यटकों को देते हैं ताकि पर्यटक आसानी से वहाँ पहुँचे तथा उन स्थलों को देखकर तथा वहाँ ठहरकर संतुष्ट होकर वापस लौटे। प्रत्येक देश का पर्यटन विभाग पर्यटकों की सुविधाओं में वृद्धि करने तथा पर्यटन स्थलों को विकसित करने तथा इनके विषय में प्रचार करने में जुटा है। इनके माध्यम से न केवल विदेशी मुद्रा देश में आती है, बल्कि अनेक लोगों को रोजगार भी मिलता है, क्योंकि इससे परिवहन, होटल तथा छोटे-छोटे उद्योग जुड़े हैं।

13.2 मुल पाठ

पर्यटन का मूल उद्देश्य है पर्यटक को आनन्द प्रदान करना। अत: पर्यटक उन्हीं स्थानों की यात्रा करना चाहेगा जहाँ उसे अधिक-से-अधिक आनन्द प्राप्त हो तथा जहाँ जाना अधिक-से-अधिक सुरक्षित तथा सुविधाजनक हो। अगर किसी स्थान की कानून व्यवस्था चरमराने लगती है तो पर्यटक वहाँ जाने में हिचकते हैं। असुरक्षा और अव्यवस्था के कारण 1970 और 1980 के बीच न्यूयार्क की यात्रा करना पर्यटक नहीं चाहते थे, परन्तु 1980 में वहाँ की स्थिति में सुधार के साथ पर्यटन की स्थिति में भी सुधार हुआ। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रचार का सहारा लेना पड़ा। इसी प्रकार कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों से पर्यटन उद्योग को धक्का लगा था, परन्तु स्थिति में सुधार के साथ पर्यटक पुन: कश्मीर की और आकर्षित हुए।

13.2.1. पर्यटन के विकास के लिए कतिपय बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। इसे बढ़ाने के लिये पर्यटकों की रूचि जानना आवश्यक है जिसके लिए शोध (Market Research) की आवश्यकता होती है। इस शोध से प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्य करना चाहिए। पर्यटक को पर्यटन स्थल एवं इससे जुड़ी

सेवाओं की जानकारी देनी चाहिए। पर्यटन सम्बन्धी जानकारी पर्यटक तक पहुँचाना भी आवश्यक है तभी पर्यटक तक पहुँचाना भी आवश्यक है तभी पर्यटक आकर्षित होंगे। अत: पर्यटन स्थलों तथा उनसे जुड़ी सेवाओं (जैसे परिवहन, होटल, गाइड आदि) के सम्बन्ध में जानकारी समाचार पत्रों तथा टेलिविजन के द्वारा संभावित पर्यटकों तक पहुँचनी चाहिए। अर्थात् उत्पादन से उपभोक्ता को पूरी तरह अवगत होना चाहिए।

13.2.2 इस सम्बन्ध में पर्यटन स्थल एवं अन्य उत्पादन में मूलभूत अन्तर है। विक्रेता इस उत्पादन को उपभोक्ता तक नहीं पहुँचा सकता, बल्कि उपभोक्ता को स्वयं वहाँ तक जाना पड़ता है। उपभोक्ता इसे उठाकर कहीं ले जा नहीं सकता, बल्कि मात्र उससे प्राप्त आनन्द एवं जानकारियों को ही साथ ले सकता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इन उत्पादनों के विक्रेता इसके स्वामी नहीं होते, बल्कि पर्यटक के प्रेरणा स्रोत होते हैं, एक विचौलिए का काम करते हैं। विक्रेता की श्रेणी में हम ट्रैवेल एजेन्सियों अथवा टूर ऑपरेटरों तथा सरकारी पर्यटन विभाग को रख सकते हैं। पर्यटन से जो लाभ होता है, यह वस्तुत: देश का लाभ है। पर्यटन को प्रोत्साहित करने में जिन सुविधाओं की आवश्यकता होती है उसमें विभिन्न क्षेत्रों का सामूहिक योगदान होता है, जैसे परिवहन, होटल आदि। पर्यटन स्थल जैसे उत्पादन को घटाया बढ़ाया जाना कठिन है। हम इनमें सुविधाओं की दृष्टि से सुधार ला सकते हैं, इनकी संख्या में वृद्धि करना कठिन है। वैसे भारत सरकार ने लद्दाख को विश्व के श्रेष्ठतम पर्यटन स्थल बनाने के लिए वहाँ के सर्वांगीण विकास की योजना बनाई है। किसी भी पर्यटन स्थल पर पर्यटक अनुकूल मौसम में जाना पसन्द करते हैं। बाकी समय में पर्यटकों की संख्या उन स्थलों पर नगण्य रहती है। पर्यटन उद्योग में ट्रेवल एजेन्टों अथवा विचौलियों की प्रधान भूमिका होती है।

13.2.3 पर्यटन को लोकप्रिय बनाने अथवा उसके प्रति लोगों में रूचि पैदा करने में प्रचार, फिल्म, प्रेस, पत्रिकाएँ रेडियो, टेलीविजन आदि का विशेष योगदान होता है। इस क्षेत्र में दो सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम हैं– संचार (Communication Media) तथा विज्ञापन (Advertising Media) माध्यम। जहाँ तक संचार माध्यम का प्रश्न है इसके द्वारा पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। पर्यटकों की मानसिकता को बार-बार किसी पर्यटन स्थल की विशेषताओं का वर्णन कर बदला जा सकता है। अर्थात् अगर किसी के मन में किसी स्थल विशेष के प्रति आकर्षण न हो तो उसे संचार माध्यम से बदला जा सकता है। किसी दर्शनीय स्थल के आकर्षक पक्ष, वहाँ तक पहुँचने के लिए उपलब्ध सुविधाओं से है आदि अन्य बातों का संचार माध्यम से लोगों को बताकर उन्हें पर्यटन के लिए तैयार कराया जा सकता है। जितना ही प्रभावशाली यह प्रचार होगा उतना ही वह पर्यटकों को आकर्षित करने में सफल होगा। पर्यटन को प्रोत्साहित करने में विज्ञापन का भी सहारा लिया जाता है। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियों, टेलीविजन में विज्ञापन देकर लोगों को विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर आकर्षित किया जाता है। विज्ञापन के जरिए इनके चित्र तथा उनसे जुड़ी सुविधाओं की जानकारी लोगों तक पहुँचायी जाती है।

13.2.4 विज्ञापन की विशेषताओं की अगर हम उल्लेख करें तो अनेक विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता है। विज्ञापन में सभी लोगों के समझने लायक सीधी और सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। किसी विषय की सामान्य जानकारी ही विज्ञापन में हो ताकि उसका परिचय प्राप्त हो सके। अगर किसी प्राकृतिक दृश्य को दिखाना हो तो उसे आकर्षक तथा सुन्दर रंगों में होना चाहिए। विज्ञापन में स्मारकों, मूर्तियों, चित्र आदि को दिखाना चाहिए। ऐसे विज्ञापनों का बार-बार प्रकाशन अथवा प्रसारण होना चाहिए। विज्ञापन तैयार करने के लिए विज्ञापन एजेन्सियाँ विशेषज्ञों की सहायता लेते हैं। ये

फोटोग्राफी, सुलेख-लेखन, डिजाइन बनाने आदि के क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। विज्ञापन को अधिक गतिशील तथा प्रभावी बनाने के लिए इसमें लगे व्यक्ति प्रशिक्षित हों। जहाँ से अधिक पर्यटक आने की संभावना हो वहाँ व्यक्तिगत सम्पर्क करें। टेलिफोन के माध्यम से पर्यटकों की जिज्ञासा को विनम्रता पूर्वक शान्त करें। पर्यटन कार्यालय को स्थान विशेष के फोटो प्रदर्शित कर आकर्षक बनाया जा सकता है तथा वह उस क्षेत्र विशेष के पर्यटन स्थलों से सम्बन्धित फोटो-फोल्डर तथा साहित्य रखकर उसे अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। पत्राचार के जरिए पर्यटक को यात्रा स्थल का किराया, वहाँ विश्राम एवं परिवहन की सुविधा तथा भोजन की उपलब्धि आदि सम्बन्धी सूचना देनी चाहिए। जन संपर्क द्वारा भी पर्यटन को गति दी जा सकती है। सेमिनार तथा इसक लिए मेला, प्रदर्शनी आदि जैसी विधियाँ अपनाई जा सकती हैं।

13.2.5 पर्यटन नियोजन भी आवश्यक है अन्यथा कभी-कभी एक ही स्थान पर इतनी भीड़ एकत्रित हो जाती है कि उससे अनेक प्रकार की असुविधाओं का सामना लोगों को करना पड़ता है। भोजन, आवास, परिवहन सम्बन्धी असुविधाओं के अतिरिक्त बीमारी फैलने की भी संभावना रहती है। अत: पर्यटन को नियोजित करना आवश्यक है। इस दिशा में सरकार का भी दायित्व होता है कि वह किसी पर्यटन स्थल पर पर्यटकों की सुख-सुविधा की दिशा में कार्य करे। पर्यटकों को आवासीय सुविधा प्रदान के लिए भवन-निर्माण आवश्यक है। सरकार इस हेतु भूमि अधिग्रहण कर सकती है, जिस पर वह स्वयं भवन निर्मित कर सकती है अथवा निजी हाथों में सौंप सकती है। परन्तु नियोजन में यह दृष्टिकोण होना चाहिए कि प्राकृतिक सम्पदा को कोई क्षति नहीं पहुँचे।

13.2.6 पर्यटन विकास की ओर भारत में सही कदम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उठाया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना (1952) में पर्यटन का स्वरूप निर्धारित किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1957) में केन्द्रीय एवं प्रान्तीय क्षेत्र में भवन निर्माणार्थ तथा स्थलों के सुन्दरीकरण के लिए एक बड़ी राशि आवंटित की गई। पर्यटकों की सुविधा के लिए टुरिस्ट लॉन (Tourist Lodge) बनाये गए। Indian Tourist Development Corporation (ITDC) की स्थापना की गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना (1962) में उन पर्यटन केन्द्रों में विकास का प्रावधान किया गया जहाँ पर्यटन सुविधा उपलब्ध नहीं थी। बोधगया, खजुराहो, सॉची, महाबलिपुरम्, कोणार्क, भुवनेश्वर, मदुरै आदि अनेक स्थानों पर सुविधाएँ उपलबध कराई गईं जहाँ विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1967) में नियोजन की गति में तेजी लाने के लिए केन्द्रीय एवं प्रान्तीय क्षेत्रों का विभाजन किया गया। विदेशी पर्यटन नियोजन केन्द्र के हाथों में तथा स्वदेशी प्रान्त के हाथों में सौंपा गया। पंचम पंचवर्षीय योजना (1972) में पर्यटन की दिशा में केन्द्र एवं राज्य सरकारों का दायित्व बढ़ाया गया। षष्ठ पंचवर्षीय योजना में पर्यटन के महत्त्व को स्वीकार करते हुए पर्यटकों को आवासीय सुविधा देने की दिशा में कार्य को बढ़ाया गया। पर्यटक बंगला (Tourist Bunglow), युवक निवास (Youth Hostel) जैसी योजनाएँ कार्यान्वित हुईं। सप्तम पंचवर्षीय योजना में सर्वप्रथम पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला। वर्तमान काल में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार निरन्तर कार्य कर रही है। अर्थात् पर्यटन नियोजन में सरकार की अहम भूमिका होती है।

13.2.7 पर्यटन के विकास के लिए आवास, यातायात की सुविधा तथा अच्छी कानून व्यवस्था का होना आवश्यक है। वैसे पर्यटन स्थलों का आकर्षक होना आवश्यक है। पर्यटक सुरक्षित एवं सुविधा पूर्वक मात्रा करना चाहते हैं। यात्रा के साथ सुखद विश्राम भी जीवन का आवश्यक अंग है। पर्यटन को

विकसित करने के लिए इन सभी बातों पर ध्यान देना होगा। पर्यटन से जुड़े कर्मचारियों को प्रशिक्षित होना चाहिए। उन्हें अपने कार्य की पूरी जानकारी होनी चाहिए तथा स्वभाव विनम्र होना चाहिए। जिस प्रकार दुकानदार अपने ग्राहकों से पेश आता है वैसा ही व्यवहार पर्यटन से जुड़े कर्मचारियों को पर्यटकों से व्यवहार करना चाहिए। विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए पंचसितारा होटलों तथा वातानुकूलित गाड़ियों की व्यवस्था होनी चाहिए। इस दिशा में उद्योगपतियों का सहयोग लेना चाहिए ताकि महँगें होटल एवं गाड़ियाँ विदेशी पर्यटकों को उपलब्ध हो सकें।

13.3. सारांश

पर्यटन का मूल उद्देश्य है आनन्द प्राप्त करना। अत: आनन्द, निरापद यात्रा, विश्राम की सुविधा तथा पर्यटन स्थल की उत्तम कानून-व्यवस्था। आदि पर ही निर्भर है। अत: पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन स्थल की ओर उन्हें आकर्षित करना पड़ता है। अर्थात् जिस प्रकार उत्पादक अपने उत्पादन को बेचने के लिए बाजार की खोज करता है, उसी तरह पर्यटक की खोज आवश्यक है। परन्तु विक्रेता उत्पादक नहीं होते, बल्कि टूर एजेन्ट अथवा टूर आपरेटर बिचौलिया होते हैं। उन्हें लाभ का एक अंश मिलता है। वस्तुत: लाभ तो देश को मिलता है। पर्यटन के लिए पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए संचार माध्यम (पत्र-पत्रिकाएँ, रेडियो-टेलिविजन आदि) का सहारा लेना पड़ता। विज्ञापन के जरिए भी पर्यटकों को आकर्षित किया जाता है। विज्ञापन को अधिक-से-अधिक प्रभावशाली बनाने की चेष्टा की जाती है। पर्यटन नियोजन पर्यटन उद्योग की आवश्यकता है। पर्यटन नियोजन में सरकार की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। पर्यटन विकास की ओर भारत में सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। पंचवर्षीय योजनाओं में पर्यटन विकास के लिए धन आवंटित किए गए हैं एवं केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों की भूमिका निर्धारित की गई है।

13.4 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. प्रचार के माध्यमों का उल्लेख कीजिए।
2. पर्यटन के दृष्टिकोण से प्रथम पंचवर्षीय योजना का महत्त्व बतायें।
3. पर्यटन के दृष्टिकोण से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का महत्त्व बतायें।

13.5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. पर्यटन के विकास में संचार माध्यम के महत्त्व पर प्रकाश डालिए।
2. पर्यटन के विकास में विज्ञापन माध्यम के महत्त्व पर प्रकाश डालिए।
3. पर्यटन नियोजन में सरकार की भूमिका पर प्रकाश डालिए।

13.6 संदर्भ ग्रंथ

1. पर्यटकों का देश भारत – डॉ० शिवस्वरूप सहाय
2. पर्सपेक्टिव्य ऑफ इंडियन टूरिज्म इन इंडिया – एस० एन० छिव
3. इंडियन टूरिज्म – कर्ण सिंह

❑❑❑

पर्यटक गाइड एक पेशा के रूप में (Tourist Guide as a Career)

14.0 उद्देश्य

इस पाठ का उद्देश्य पर्यटक गाइड के कार्यों और पर्यटन उद्योग में उसकी भूमिका पर प्रकाश डालने के साथ-साथ एक पेशा के रूप में पर्यटक गाइड के भविष्य पर प्रकाश डालना है।

14.1 भूमिका

पर्यटक गाइड पर्यटन उद्योग में एक अहम भूमिका निभाता है। उत्साही व्यक्ति इसे अपना पेशा बना सकते हैं। किसी भी पर्यटन स्थल पर गाइड की आवश्यकता होती है चूँकि पर्यटक को देखने लायक वस्तुओं की पूरी जानकारी नहीं होती है अगर होती भी है तो उसे उस स्थल पर ढूँढना कठिन हो जाता है तथा इसमें समय बर्बाद होता है। परन्तु अगर उसे गाइड की सुविधा प्राप्त हो तो कम से कम समय में वह उस स्थल को देख सकता है। ये गाइड दो तरह के हो सकते हैं। पहला तो ऐसे स्थानीय व्यक्ति होते हैं जिनके पास फालतू समय होता है और वे देश-विदेश के पर्यटको से मिलने में आनन्द अनुभव करते हैं। ऐसे व्यक्ति स्थानीय दर्शनीय स्थलों की जानकारी प्राप्त करते हैं, इस स्थान के भूगोल से पूर्णत: परिचित होते हैं और पढ़े-लिखे होते हैं। वे पर्यटकों से अपनी सेवा के लिए कोई मूल्य नहीं लेते। जबकि दूसरा वर्ग उन गाइडो का होता है जो इस सेवा के लिए सरकार द्वारा नियुक्त होते अथवा निजी तौर पर मूल्य लेकर पर्यटकों को अपनी सेवा प्रदान करते हैं। ऐसे निजी तौर पर कार्य करनेवालों की भीड़ प्रमुख दर्शनीय स्थलों पर देखी जा सकती है।

14.2 मुख्य पाठ

पर्यटक गाइड पर्यटन उद्योग में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस प्रकार भोजन में नमक की भूमिका होती है, उसी तरह पर्यटक के पर्यटन के दौरान आनन्द की वृद्धि करने अथवा पर्यटन को सफल बनाने में वे महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पर्यटक गाइड कम-से-कम समय में किसी पर्यटन स्थल के सम्बन्ध में पर्यटक को जानकारी उपलब्ध कराते हैं। पर्यटन जिन बातों को पुस्तक के माध्यम से ठीक से समझ नहीं पाता गाइड की सहायता से उसे समझने में सरलता होती है। पर्यटक स्थानीय भाषा से अपरिचित होता है इसलिए स्थानीय लोगों से वार्तालाप करने में कठिनाई होती है। परन्तु पर्यटक गाइड इस कार्य में उनकी सहायता करता है। पर्यटक गाइड ऐसे पर्यटकों को पर्यटन स्थल के विषय में पूरी जानकारी देते हैं जो स्वयं अनपढ़ अथवा कम पढ़े लिखे होते हैं। पर्यटक गाइड किसी पर्यटन स्थल के विषय में जानकारी उनके साथ घूम-घूमकर कर देता है। वह उन्हें उस स्थान के इतिहास तथा स्मारकों, कलावशेषों आदि से एक स्थान खड़े होकर व्याख्यान के रूप में समझा सकता है, परन्तु वह पर्यटकों के साथ-साथ चलकर प्रत्येक वस्तु के विषय में जानकारी देता है। पर्यटन गाइड न केवल स्थान विशेष, बल्कि आस-पास के क्षेत्रों के विषय में भी जानकारी देता है। पर्यटकों के सभी संशयों का निवारण करता है तथा जिज्ञासा को शान्त करता है। इतना ही नहीं पर्यटक गाइड पर्यटक को स्थानीय असामाजिक तत्त्वों द्वारा ठगे जाने से भी बचाता है। पर्यटन के दौरान आवास, भोजन-जलपान, वाहन तथा

अन्य छोटी-मोटी आवश्यकताओं की उपलब्धि में गाइड पर्यटक की सहायता करते हैं। प्राचीन भारत के मन्दिरों, गुफाओं, स्तूपों आदि जैसे पर्यटन स्थल घूमनेवाले पर्यटकों को गाइड इनकी कला की विशेषताओं तथा इतिहास से परिचित कराता है। मध्यकालीन भारत के विभिन्न राजाओं तथा राजघरानों से सम्बद्ध स्थलों तथा स्मारकों से जुड़ी कहानियों से पर्यटकों को गाइड परिचित कराकर पर्यटन को अधिक सरस एवं आनन्ददायक बनाते हैं।

14.2.1. पर्यटन के विकास के साथ पर्यटक गाइड एक पेशा के रूप में उभरकर आया है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि पर्यटन अथवा किसी उद्देश्यवश दर-दराजों के देशों में यात्रा बिना गाइड की सहायता से संभव था। यह यात्रा प्राचीनकाल में चाहे चीनी यात्रियों ने कीटो अथवा मध्यकाल में मुस्लिम यात्रियों ने अथवा आधुनिक काल में यूरोपवासियों ने अथवा पुरावशेषों की खोज में पुरातत्त्ववेत्ताओं ने, सबने स्थानीय गाइड की सहायता अवश्य ली होगी। इन स्थानीय गाइडो को या तो पारिश्रमिक देना पड़ा होगा अथवा लोगों ने स्वेच्छा से बिना किसी पारिश्रमिक के उनका मार्गदर्शन किया होगा। वैसे आज दर्शनीय स्थलों अथवा पर्यटन स्थलों में पढ़े-लिखे अथवा अशिक्षित बेरोजगार लोग घूमते रहते हैं जो पर्यटकों की सहायता कर अपनी जीविका चलाते हैं। ऐसे स्थानीय दर्शनीय स्थलों की विशेषताओं से पूर्णत: परिचित होते हैं, इसलिए वे पर्यटकों को विभिन्न स्थानों को देखने में सहायता करते हैं, बल्कि उनके विषय में उन्हें जानकारी भी देते हैं।

14.2.2. टूरिस्ट गाइड को हम हिन्दी में पर्यटक निर्देशन अथवा पर्यटक मार्ग दर्शक अथवा पर्यटक सहायक कह सकते हैं। वस्तुत: टूरिस्ट गाइड पर्यटकों का निर्देशन अथवा मार्गदर्शन करता है अथवा पर्यटन में उनकी सहायता करता है। ये पर्यटक गाइड प्राइवेट (निजी तौर पर कार्य करनेवाले) तौर पर कार्य करते हैं अथवा सरकार गाइड को नियुक्त करता है। जहाँ तक निजी तौर पर कार्य करनेवालों का प्रश्न है इन्हें दो वर्गों में बाँटा जा सकता है–पंजीकृत–जो पर्यटन विभाग द्वारा इस कार्य के लिए उपयुक्त समझे जाते हैं तथा पर्यटन स्थल पर इन्हें पर्यटकों को गाइड करने की अनुमति होती है तथा दूसरा वर्ग उन गाइडों का है जो स्वेच्छा से यह कार्य करते हैं।

14.2.2.1. सरकारी गाइड वे होते हैं जिन्हें केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय सरकार एक निश्चित वेतनमान पर इस कार्य के लिए नियुक्त करती है। ऐसे गाइड महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थलों तथा संग्राहलयों में नियुक्त किए जाते हैं। इनका कार्य होता है पर्यटकों को दर्शनीय वस्तुओं की व्याख्या से अवगत कराना। केन्द्रीय पुरातत्त्व विभाग द्वारा ऐसे गाइड लेक्चरर महत्त्वपूर्ण पुरास्थलों तथा संग्रहालयों में नियुक्त किए जाते हैं। ये भारत के प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति से पूर्णत: परिचित होते हैं। कम-से-कम इनकी शैक्षणिक योग्यता बी०ए० होनी चाहिए। नियुक्ति के बाद जिस स्थान पर नियुक्त किया जाता है उस स्थान के विषय में इन्हें पूरी जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। अर्थात् इन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। सरकारी गाइड पर्यटकों को नि:शुल्क सेवा प्रदान करते हैं।

14.2.2.2. पंजीकृत गाइड वैसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें पर्यटन विभाग द्वारा किसी निश्चित पर्यटन स्थल पर कार्य करने की अनुमति मिली हो। पंजीकरण के पूर्व इनकी शैक्षणिक योग्यता तथा उस विशेष पर्यटन स्थल के सम्बन्ध में जानकारी की जाँच की जा सकती है। ऐसे पंजीकृत पर्यटक गाइड एक निश्चित फीस के हकदार होते हैं जिसे वे पर्यटकों से प्राप्त करते हैं। पर्यटन विभाग में स्थान विशेष की जानकारी के आधार पर कुछ लोग अपना नाम पंजीकृत करवाते हैं जिनकी सेवा आवश्यकता पड़ने पर ली जाती है।

14.2.2.3. स्वेच्छा से पर्यटक गाइड के कार्य से बहुत लोग जुड़े होते हैं। ऐसे लोग पर्यटन विभाग से पंजीकृत नहीं होते, परन्तु वे पर्यटकों की तलाश में रहते हैं जिन्हें वे उनके इच्छित स्थानों पर ले जा सके तथा उनके विषय में जानकारी दे सके। ऐतिहासिक स्थानों पर आस-पास के गाँव के लोग यह कार्य करते हैं। हिल स्टेशनों पर घोड़ेवाले अथवा अन्य ऐसे कार्य करते हैं। अगर आप लखनऊ की बारादरी देखने जाये अथवा ग्वालियर के किले का सैर करे अथवा मॉडू की वादियों तथा महलों को देखने जाय तो स्थानीय गाइड इनसे जुड़े अनेक कहानियाँ सुनायेंगे और आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे। ऐसे गाइड अपनी सेवा के लिए फीस लेते हैं। यह फीस कोई निश्चित राशि नहीं होती है। यह राशि पर्यटक एवं गाइड के आपसी सहमति से तय होती है।

14.2.3. पर्यटक गाइड को शिक्षित होना चाहिए। कम-से-कम स्नातक स्तर की परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए। भारत के इतिहास एवं संस्कृति से अवश्य अवगत होना चाहिए। इनके अतिरिक्त उसे हिन्दी और अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। साथ-ही-साथ किसी स्थान विशेष से जुड़े गाइडों को स्थानीय भाषा का ज्ञान अवश्यक होना चाहिए। अगर गाइड अनेक देशी एवं विदेशी भाषा का ज्ञाता हो तो वह एक सफल पर्यटक गाइड की भूमिका अदा कर सकता है। गाइडों के लिए स्थानीय भूगोल की भी जानकारी होनी चाहिए। विदेशी मुद्राओं की जानकारी भी होनी चाहिए। उसका व्यवहार नम्र तथा आवाज स्पष्ट एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। वार्तालाप करने की कला का ज्ञान पर्यटक गाइड के लिए आवश्यक है। उसे जिस स्थान अथवा स्थानों पर पर्यटकों को ले जाना हो। वहाँ आवास की क्या सुविधा है तथा परिवहन की क्या सुविधा है इसका ज्ञान भी अवश्य होना चाहिए।

14.2.4. पर्यटक गाइड की सरकार द्वारा नियुक्ति एक निश्चित वेतनमान पर की जाती है जिसके लिए विज्ञापन दिया जाता है। विज्ञापन में पद संख्या, आवेदकों के लिए योग्यता आदि की जानकारी दी जाती है। अत: शिक्षित बेरोजगार युवक इसे एक पेशा के रूप में अपनाते हैं। अर्थात् प्राप्त वेतन उनकी जीविका का साधन होता है। परन्तु पंजीकृत गाइड को वेतन नहीं मिलता उन्हें पर्यटन विभाग एक विशेष पर्यटन स्थल पर गाइड का कार्य करने की अनुमति देता है। उनकी इस सेवा के लिए पर्यटक से एक निश्चित फीस लेने की अनुमति दी जाती है। चूँकि ऐसे गाइड अपने घर के आस-पास के पर्यटन स्थल पर काम करते हैं, अत: इस कार्य से वे अपना अतिरिक्त आय करते हैं। वैसे पर्यटन के लिए अनुकूल मौसम में पर्यटकों की भीड़ होने पर इन्हें अच्छी आमदनी प्राप्त होती है। किसी-किसी पर्यटन स्थल पर जहाँ अत्यधिक भीड़ एकत्र होती है वहाँ बहुत से स्थानीय व्यक्ति गाइड का कार्य स्वेच्छा से करते हैं। इस कार्य में उन्हें न केवल तरह-तरह के लोगों से मिलने का आनन्द प्राप्त होता है, बल्कि पर्यटक खुश होकर उन्हें पैसा अथवा कोई सामान भेंट करते हैं। अर्थात् अतिरिक्त आय के लिए स्थानीय व्यक्ति यह पेशा अपना सकते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है पर्यटक जिस प्रकार होटलों में सेवा करनेवाले होटल कर्मचारियों को 'टिप' देते हैं, वैसे ही पर्यटक गाइड को 'टिप' देते हैं।

14.2.5. पर्यटक गाइड का एक वर्ग किसी स्थान विशेष से जुड़ा नहीं होता, बल्कि वह टूरिस्ट एजेन्सियों, अथवा टूर आपरेटरों से जुड़ा होता है। ऐसा पर्यटक गाइड पर्यटक दल के साथ विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण करता है और उनकी यात्रा में आरम्भ से लेकर अन्त तक उनके साथ-साथ रहता है। वस्तुत: वह पर्यटक निदेशक के रूप में कार्य करता है। इनका कार्य होता है पर्यटक को पर्यटन स्थलों

का विस्तृत विवरण देना। दर्शनीय स्थलों पर जाने का मार्ग बताना तथा दूरी, व्यय, सुविधाओं-असुविधाओं और पर्यटन से जुड़े केन्द्रों और उनके महत्त्व की सूचना देना। यात्रा आरम्भ से लेकर यात्रा के अन्त तक वह पर्यटकों के सुख-सुविधा पर ध्यान रखता है। वह विभिन्न पर्यटन केन्द्रों पर अपेक्षित सुख-सुविधा जुटाने के लिए अपनी इकाइयों अथवा सम्बन्धित इकाइयों से टेलिफोन अथवा सम्बन्धित इकाइयों से टेलिफोन अथवा तार के माध्यम से सम्पर्क करता है। वह पर्यटकों को रास्त में पढ़ने वाले स्थानों के इतिहास का तथा उसकी विशेषताओं से परिचित कराता है। वह उन्हें स्थानीय व्यापारियों द्वारा ठगे जाने से बचाता है साथ-ही-साथ स्थानीय व्यापारियों से अच्छी सामग्री खरीदने में मदद करता है। अत: पर्यटक गाइड पर्यटन के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे गाइडों के लिए देश के इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, अधिक-से-अधिक देशी-विदेशी भाषाओं का ज्ञान उन्हें एक सफल गाइड बनने में सहायक होता है। इतिहास एवं संस्कृति के ज्ञान के अतिरिक्त कम-से-कम राष्ट्रभाषा एवं अंग्रेजी का ज्ञान अपेक्षित है।

14.3. सारांश

पर्यटन उद्योग के विकास में पर्यटक गाइड एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यटक जब किसी दर्शनीय स्थल पर जाता है, विशेषकर ऐतिहासिक स्थलों एवं संग्रहालयों में तो वह उसके विषय में जानकारी देनेवाला एक सहायक चाहता है। गाइड इस कार्य को सम्पन्न करता है। वह पर्यटन को रोचक बनाता है। पर्यटक गाइड की सहायता से पूर्ण संतुष्टि मिलती है। पर्यटक गाइड एक पेशा के रूप में उभर कर आया है और हर आयु वर्ग के लोग इसकी ओर आकृष्ट हो रहे हैं। सरकार पुरातात्त्विक स्थलों तथा संग्रहालयों में गाइड की नियुक्ति करता है। पर्यटन विभाग पर्यटक गाइडों को पंजीकृत करता है और उन्हें पर्यटकों को सेवा देने की अनुमति देता है। सरकार इस कार्य के लिए विशेष शिक्षा पाये लोगों को नियुक्त कर प्रशिक्षित करती है तो पर्यटन विभाग पंजीयन के पूर्व गाइड केलिए उम्मीदवार लोगों के स्थल विशेष के विषय में जानकारी की जाँच करती है। इन दोनों वर्गों के गाइडो के अतिरिक्त बहुत से स्थानीय व्यक्ति स्वेच्छा से यह कार्य करते हैं। सरकारी गाइडो को निश्चित वेतनमान मिलता है जबकि पर्यटन विभाग द्वारा पंजीकृत गाइडों को निर्धारित फीस मिलता है। स्वेच्छा से यह कार्य करनेवाले नि:शुल्क सेवा देते हैं अथवा पर्यटकों से सेवा का मूल्य अथवा भेंट स्वीकार करते हैं। टूरिस्ट आपरेटर तथा ट्रैवल एजेंसियाँ भी गाइड की सेवा प्राप्त करते हैं जो पर्यटकों के लिए विभिन्न पर्यटन स्थलों की यात्रा सुनिशिचित करते हें तथा न केवल उन स्थलों के विषय में उन्हें जानकारी देते हैं, बल्कि पर्यटकों की सुविधाओं को भी सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार पर्यटन उद्योग के विकास में पर्यटक गाइड एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

14.4 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. पुरा स्थलों पर नियुक्त सरकारी गाईड को पारिश्रमिक कौन देता है?
2. क्या संग्रहालयों में भी गाइड नियुक्त होते हैं?
3. पर्यटक गाइड के विभिन्न वर्गों का उल्लेख कीजिए।
4. क्या पर्यटक गाइडों को 'टिप' अथवा भेंट (Gift) भी देते हैं?

14.5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. पर्यटक गाइड के लाभ पर प्रकाश डालिए।
2. पर्यटक गाइड के विभिन्न वर्गों की नियुक्ति किस प्रकार होती है, इस पर प्रकाश डालिए।
3. पर्यटक गाइड की शिक्षा पर प्रकाश डालिए।
4. पर्यटक गाइड के कार्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

14.6 संदर्भ ग्रंथ

1. पर्यटकों का देश भारत – डॉ० शिवस्वरूप सहाय
2. पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन टूरिज्म इन इंडिया – एस० एन० छिव
3. इंडियन टूरिज्म – कर्ण सिंह

❑❑❑

एक पर्यटक केन्द्र के रूप में नालन्दा (Nalanda as a Tourist Centre)

15.0 उद्देश्य

नालान्दा एक पर्यटन स्थल है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों, स्मारकों तथा पर्यटन से जुड़े अन्य सुविधाओं का वर्णन करना इस पाठ का उद्देश्य है।

15.1 भूमिका

भारत के प्राचीन इतिहास में बिहार का इतिहास अत्यन्त समृद्ध रहा है, क्योंकि बिहार ने प्राचीन भारतीय राजनीति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। यहाँ अनेक स्थान ऐसे हैं जो अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत करते हैं। इन स्थानों के पुरातात्त्विक अवशेष पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। ऐसे ही स्थानों में नालन्दा का पुरातात्त्विक अवशेष एक है। यह स्थान बौद्धों के लिए अत्यन्त पवित्र है। नालन्दा प्राचीन भारत में शिक्षा के केन्द्र के रूप में विख्यात रहा है जहाँ दूर-दूर से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ के उत्खनन से प्राप्त पुरातात्त्विक अवशेष अपने गौरवशाली अतीत को उजागर करने में सक्षम हैं। अत: यह नालंदा पर्यटकों को अपनी ओर आकृष्ट करता है।

15.2 मुख्य पाठ

भारत का यह पर्यटन स्थल, नालन्दा, बिहार प्रान्त में स्थित है। यहाँ की राजधानी पटना से 90 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में स्थित है। नालन्दा विख्यात बौद्ध-स्थल है इसकी ख्याति केवल शिक्षा केन्द्र के रूप में ही नहीं, बल्कि भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य सारिपुत्र का जन्म स्थल तथा मृत्युस्थल होने के कारण भी है। जैसे नालन्दा का वास्तविक महत्त्व एक पर्यटन केन्द्र के रूप में सारियुत्त के जन्म स्थान होने के कारण नहीं, बल्कि एक विख्यात शिक्षा केन्द्र होने के कारण हैं। एक शिक्षा केन्द्र के रुप में उसका उदय लगभग 450 ई० के आस-पास हुआ चूँकि फाह्यान (410 ई०) ने इस स्थान के शैक्षणिक महत्त्व का उल्लेख नहीं किया है। सर्वप्रथम गुप्त नरेश कुमारगुप्त प्रथम ने यहाँ एक बिहार की स्थापना की और उसे भूमिदान देकर उसके शैक्षणिक महत्त्व की नींव डाली। इस बिहार में स्थित बौद्ध मन्दिर सदियों तक पूजा का केन्द्र बना रहा। तथागत गुप्त बालादित्य तथा बुधगुप्त ने यहाँ एक-एक बिहार स्थापित किया। इसके अतिरिक्त बज्र नामक राजा ने यहाँ दो और बिहारों की स्थापना की। इस प्रकार ग्यारहवीं शताब्दी तक हिन्दू तथा बौद्ध दानकर्ताओं द्वारा बिहारों की स्थापना होती रही। इस प्रकार कुमारगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित बिहार ने धीरे-धीरे महान शिक्षा केन्द्र का स्वरूप धारण कर लिया।

15.2.1. उत्खनन से ज्ञात होता है कि नालन्दा विश्वविद्यालय कम-से-कम एक मील लम्बे तथा आधा मील चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। यहाँ के बिहार एवं स्तूप एक पूर्व नियोजित योजना के अनुसार निर्मित हुए। केन्द्रीय कालेज में सात हॉल (Hall) थे और तीन सौ छोटे-छोटे कमरे थे जिसमें पढ़ाई होती थी। यह भवन अतिसुन्दर था तथा कई मंजिला था। हुई-ली के अनुसार ऊपरी मंजिल के कमरे बादलों

से भी ऊपर थे। अभिलेखों में भी भवन की ऊँचाई का उल्लेख मिलता है। अतः यह अनुमान किया जा सकता है कि कॉलेज, मंदिर तथा बिहार की मीनारें काफी ऊँची रही होंगी। स्वच्छ जल तथा कमल के फूल वाले तालाब भी थे जो इस स्थान की जलापूर्ति करते थे तथा पूजा के लिए फूल उपलब्ध कराते थे। सम्पूर्ण विश्वविद्यालय परिसर एक चहारदीवारी से घिरा था, जिसके दक्षिणी भाग में प्रवेश द्वार बना था।

15.2.2. उत्खनन से तेरह ऐसे बिहारो के अवशेष मिले हैं जिनमें भिक्षु-विद्यार्थी रहा करते थे। ये बिहार कम-से-कम दो मंजिला थे और इनमें एक छात्र के लिए और दो छात्रों के रहने के लिए कमरे बने थे। कतिपय बिहारों में प्रत्येक कमरे में प्रत्येक छात्र के सोने के लिए पत्थर की चौकी थी तथा दीवार में ताखे बने थे जिसमें वे दीया तथा पुस्तक आदि रखते होंगे। उत्खनन में पाकशाला अथवा भोजनकक्ष का अवशेष भी मिला है। जब इत्सिंग (675 ई०) यहाँ आया था तो तीन हजार से अधिक भिक्षु यहाँ रहते थे। ह्वेनसांग की जीवनी के लेखक के अनुसार इस चीनी यात्री के समय यहाँ छात्रों की संख्या लगभग 10,000 (दस हजार) थीं। वैसे स्वयं ह्वेनसांग ने छात्रों की संख्या का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। नालन्दा का महत्त्व एक विख्यात उच्च शिक्षा केन्द्र होने के कारण था। विदेशी छात्रों को भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह शिक्षा केन्द्र आकर्षित करता था और विदेशी छात्र यहाँ बड़ी संख्या में शिक्षा ग्रहण करने आते थे। विख्यात विदेशी छात्रों में ह्वेनसांग, ईत्सिंग के अतिरिक्त चीन, तिब्बत, कोरिया आदि के देशों के विद्वानों ने यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण की। यहाँ के विद्वानों में धर्मपाल, चन्द्रपाल, गुणमति, स्थिरमती, ज्ञानमित्र शीलभद्र आदि का नाम आदर के साथ लिया जाता है। यहाँ आनेवाले ज्ञान के पिपासु विदेशी विद्वानों ने यहाँ रहकर यहाँ के विख्यात आचार्यों के चरणों में बैठकर बहुत कुछ सीखा और अनेक पुस्तकों का अपनी भाषाओं में नकल कर अपने देश ले गये। यहाँ योग्यता के बल पर ही प्रवेश मिलता था।

15.2.3. यह उल्लेखनीय है कि नालन्दा विश्वविद्यालय में एक समृद्ध पुस्तकालय भी था। पुस्तकों के इस विशाल भण्डार की के कारण भी विदेश विद्वान इस शिक्षा केन्द्र की ओर आकर्षित होते थे। ईत्सिग ने यहाँ रहकर 400 संस्कृत ग्रन्थों की नकल तैयार की। पुस्तकालय क्षेत्र को धर्मगंज कहा जाता था। यह तीन भवनों में अवस्थित था जिन्हें रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक कहा जाता था। इस पुस्तकालय भवन का भी अवशेष मिला है।

15.2.4. बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार में नालन्दा महाविहार के आचार्यों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ के आचार्यों ने आठवीं शताब्दी से तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार कार्य में महत्त्वूपर्ण योगदान दिया। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यहाँ तिब्बती भाषा की पढ़ाई होती थी। अनेक संस्कृत ग्रन्थों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया।

15.2.5. नालन्दा विश्वविद्यालय का महत्त्व विक्रमशिलाा विश्वविद्यालय की प्रगति के साथ ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी में थोड़ा कम हुआ। तेरहवीं शताब्दी के प्रारंभ में बख्तियार खिलजी ने संस्थान का विध्वसं किया तथा एक शिक्षा केन्द्र के रूप में इसका महत्त्व सदा के लिए समाप्त हो गया।

15.2.6. नालन्दा विश्वविद्यालय का अवशेष एक विस्तृत क्षेत्र में फैला है। इसके खण्डहरों में घूमने से इस बात का अनुभव होता है कि अतीत में नालन्दा का यह शिक्षा केन्द्र किस प्रकार कार्य करता होगा। ये खण्डहर प्राचीन भवन-निर्माण कला का परिचय देते हैं। एक चैत्य का अवशेष मिला है जिसे सात बार पुनर्निमित किय गया। भवनों की निर्माण योजना, कमरों का आकार-प्रकार, बिहारों की निर्माण-योजना आदि का समुचित ज्ञान हमें इन अवशेषों से होता है।

15.2.7. नालन्दा एक बौद्ध महाविहार था। भिक्षुओं द्वारा पूजा के लिए मंदिर भी बने थे और मंदिरों में देवी-देवताओं की मूर्तियाँ भी प्रतिष्ठित थीं। नालन्दा के उत्खनन से अनेक प्रस्तर एवं धातु की मूर्तियाँ, मृण्भाण्ड, सिक्के, अभिलेख तथा अन्य सामग्रियाँ मिली हैं जो कला की अनुपम धरोहर हैं। इन्हें पुरातात्त्विक संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। अत: संग्रहालय जो खण्डर के सामने स्थित हैं पयर्टकों के लिए विशेष आकर्षण का केन्द्र है। नालन्दा के पास ही एक सूर्य मंन्दिर है, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। नालन्दा में बिहार सरकार ने नव नालन्दा बिहार की स्थापना की है जिससे पालि तथा प्राकृत भाषा तथा बौद्धदर्शन की पढ़ाई की व्यवस्था है। यहाँ देश-विदेश के विद्यार्थी इनका अध्ययन करने के लिए आते हैं। यह भी पर्यटों के लिए आकर्षण का केन्द्र है। नालन्दा के निकट ही राजगीर एक महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। नालन्दा एवं राजगीर के बीच में सिलाव नामक स्थान 'खाजा' (एक मिठाई) बनाने के लिए विशेष रूप से विख्यात है। पर्यटकों को यह स्थान भी आकर्षित करता है।

15.2.8. नालन्दा पटना से रेल अथवा सड़क मार्ग से जाया जा सकता है। पटना-राजगीर रेलमार्ग नालन्दा होकर गुजरता है। अनेक गाड़ियाँ पटना और राजगीर के बीच चलती हैं जिनमें श्रमजीवी एक्सप्रेस तथा दानापुर-राजगीर इन्टरसीटी प्रमुख हैं। सभी गाड़ियाँ नालन्दा स्टेशन पर रूकती है। यहाँ रिक्शा अथवा किसी अन्य सवारी से नालन्दा के खण्डहरों तक पहुँचा जा सकता है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की विशेष बसें भी पर्यटों को वहाँ ले जाती हैं। टैक्सी किराये पर लेकर पटना से जाया जा सकता हैं सड़क मार्ग अच्छा है, बल्कि यात्रा का बहुत बड़ा हिस्सा हाईवे द्वारा पार करना पड़ता है। जहाँ तक ठहरने की सुविध का प्रश्न है कुछ दूरी पर स्थित बिहारशरीफ अथवा राजगीर में अनेक होटल है जहाँ सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। विशेषकर राजगीर में उच्च कोटि के होटल हैं, पर्यटन विभाग द्वारा परिचालित होटल है तथा अनेक लॉज है। अत: हर श्रेणी के पर्यटक राजगीर में ठहर सकते है।

15.2.9. नालन्दा में केन्द्रीय पुरातत्त्व विभाग द्वारा गाइड नियुक्त हैं जो पर्यटकों को नालन्दा के गौरवशाली अतीत से परिचित कराते हैं। सरकारी गाइड के अतिरिक्त पर्यटन विभाग द्वारा अनुशंसित गाइड भी उपलब्ध हैं जो पर्यटों को अपनी सेवा प्रदान करते हैं। उसी प्रकार संग्रहालय के कर्मचारी पर्यटकों को संग्रहालय में प्रदर्शित सामग्रियों के विषय में जानकारी देते हैं।

15.3. सारांश

पटना से 90 किलोमीटर दूर दक्षिण-पूर्व दिशा में नालन्दा स्थित है प्राचीन भारत में यह एक महत्त्वपूर्ण शिक्षा केन्द्र के रूप में विख्यात था। प्राचीन नालन्दा विश्वविद्यालय यहाँ स्थित था। जिसके खण्डर इसके प्राचीन खण्डर इसके प्राचीन गौरव के साक्षी हैं। हजारों विद्यार्थी हजारों आचार्यों की देख-रेख में यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षा की सुविध अनेक हॉल तथा विद्यार्थियों के रहने के लिए बिहार थे। जिनका निर्माण 450 ई॰ से 1200 ई॰ के बीव समय-समय पर किया है। यहाँ विदेशों से भी विद्यार्थी आते थे विशेषकर चीन एवं तिब्बत से। यहाँ अध्ययन के लिए तीन बड़े-बड़े पुस्तकालय भवन भी थे। ह्वेनसंग, फाह्यान तथा इत्सिंग जैसे चीनी यात्रियों ने यहाँ की यात्रा की ओर इस शिक्षा केन्द्र का लाभ उठाया। यहाँ के आचार्यों ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार किया। यह एक बौद्ध शिक्षा केन्द्र था। नालन्दा भगवान बुद्ध के शिष्य सारिपुत्त का जन्मस्थान भी था। परन्तु इस महत्त्वूपर्ण शिक्षा केन्द्र का विध्वंस बख्तियार खिलजी ने तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में किया। नालन्दा एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। इसके खण्डहरों में घूमकर इसकी प्राचीन गरिमा का अनुभव किया जा सकता है। यहाँ के उत्खनन

से प्राप्त प्रस्तर, धातु आदि की मूर्त्तियाँ, अभिलेख तथा अन्य सामग्रियाँ यहाँ के संग्रहालय में सुरक्षित है। यहाँ पटना से रेल अथवा सड़कमार्ग से सुविधापूर्वक पहुँचा जा सकता है। यहाँ सरकार की ओर से गाइड नियुक्त है। प्राइवेट गाइड भी यहाँ मिलते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक दूसरा पर्यटन स्थल राजगीर जहाँ ठहरेन की सुविध उपलब्ध है।

15.4 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. नालन्दा पटना से कितनी दूरी पर है तथा इसका क्या महत्त्व है ?
2. यहाँ सर्वप्रथम किस राजा ने बिहार बनवाया ?
3. यहाँ के पुस्तकालय भवनों के नामों का उल्लेख कीजिए।
4. यहाँ आनेवाले चीनी यात्रियों के नामों का उल्लेख कीजिए।

15.5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. नालन्दा का पर्यटन स्थल के रूप में महत्त्व पर प्रकाश डालिए।
2. नालन्दा में समय-समय पर बने भवनों के विषय में जानकारी दीजिए।
3. नालन्दा महाबिहार में शैक्षणिक वातावरण तथा शैक्षणिक सुविधा पर प्रकाश ड़ालिए।
4. नालन्दा विश्वविद्यालय का विदेशों के साथ सम्बन्ध प्रकाश डालिए।
5. नालन्दा पर्यटन स्थल में पर्यटकों को क्या सुविधाएँ उपलब्ध हैं, इस पर प्रकाश डालिए।

15.6 संदर्भ ग्रंथ

1. पर्यटकों का देश भारत – डॉ॰ शिवस्वरूप सहाय
2. एन्टिक्वेरियम रीमेन्स इन बिहार – डी॰आर॰ पाटिल

❑❑❑

बिहार के एक पर्यटन केन्द्र के रूप में बोध गया (Bodh Gaya as a Tourist Centre in Bihar)

16.0 उद्देश्य

इस पाठ का उद्देश्य एक पर्यटन केन्द्र के रूप में बोधगया के महत्त्व का वर्णन करना है। यहाँ स्थित स्मारकों, पर्यटन से जुड़े अन्य आकर्षण तथा पर्यटकों के लिये उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देना भी इस पाठ का उद्देश्य है।

16.1 भूमिका

भारत एक महान देश है जिसका प्राचीन इतिहास अत्यन्त गौरवपूर्ण रहा है। यह देश बुद्ध एवं महावीर का जन्म स्थल है। बुद्ध ने एक महान धर्म की स्थापना की। उनके उपदेशों पर आधारित इस धर्म ने विश्व के एक बड़े समुदाय को अपनी ओर आकृष्ट किया और यह देश विश्व के विभिन्न देशों के नागरिकों के लिए तीर्थ स्थल बन गया। चीन, जापान, दक्षिणपूर्व एशिया, श्रीलंका तथा अन्य देशों के बौद्ध भारत आने को लालायित रहते हैं ताकि तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर सकें। इन बौद्ध तीर्थ स्थलों में मंदिरों, स्तूपों, बिहारों तथा मूर्त्तियों का निर्माण हुआ जिनहें देखने के लिए न केवल विदेशों से, बल्कि भारत के बौद्ध ही नहीं बल्कि अन्य भारतवासी भी उत्सुक रहते हैं। ये सभी स्थान पर्यटन के महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गए हैं, जहाँ भारत एवं विदेशों से आनेवाले पर्यटकों की भीड़ रहती है। इन्हीं बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में बोध गया का विशेष महत्त्व है, क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। अतः पर्यटन केन्द्र के रूप में बोधगया का विकास हुआ।

16.2 मुख्य पाठ

बोध गया बिहार प्रान्त में गया शहर के निकट निरंजना नदी के तट पर स्थित एक पवित्र बौद्ध स्थल है। भगवान बुद्ध ने यही ज्ञान अथवा बुद्धत्व प्राप्त किया। यही उन्हें चार आर्य सत्यों का ज्ञान हुआ। यह ज्ञान उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ।

इसका महत्त्व बौद्धों के लिए सबसे अधिक है। इसलिए सम्पूर्ण विश्व के बौद्ध बोध गया आकर इस स्थल को देखना तथा यहाँ पूजा करना चाहते हैं और बड़ी संख्या में बौद्ध धर्मावलम्बी यहाँ आते भी हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि अन्य धर्मावलम्बी के लिए इस स्थल का कोई महत्व नहीं है। अहिंसा का संदेश देने वाले बुद्ध सभी धर्मावलम्बियों के लिए आदरणीय रहे हैं। इसलिए सभी धर्मों से सम्बन्धित पर्यटक भी यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं।

16.2.1. बोध गया के जिस स्थल पर बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने वाले बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहाँ बाद में एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ जिसका शिखर काफी ऊँचा है। इसकी ऊँचाई महाबोधि मंदिर की निर्माण तिथि सातवीं शताब्दी मानी जाती है। इसका शिखर पिरामिड के आकार का है, जिसके ऊपर घंटीनुमा स्तूप बना है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध की सुन्दर मूर्त्ति

है जो भूमिस्पर्श मुद्रा में है। यह मूर्ति काफी विशाल है। भूमि स्पर्श मुद्रा यह प्रदर्शन करता है कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और भूमि की ओर उनके हाथ भूमि की ओर संकेत करना भूमि के साक्षी हाने का संकेत है। बोधिवृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने पर लोगों ने उससे इस बात के साक्षी के विषय में पूछा तो बुद्ध ने धरती की ओर संकेत किया। इस मंदिर के उत्तर की ओर बुद्ध के पद चिह्न मिले हैं जो इस बात का संकेत देते हैं कि भगवान बुद्ध चिन्तन के दौरान यहाँ चहल-कदमी करते थे।

16.2.2. मंदिर के निकट एक बोधिवृक्ष भी है जिसके नीचे बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया था। परन्तु यहाँ वृक्ष भले ही उसी स्थान पर खड़ा हो, परन्तु यह 2500 वर्ष पुराना नहीं है। इसे बाद में यहाँ लगाया गया। फिर भी यह बोधि वृक्ष आज भी बौद्धों के लिए उतना ही पवित्र है जितना कि वह अतीत में रहा होगा।

16.2.3. महाबोधि मंदिर के पश्चिम एवं दक्षिण में शुंग कालीन प्रस्तर की वेदिकाओं के अवशेष मिले हैं, जैसा कि साँची, भरहुत आदि में स्तूप में चारों ओर स्थित मिले हैं। इन वेदिकाओं पर भगवान बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित कथाओं का अंकन हुआ है। यहाँ उल्लेखनीय है कि शुंगकाल में मंदिरों एवं स्तूपों के चारों ओर प्रस्तर वेदिकायें लगायी गयीं। इनपर अंकित आकृतियों और कथाओं को चित्रित करने वाली कला शैली मौर्य कला शैली से सर्वथा भिन्न है। इन कलाओं से सम्बन्धित आकृतियों को प्रस्तर पर जिस कुशलता से उभारा गया है वह प्रशंसनीय है। यह भी पर्यटकों को आकर्षित करता है और वे इसे देखकर अभिभूत हो जाते हैं।

16.2.4. मन्दिर के निकट एक छोटा मंदिर है, जिसे 'रत्नगर' कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने एक सप्ताह तक घर में ध्यानस्थ रहे, जबकि इनके शरीर से विभिन्न रंग की किरणें निकल रही थीं। यहाँ से लगभग डेढ़ किलोमीटर दक्षिण मुछलिन्द झील है जहाँ भगवान बुद्ध जब ध्यान की मुद्रा मे थे तो मुछलिन्द नामक नागराज ने वर्षा एवं ओलों से उनकी रक्षा की थी। मूर्तियों और अलंकृत स्तूपों के अवशेष नगर के विभिन्न भागों में बिखरे पड़े हैं।

16.2.5. यहाँ एक पुरातात्त्विक संग्रहालय भी है जो केन्द्रीय पुरातात्त्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा परिचालित होता है। संग्रहालय में बोधगया से जो मूर्तियाँ तथा अन्य सामग्रियाँ प्राप्त हुईं उन्हें प्रदर्शित किया गया है। यहाँ सगृहीत मूर्तियाँ विभिन्न कालों की है। मुख्यत: यहाँ बौद्ध देवी-देवताओं की मूर्त्तियाँ मिलती हैं। यह संग्रहालय अत्यनत समृद्ध है। संग्रहालय की देखरेख यहाँ नियुक्त क्यूरेटर करता है जो प्रदर्शित सामग्रियों को सही ढ़ंग से प्रदर्शित करने तथा उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयास करता है तथा पर्यटकों को इन्हें देखने में आवश्यकता पड़ने पर सहायता भी करता है।

16.2.6. बोधगया बौद्धों का एक महत्त्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। भगवान बुद्ध के जीवन के चार महत्त्वपूर्ण घटनाओं में एक के साथ बोध गया का सम्बन्ध है। भारत एवं अन्य देशों के बौद्ध (श्रीलंका, वर्मा, जापान, दक्षिण-पूर्व एशियाई देश तथा अन्य देश) यहाँ आकर पुण्य अर्जन करते हैं। अत: यहाँ विभिन्न देशों के पर्यटकों को भीड़ रहती है जिनमें श्रीलंका, थाईलैंड, कम्बोडिया, लाओस तथा अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देश एवं जापान के पर्यटकों की प्रमुखता रहती है। दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देश तथा जापान के बौद्ध समुदाय ने बोधगया में अपने-अपने देशों की कलाशैली के अनुरूप मंदिरों का निर्माण कराया। ये मंदिर अत्यन्त भव्य है और ये सामान्य पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है। इन मंदिरों में उनदेशों के बौद्धभिक्षु पूजा-पाठ करते दिखाई पड़ते हैं। लाओस, थाईलैंड, जापान, कम्बोडिया आदि देशों के तीर्थयात्रियों के लिए इन देशों द्वारा विश्रामगृह की बनवाये गये हैं।

16.2.7. बोध गया गया शहर के निकट स्थित है बल्कि एक दूसरे से लगभग जुड़ा हुआ हैं। हिन्दुओं के लिए गया एक पवित्र नगरी है। यहाँ विष्णुपद मंदिर है जिसका दर्शन करने लोग दूर-दूर से आते हैं। गया का हिन्दुओं के लिए बहुत महत्त्व है, चूँकि अपने पितरों के श्राद्ध करने के लिए हिन्दू पितृपक्ष में आकर पिंडदान करते हैं। रामशिला, बह्रयोनि पर्वत, निरंजना नदी आदि हिन्दुओं के लिए पवित्र तीर्थ स्थल है। बड़ी संख्या में हिन्दू तीर्थ यात्री यहाँ आते है और वे बोध गया का अवश्य भ्रमण करते हैं। पर्यटन स्थल के रूप में गया-बोधगया का बहुत महत्त्व है। हिन्दुओं को ऐसा विश्वास है कि गया में आकर पितरों का श्राद्ध करने तथा पिंड दान करने से उनके पितरों को तृप्ति मिलती है तथा वे मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। गया का विष्णुपद मंदिर काफी पुराना है। इसमें विष्णु की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। इस मंदिर के प्रांगण में अनेक मूर्तियाँ हैं जो मध्य कालीन कला के अनुपम उदाहरण हैं।

16.2.8. बोधगया जाने के लिए रेल अथवा सड़क अथवा वायुमार्ग की सुविध उपलब्ध है। रेल द्वारा दिल्ली, कोलकाता अथवा पटना ले जाया जा सकता है। गया रेलवे स्टेशन दिल्ली से हावड़ा (कोलकाता) के बीच रेलमार्ग पर स्थित है। पटना से भी गया रेलमार्ग द्वारा जुड़ा है। गया से बोधगया सड़क मार्ग से जाया जाता है। पटना से गया सड़क मार्ग से भी जुड़ा है। पटना से गया के लिए टैक्सी तथा बस सेवा भी उपलब्ध है। पटना-गया के बीच की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। पर्यटन विभाग द्वारा पटना बोधगया के बीच बस सेवा भी है। सड़क अच्छी है। जापान के सहयोग से उच्च कोटि की सड़के निर्मित हुई हैं। गया बोध्गाया के बीच रिक्शा, ताँगा, टैक्सी तथा बस सेवा उपलब्ध है। हाल ही में यहाँ एरोड्रोम का निर्माण हुआ है जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का है। अत: वायुमार्ग से भी तीथ्र यात्री गया आकर बोध गया का भ्रमण कर सकते है। गया के निकट स्थित होने के कारण पर्यटक गया में स्थित अनेक होटलों अथवा धर्मशाला में विश्राम करते थे। परन्तु पर्यटन के विकास के लिए सरकार ने अब विशेष ध्यान देना प्रारम्भ किया है। इसलिए यहाँ पर्यटन विभाग द्वारा परिचालित होटल है। बोधगया में अब अनेक छोटे-बड़े होटल खुल गए हैं, जहाँ हर आर्थिक पृष्ठभूमि के नागरिक अपने सामर्थ्य के अनुसार विभिन्न श्रेणी के होटलों में ठहर सकते हैं। इनके अतिरिक्त विभिन्न श्रेणी के रेस्तराँ भी हैं। विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से भरे छोटे-मोटे अनेक दुकाने भी हैं जिसमें पर्यटक खरीददारी कर सकते हैं। गया का तिलकुट भी पर्यटकों को आकर्षित करता है।

16.2.9. इस प्रकार गया-बोधगया एक महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। बोधगया में पर्यटकों के बल पर अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। विभिन्न प्रकार के दुकानदार, वाहन चालकों, प्राइवेट गाइड आदि को रोजगार मिलता है। गया के पंडों की बड़ी संख्या हिन्दू तीर्थ यात्रियों की दान-दक्षिणा पर निर्भर है।

16.3. सारांश

बिहार में गया शहर के निकट बोधगया स्थित है। यह एक बौद्ध तीर्थ स्थल है। यह स्थान बुद्ध जीवन से सम्बन्धित है। यही बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था । अत: बौद्धों के लिए यह पवित्र तीर्थ स्थल है, जहाँ संसार भर के बौद्ध तीर्थ यात्रियों के रूप में पहुँचते हैं। जिस स्थान पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, वहाँ एक 170 फीट ऊँचा भव्य मंदिर स्थित है जिसके गर्भगृह में भूमिस्पर्श मुद्र में बुद्ध की मूर्त्ति प्रतिष्ठित है। वर्तमान मंदिर सातवीं शताब्दी का है। इसके निकट बोधिवृक्ष भी है जिसके नीचे बैठकर बुद्ध ने ध्यान लगाया और ज्ञान की प्राप्ति की। यहाँ दक्षिणपूर्व एशियाई देशों एवं जापान के बौद्ध समुदाय ने अपने देश की कलाशैली के अनुरूप मंदिर का निर्माण कराया तथा अपने देशों के

तीर्थ-यात्रियों के लिए विश्रामगृह बनवाये। ये स्वयं पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बन गए। बोधगया के निकट निरंजना नदी बहती है। जो बौद्धों एवं हिन्दुओं, दोनों के लिए पवित्र है। गया हिन्दुओं के लिए पवित्र नगरी है। यहाँ आकर हिन्दू अपने पितरों को पिंडदान कर उनकी आत्मा को तृप्त करते हैं तथा उनके लिए मोक्ष का मार्ग खोलते हैं। इस प्रकार एक पवित्र तीर्थस्थल होने से पर्यटन स्थल के रूप में यह स्थान अत्यन्त लोकप्रिय है। पटना से गया 100 किलोमीटर की दूरी पर है और वह रेलमार्ग, सड़कमार्ग से जुड़ा है। पर्यटक यहाँ रेल, बस, टैक्सी अथवा वायुयान से जा सकते हैं। पर्यटकों के ठहरने के लिए बोधगया हर श्रेणी के होटल हैं। गया में भी अनेक होटल हैं। पर्यटन विभाग द्वारा परिचालित विश्राम स्थल भी बोध गया में है। यहाँ के निवासियों की बड़ी संख्या की रोजी-रोजी पर्यटकों के बल पर चलती है।

16.4 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. बोधगया एक तीर्थ स्थल के रूप में किस धर्म से सम्बन्धित है तथा बुद्ध के जीवन के किस महत्वपूर्ण घटना से सम्बन्धित है ?
2. बोध गया स्थित वर्तमान महाबोधि मंदिर किस काल की है तथा इसके शिखर की ऊँचाई कितनी है?
3. यहाँ स्थापित संग्रहालय किसके द्वारा परिचालित होता है?
4. गया में हिन्दू तीथयात्री किस विशेष उद्देश्य से आते हैं?

16.5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. बोध गया का बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में महत्त्व पर प्रकाश डालिए।
2. महाबोधि मंदिर को छोड़ अन्य महत्त्वपूर्ण बौद्ध पुरावशेष पर प्रकाश डालिए।
3. बोधगया में अन्य देशों के बौद्धों द्वारा किए गए कार्यकलापों वर्णन कीजिए।
4. हिन्दू तीर्थस्थल के रूप में गया का वर्णन कीजिए।
5. बोध गया तथा गया जाने वाले पर्यटकों की सुख-सुविधा पर प्रकाश डालिए।

16.6 संदर्भ ग्रंथ

1. पर्यटकों का देश भारत – डॉ० शिवस्वरूप सहाय
2. एन्टिक्वेरियम रीमेन्स इन बिहार – डी०आर० पाटिल

❑❑❑

बिहार के एक पर्यटक केन्द्र के रूप में राजगीर (Rajgir as a Tourist Centre in Bihar)

17.0 उद्देश्य

एक पर्यटन स्थल के रूप में राजगीर के महत्व पर प्रकाश डालना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। इस पाठ में राजगीर के ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्त्विक महत्व का भी उल्लेख करना है।

17.1 भूमिका

राजगीर मगध की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध रहा है। मगध को वैदिक काल में हेय दृष्टि से देखा जाता था। परन्तु वृहद्रथ द्वारा स्थापित राजवंश के शासनकाल में न केवल मगध का महत्त्प बढ़ा बल्कि उसकी राजधानी गृहब्रज का भी महत्व बढ़ा। महाभारत काल में वृहद्रथ का पुत्र राजसंघ मगध का शासक था। इस राजवंश का अंत छठी शताब्दी ईसा पूर्व के पूर्व हो चुका था चूँकि छठी शताबदी ई॰पू॰ में मगध का शासक बिम्बिसार था जो हर्यककुल से सम्बन्धित था। पाँच पहाड़ियों से घिरा गृहब्रज एक सुरक्षित राजधानी थी। बिंबसार पहले यहीं अपना दरबार करता था, परंतु बाद में उसने राजगृह को अपनी राजधानी बनायी जो उसके नये राजमहल के चतुर्दिक वसा हुआ था। इस राजगृह की पहचान आधुनिक राजगीर से की जाती है। राजगृह प्राचीन गृहब्रज के बाहरी क्षेत्र में स्थापित हुआ। प्राचीन गृहब्रज का प्रस्तर रक्षा प्राचीर (Cyclopean Wall) भारत के पुरावशेषों मे विशेष महत्त्व रखता है। राजगीर का केवल राजीनीतिक महत्त्व ही नहीं, बल्कि बौद्धों एवं जैनियों एवं हिन्दओं के लिए भी विशेष महत्त्व है, क्योंकि यह स्थान तीनों ही धमावलम्बियों से लिए पवित्र है।

17.2 मुख्य पाठ

राजगीर पटना (बिहार) से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण–पूर्व की ओर स्थित है तथा नालन्दा से लगभग 10–11 किलोमीटर की दूरी पर है। वर्तमान में राजगीर नालन्दा जिला में एक अनुमंडलीय मुख्यालय है परन्तु उसका प्राचीन इतिहास अत्यन्त गौरवशाली रहा है। यह प्राचीन काल में मगध की राजधानी रही है जिसका नाम वसुमती, वृहद्रथपुर, गिरिब्रज, कुशाग्रपुर तथा गिरिब्रज आदि रहा है। महाभारत काल में यहाँ का राजा जरासंघ था। भगवान बुद्ध के समय यह मगध की राजधानी थी और इसका नाम राजगृह था। इस समय यहाँ का राजा बिम्बिसार था। परन्तु उसके पौत्र उदायिन राजगृह से मगध राजधानी पाटलिपुत्र लगया और इसके बाद राजगृह (राजगीर) कां राजनीतिक गौरव समाप्त हो गया। परन्तु भगवान बुद्ध का प्रिय स्थल हाने के कारण बौद्धों के लिए इसका महत्व बना रहा। राजगीर तथा नालन्दा में तीर्थकर महावीर ने कई वर्षा ऋतु बिताये। अत: जैनियों के लिए भी राजगीर एक पवित्र नगरी रही हैं राजगीर आजीविकाओं तथा अन्य सम्प्रदायों के लिए भी पवित्र नगरी रही है। राजगीर बौद्ध एवं जैनियों के लिए ही नहीं हिन्दुओं के लिए भी पवित्र स्थल है। अत: यहाँ बौद्ध जैन एंव हिन्दू धर्मावलम्बी तीर्थ यात्रियों के रूप में आते हैं। परन्तु यहाँ के पुरावशेष प्राचीन गुफाएँ तथा गर्मजल की धारा सामान्य देशी एवं विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं।

17.2.1. राजगीर पाँच पहाड़ियों से घिरा है जिसके नाम जैन, बौद्ध एव हिन्दू साहित्य में सुरक्षित मिलते हैं। उत्तर-पश्चिम में जिस पहाड़ी के निचले भाग से गर्म जल की धारा निकलती है उसे वैभार गिरि कहते हैं। इसके उत्तर में विपुल पर्वत स्थित है। पूरब की ओर रत्नगिरि तथा छटगिरि स्थित हैं तथा दक्षिण की ओर वनगंगा के दोनों ओर दक्षिण दिशा में उदयगिरि तथा सवुर्णगिरि पर्वत हैं। इस प्रकार राजगीर प्राकृतिक तौर पर सुरक्षित था। छट पर्वत को छोड़कर अन्य सभी पर्वतों पर रक्षा प्राचीर के चिह्न मिले हैं। यह रक्षा प्राचीर बड़े-बड़े बिना तराशे हुए प्रस्तर खंडों से निर्मित हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। वनगंगा के निकट इसकी ऊँचाई 11-12 फीट है इस प्राचीर की चौड़ाई 14 से 17 फीट है।

17.2.2. राजगीर के अन्य पर्यटन स्थलों में मनियार मठ महत्वपूर्ण है। यह सोन भण्डार जाने के रास्ते में स्थित है। यहाँ एक प्राचीन कुआँ का अवशेष मिला है, बाद में जहाँ एक जैन मंदिर निर्मित हुआ है। यहाँ उत्खनन कराने पर वृत्ताकार कुआँ का अवशेष मिला है। यहाँ से अनेक मूर्तियाँ मिलीं जिनमें प्रमुखता नाग-नागिनों की है। अन्य मूर्ति भी मिली है। मूल रूप से यहाँ एक बेलनाकार खोखला भवन था जिसकी दीवार 4 फीट मोटी थी। इसका निर्माण लगभग चौथी-पाँचवीं शताब्दी में हुआ। यह भवन नाग-पूजा से सम्बन्धित था। एक अभिलेख में मणिनाग के नाम का उल्लेख मिला है। इस स्थान के उत्खनन में मथुरा लाल बलुआ पत्थर की मूर्ति मिली है जिस पर नाग-नागिनों को फण के साथ अंकित किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि महाभारत में राजगृह में स्थित मणिनाग के मंदिर का उल्लेख हुआ है। यहाँ नागों की किस प्रकार पूजा होती थी यह कहना कठिन है। परन्तु यह स्थल निश्चित रूप से नाग-पूजा के साथ सम्बद्ध था।

17.2.3. बिम्बिसार का जेल राजगीर का दूसरा दर्शनीय स्थल है। यह स्थान मनियार मठ से दक्षिण अथवा दक्षिण पूर्व कुछ दूरी पर स्थित है। यहाँ एक वर्गाकार किला का अवशेष मिला है। जिसकी दीवार 8½ फीट मोटी थी। यहाँ से गृधकूट पर्वत दिखाई पड़ता है। यही अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार को कैद कर रखा था ताकि जहाँ से वे उस पर्वत कर भगवान बुद्ध को देख सकें।

17.2.4. जीवका भ्रवन विहार राजगीर घाटी के पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ के उत्खनन से बिहार क़ा अवशेष प्राप्त हुआ हैं। बौद्ध साहित्य में बिम्बिसार के चिकित्सक के रूप में जीवक का उल्लेख हुआ है जो बौद्ध विहार की ओर आकृष्ट हुआ और उसने इस बौद्ध विहार का निर्माण कराया। राजगीर में जितने भी विहारों के अवशेष मिले हैं उनमें जीवक द्वारा निर्मित यह विहार सबसे विशाल है।

17.2.5. गृधकूट पर्वत : बौद्ध स्रोतों के अनुसार भगवान बुद्ध जब भी राजगीर आते थे तो यहीं निवास किया करते थे। इसलिए इस पर्वत का महत्त्व बौद्धों के लिए अधिक है। इस स्थान की पहचान को लेकर विद्वान एकमत नहीं हैं। परन्तु मार्शल महोदय ने ब्राडले की इस मान्यता को सही माना है कि छटगिरि के एकमात्र शिखर को गृद्धपर्वत के साथ पहचान की जा सकती है। इस पर्वत की चोओ के एक ओर उत्तर अथवा उत्तर-पश्चिम दिशा मुख वाली दो प्राकृतिक गुफाएँ हैं। इनका उल्लेख संभवत: ह्वेनसंग ने भी किया है। गृधकूट तक पहुँचने के लिए ढालुआ रास्ता बना है।

17.2.6. वन गंगा क्षेत्र में शंखलिपि में लेख तथा स्तूपों के अवशेष मिले हैं। वनगंगा सोनगिरि और उदयगिरि के बीच बहती है जो फल्गू नहीं में जाकर मिलती है। शंख लिषि के अतिरिक्त यहाँ से पथरीली सतह पर एक-दूसरे से पाँच फीट की दूरी पर दो सामान्तर चिह्न मिले हैं। स्थानीय विश्वास के अनुसार यहाँ जरासंघ और भीम का युद्ध हुआ था।

17.2.7. सोनभंडार गुफाएँ : पर्यटकों को अपनी ओर आकृष्ट करती हैं। यह वैभर पर्वत के दक्षिण सतह में बनी हैं। इन गुफाओं की बनावट के आधार पर इन्हें बराबर पहाड़ियों की गुफओं के समकक्ष रखा जा सकता है। सोन भण्डार से खजाने का बोध होता है। यहाँ से जैन तीर्थकरों की मूर्तियाँ मिली हैं। वस्तुत: स्वयं वैभरगिरि जैनियों का केन्द्र रहा होगा चूँकि यहाँ से अनेक प्राचीन एवं आधुनिक जैन स्माकरों के चिह्न मिले हैं। सोन भण्डार से लगभग डेढ़ किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में एक स्थान है जिसे स्थानीय लोग 'अखाड़ा अथवा रणभूमि' कहते हैं। यहाँ की भूमि लाल है। लोगों की मान्यता है कि ज़रासंघ के साथ युद्ध एवं बाद में जरासंघ की मृत्यु के फलस्वरूप उसके खून से यह धरती लाल हो गई।

17.2.8. प्राचीन स्मारकों के अवशेष के दृष्टिकोण से बैभरगिरि सबसे अधिक धनी है। इसके पूवी भाग से गर्मजल की धारा फूटती है जिसे सातधारा के नाम से जाना जाता है। यह हिन्दुओं को अपनी ओर आकृष्ट करता है। महाभारत में इनका उल्लेख हुआ है, परन्तु बौद्ध एवं जैन स्रोतो ने इसे महत्व नहीं दिया है राजगृह महात्म्य नामक संस्कृत ग्रन्थ में राजगीर में हिन्दुओं के लिए पवित्र स्थलों का उल्लेख हुआ है। इस प्राकृतिक झरना के निकट जरा देवी की पूजा के चिह्न मिले हैं। इसी देवी के वरदान पर जरासंघ की शक्तियाँ निर्भर थीं। इस गर्मजल की धारा से ऊपर की ओर वैभारगिरि पर **जरासंघ की बैठक अथवा पिप्पला प्रस्तरगृह** स्थित है। स्थानीय लोग इसे मचान कहते हैं। फाह्यान ने इस बात का उल्लेख किया है कि पिप्पला नामक गुफा में बैठकर भगवान बुद्ध ध्यान किया करते है।

17.2.9. वैभरगिरि की उत्तरी सतह पर आधुनिक आदिनाथ के जैन मंदिरों के नीचे की ओर छ: अथवा सात गुफाएँ हैं। इसी स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अत: यह स्थान बौद्धों के लिए विशेष महत्व का है। इन गुफओं को 'सप्तपर्णी गुफा' के नाम से जना जाता है।

17.2.10. इनके अतिरिक्त **वेणुवन** तथा अजातशत्रु स्तूप अन्य बौद्ध दर्शनीय स्थल है। वेणुवन अथवा बाँस के जंगल को बिम्बिसार ने भगवान बुद्ध को दान के रूप में दिया। वेणुवन के पूर्व की ओर अजातशत्रु का स्तूप है।

17.2.11. इन सभी दर्शनीय स्थल के अतिरिक्त हाल में पर्वत की चोटी पर बने सफेद पत्थर का सुन्दर स्तूप भी देखने लायक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 'रज्जु मार्ग' (Rope Way) की व्यवस्था है जो स्वयं में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है।

17.2.12. राजगीर हिन्दू, बौद्ध एवं जैनियों के लिए एक तीर्थ स्थल है। साथ-ही-साथ देश-विदेश के पर्यटक यहाँ आते हैं। इन दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए तथा स्वास्थ्य लाभ के लिए। गर्म जल की धारा सभी वर्ग के पर्यटकों को आकर्षित करता है।

17.2.13. राजगीर पटना अथवा गया से सड़क मार्ग द्वारा पहुँचा जा सकता है। दोनों स्थनों से राजगीर को जोड़ने वाली सड़क उच्च कोटि की है। पटना से पर्यटन विभाग द्वारा बस की व्यवस्था की जाती है। पटना से राजगीर के बीच कई रेलगाड़ियाँ चलती हैं। राजगीर में ठहरने के लिए उच्चकोटि के होटल हैं, पर्यटन विभाग द्वारा संचालित विश्राम गृह है तथा लॉज एवं धर्मशालाएँ भी हैं। अत: पर्यटक के ठहरने में कोई कठिनाई नहीं है।

17.3. सारांश

राजगीर बौद्ध, जैन एवं हिन्दुओं के लिए पवित्र स्थल है। यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह स्थान बुद्ध एवं महावीर के जीवन से जुड़ा है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में मनियारमठ, सोनभण्डार, सप्तपर्णी गुफाएँ, जरासंघ की बैठक अथवा पिप्पल प्रस्तर गृह, गृधकूट पर्वत, वेणुवन, अजातशत्रु का स्तूप जीवक द्वारा निर्मित बिहार, प्रस्तर रक्षा प्राचीर आदि प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त गर्मजल की सातधारा पर्यटकों के विशेष आकर्षण का केन्द्र है। राजगीर में भगवान बुद्ध ने निवास किया था और यही प्रथम बौद्ध संगीति बुलाई गई थी। आधुनिक काल में प्रस्तर का एक स्तूप भी निर्मित हुआ है। यहाँ तक पहुँचने के लिए रज्जुमार्ग (Rope Way) की सुविधा है। यह रज्जु मार्ग सामान्य पर्यटकों को आकर्षित करता है। गर्मजल की धारा की स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से आनेवाले पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहाँ ठहरने की उत्तम सुविधा है तथा यहाँ पटना एवं गया से सड़क मार्ग द्वारा सुविधापूर्वक पहुँचा जा सकता है। पटना से राजगीर के बीच रेलमार्ग से भी पहुँचने की सुविधा है।

17.4 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. राजगीर के प्राचीन नामों का उल्लेख कीजिए।
2. मनियार मठ किसकी पूजा से सम्बद्ध है ?
3. प्रस्तर रक्षा प्राचीर किस प्रकार के पत्थरों से बना है? इसकी मोटाई कितनी थी?
4. सप्तपर्णीगुफा में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था ?

17.5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. राजगीर के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालिए।
2. राजगीर की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए मनियारमठ के महत्त्व पर प्रकाश डालिए।
3. सोन भण्डार एवं सप्तपर्णीगुफा के महत्व पर प्रकाश डालिए।
4. मनियारमठ, सोनभण्डार तथा सप्तपर्णीगुफाओं को छोड़कर अन्य बौद्ध स्थलों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

17.6 संदर्भ ग्रंथ

1. एन्टिक्वेरियम रीमेन्स इन बिहार – डी॰आर॰ पाटिल

❑❑❑

बिहार के पर्यटन केन्द्र के रूप में वैशाली (Vaishali as a Tourist Centre in Bihar)

18.0 उद्देश्य

इस पाठ का उद्देश्य है वैशाली के पुरातात्त्विक अवशेषों पर प्रकाश डालते हुए एक पर्यटन स्थल के रूप में उसके आकर्षणों का वर्णन करना।

18.1 भूमिका

वैशाली भगवान बुद्ध के समय भारत की एक महत्वपूर्ण नगरी थी जो लिच्छवि गणराज्य की राजधानी थी। यह नगर बिहार में गंगा के उत्तर में बसा हुआ है। एक महत्वपूर्ण नगर के रूप में यह महाकाव्यों एव पुराणों में उल्लिखित हुआ है। पुराणों के अनुसार इस नगर की स्थापना इक्ष्वाकु वंश के राजा विशाल ने की थी। वैशाली का महत्व लिच्छवियों की राजधानी होने तथा भगवान बुद्ध के साथ सम्बन्धित होने के कारण है। द्वितीय बौद्ध संगीति भी यहीं बुलाई गई थी। जैन परमपरा के अनुसार वैशाली तीर्थंकर महावीर का जन्म स्थान भी था। मगध राज्य के निकट गंगा के उत्तर के तरफ बसे लिच्छवी गणराज्य का मगध के शासकों के साथ छठी शताब्दी ईसापूर्व में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध था। परन्तु बिम्बिसार के पुत्र अजातशत्रु ने इसे मगध राज्य का हिस्सा बना लिया। गुपत वंश के संस्थापक चन्द्रगुप्त प्रथम ने एक लिच्छवि राजकुमारी के साथ विवाह किया था। पाँचवीं शताब्दी में फाह्यान ने वैशाली को खण्डहर के रूप में नहीं देखा था। परन्तु सातवीं शताब्दी में ह्वेनसंग ने इसे खण्डहर के रूप में देखा। अर्थात् वैशाली पाँचवीं-छठी शताब्दी में खण्डहर के रूप में बदल गई। वैशाली के इस खण्डहर की पहचान बिहार के मुजफ्फरपुर शहर से लगभग 35-36 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित बसाढ़ नामक ग्राम से की गई है। इसके निकट ही कोल्हुआ नाम ग्राम से अशोक स्तम्भ मिला है। इस स्थान का उत्खनन पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा समय-समय पर किया गया और लिच्छवियों की राजधानी में धरती के नीचे दबे पुरावशेषों को उजागर करने का प्रयास किया गया।

18.2 मुख्य पाठ

लिच्छवियों की राजधानी वैशाली की पहचान वसाढ़ नामक ग्राम के साथ की गई है जिसके चतुर्दिक इस नगर के खण्डहर विखरे पड़े हैं। इनमें **राजा विशाल का गढ** महत्वपूर्ण है। ह्वेनसंग ने राजमहल का वर्णन किया है। उत्खनन से उसके वर्णन की पुष्टि होती है। राजा विशाल के गढ़ के लगभग 1000 फीट दक्षिण-पश्चिम में ईंटों से निर्मित एक टीला था जिसके ऊपर एक मुस्लिम क़ब्र था। वस्तुतः वसाढ़, वनिया, कोल्हुआ आदि स्थानों से अनेक स्तूप एवं विहारों के अवशेष प्राप्त हुए है तथा इस सम्पूर्ण क्षेत्र से ईसापूर्व के पुरावशेष प्राप्त हुए है। राजा विशाल का गढ़ एक प्राचीन किला का अवशेष है जिसमें कभी लिच्छवि राजपरिवार वास करता था तथा शासन करता था।

18.2.1. खरौना पोखर दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है। इसकी पहचान लिच्छवियें के पवित्र सरोबर अभिषेक पुष्करणी के साथ की गई है। इनका उपयोग केवल लिच्छवि सरदार अधवा राजा किया करते थे। लिच्छवि गणराज्य में 7707 राजा थे। इस बात की जानकारी हमें प्राचीन बौद्ध साहित्य से मिलती है।

18.2.2. खरौना पोखर के उत्तर-पश्चिम में एक टीला मिला है जो वस्तुत: एक स्तूप का अवशेष है। उत्खनन से इस बात का प्रमाण मिला है कि इसका चार वार पुनर्निर्माण किया गया। संभवत: यह वह स्थान है जहाँ लिच्छवियों ने भगवान बुद्ध की अस्थितायों के हिस्से को सुरक्षित रखा था। बौद्धों के लिए यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से भगवान बुद्ध की अस्थियाँ भी मिली हैं।

18.2.3. गढ़ के उत्तर दक्षिण दिशा में बौद्ध पुरावशेष विखरे पड़े हैं। इसी क्षेत्र में विख्यात नर्तकी आम्रपाली, विमलकीर्ति तथा रत्नाकर के निवास स्थान से सम्बन्धित अवशेष मिले हैं। बौद्ध साहित्य में आम्रपाली भगवान बुद्ध के समय वैशाली की प्रसिद्ध नर्तकी थी जिसने बाद में भगवान बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया।

18.2.4. यहाँ से शैव एवं जैन धर्म से भी सम्बन्धित अवशेष मिले हैं, परनतु बौद्धों के लिए वैशाली का विशेश महत्व है। इसलिए भारत में रहने वाले बौद्ध तथा विदेशों से आने वाले बौद्ध पर्यटक वैशाली जाना चाहते है। यह बौद्धों के लिए एक महत्त्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। पर्यटन विभाग ने इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने प्रयास किया है।

18.2.5. बसाढ़ के निकट कोल्हुआ नायक स्थान से बौद्ध स्माकरों के खण्डहर मिले हैं जिनमें बौद्ध स्मारकों के खण्डहर मिले हैं जिनमें बौद्ध बिहार एवं स्तूपों के अवशेष है। विस्तृत क्षेत्र में फैले ये अवशेष इस स्थान के महत्व की ओर संकेत करते हैं। यहाँ से अशोक द्वारा स्थापित एकाश्मक स्तम्भ भी मिला है जिसपर मौर्यकालीन विशेष चमक वाला पालिश है।

18.2.6. प्राचीन वैशाली गौरवपूर्ण अतीत को हम बसाढ़ तथा उसके आस-पास के खण्डहरों को देखकर अनुभव कर सकते हैं। एक पर्यटन स्थल के रूप में यह पर्यटकों को आकर्षित करता है। पर्यटन विभाग द्वारा इस स्थल को विकसित किया गया है। यहाँ राजगीर की तरह शान्ति स्तूप का भी निर्माण किया गया है। यह स्तूप भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। वैशाली में पर्यटन विभाग द्वारा एक विश्रामगृह की भी व्यवस्था है। पुरातत्त्व विभाग द्वारा स्थापित यहाँ एक संग्रहालय भी है। जिसमें यहाँ से प्राप्त मूर्तियों तथा अन्य पुरावशेषों को रखा गया है। यह संग्रहालय भी पर्यटकों को आकर्षित करता हैं। इसमें संगृहित प्रदर्शों को देखकर पर्यटक अधिक संतोष एवं आनन्द का अनुभव कर सकते हैं।

18.2.7. इस पर्यटन स्थल तक जाने के लिए सड़क मार्ग ही एक मात्र साधन है। पटना से किसी भी वाहन द्वारा हाजीपुर होते हुए यहाँ पहुँचा जा सकता है। सड़क उच्चकोटि की है। पर्यटक पटना अविा हाजीपुर में ठहरकर वैशाली जा सकते है। पटना एवं हाजीपुर में अच्छे होटल हैं। रेलमार्ग से आने वाले पर्यटक हाजीपुर अथवा पटना तक आ सकते हैं। इसके बाद इन्हें सड़कमार्ग से ही यात्रा करनी होगी। मुजफ्फरपुर से भी सड़क मार्ग द्वारा यहाँ पहुँचा जा सकता है।

18.3. सारांश

वैशाली प्राचीन लिच्छवि गणराज्य की राजधानी थी। इसकी पहचान मुजफ्फरपुर के निकट बसाढ़ नामक ग्राम से की जाती है। बसाढ़, बनिया कोल्हुआ आदि स्थानों से प्राचीन पुरावशेष एवं प्राचीन

किला, बौद्ध बिहार, स्तूप आदि के अवशेष मिले हैं। लिच्छवि के सरदारों के लिए निर्मित अभिषेक पुष्कर्णी के अवशेष मिले है। कोल्हुआ से स्तूपों एवं बिहारों के अवशेष के अतिरिक्त अशोक स्तम्भ भी मिला है। यहाँ एक संग्रहालय है तथा पर्यटन विभाग द्वारा संचालित विश्राम गृह है। हाल में यहाँ शान्ति स्तूप की स्थापना हुई है जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। वैशाली बौद्धों के लिए एक पवित्र तीर्थस्थल है, चूँकि यहाँ बुद्ध आकर ठहरे थे, त्रितीय बौद्ध संगीति यही बुलाई गई थी और लिच्छवियों ने भगवान के परिनिर्वाण के पश्चात् उनकी अस्थियों के हिस्से पर एक स्तूप का निर्माण कराया था। यहाँ पटना अथवा हाजीपुर तक रेल मार्ग से जाकर सड़क मार्ग से पहुँचा जा सकता है। हाजीपुर तथा पटना में ठहरने के लिए अच्छे होटल हैं। मुजफ्फरपुर से भी सड़क मार्ग से यहाँ आ सकते हैं।

18.4 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. वैशाली नगर की स्थापना प्राचीन काल में किस राजा ने की थी तथा इसकी जानकारी किस स्रोत से मिलती है?
2. भगवान बुद्ध के समय वैशाली किस गणराज्य की राजधानी थी तथा उनकी स्वतंत्रता का हनन किसके द्वारा हुआ?
3. अशोक स्तम्भ किस स्थान से मिला है?

18.5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. वैशाली के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालिए।
2. बौद्धधर्म के साथ वैशाली के सम्बन्ध पर प्रकाश डालिए।
3. वैशाली के महत्त्वपूर्ण पुरावशेषों पर प्रकाश डालिए तथा एक पर्यटन स्थल के रूप में उसके महत्व का उल्लेख कीजिए।
4. वैशाली की भौगोलिक स्थिति तथा पर्यटन सुविधाओं पर प्रकाश डालिए।

18.6 संदर्भ ग्रंथ

1. एन्टिक्वेरियम रीमेन्स इन बिहार – डी॰आर॰ पाटिल

❑❑❑

बिहार के एक पर्यटन केन्द्र के रूप में पाटलिपुत्र (Patlipurtra as a Tourist Centre in Bihar)

19.0 उद्देश्य

बिहार अथवा मगध की प्राचीन राजधानी पाटलिपुत्र के पुरातात्त्विक महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए एक पर्यटन के रूप में इसके पहत्व पर प्रकाश डालना इस पाठ का उद्देश्य है।

19.1 भूमिका

पाटलिपुत्र नगर का अतीत अत्यन्त गौरवपूर्ण रहा है। इस नगर की पहचान बिहार की राजधानी पटना के साथ की जाती है। यह स्थान गंगा और सोन के संगम पर बसा है। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदायिन ने राजगृह के स्थान पर अपनी राजधानी बनाई। अर्थात् राजगृह के बदले पाँचवीं शताब्दी ईसापूर्व में पाटलिपुत्र प्राचीन मगध राज्य की राजधानी बनी। लगभग एक हजार वर्ष तक यह न केवल मगध राज्य की राजधानी बनी रहीं, बल्कि सम्पूर्ण भारत के राजनीतिक केन्द्र की भूमिका भी अदा करती रही। पाटलिपुत्र के महान शासकों में बिम्बिसार, अजातशत्रु, महापद्मनन्द, चन्द्रगुप्त मौर्य, अशोक, चन्द्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त द्वितीय आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इन राजाओं ने मगधराज्य तथा पाटलिपुत्र को गौरवान्वित किया। इस महान और गौरवपूर्ण अतीत वाले नगर का परवर्ती काल में अनेक नामों से जाना गया। वैसे लगभग एक हजार वर्ष तक मगधराज्य एवं मगध साम्राज्य की राजधानी होने के कारण यह नगर अतिसुन्दर एवं आकर्षक भवनों से भरा रहा होगा। चन्द्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहनेवाला ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने चन्द्रगुप्त के महल, लकड़ी का रक्षा प्राचीर तथा नगर की लम्बाई एवं चौड़ाई (9 मील × 1½ मील) का उल्लेख किया है। इस नगर के प्राचीन गौरव का उल्लेख प्राचीन साहित्य में भी हुआ है। पाटलिपुत्र को प्राचीन काल में कुसुमपुर तथा पुष्पपुर के नाम से भी पुकारा जाता है। कथासरितसागर में इस नगर की स्थाना के संदर्भ में एक कथा मिलती हैं। इसके अनुसान विन्ध्य क्षेत्र के राक्षस पुत्रों के बीच झगड़े में राजगृह के पुत्रक नामक व्यक्ति ने पंच का कार्य किया। उसने चालाकी से जादू की छड़ी, घड़ा तथा चप्पल प्राप्त किया तथा उसके बल पर आकर्षिका के राजा महेन्द्रवर्मन की पुत्री से प्यार किया तथा गंगा के तट पर पाटलिपुत्र नगर बसाया। अन्य के पीछे में कहानियाँ जुड़ी हुई हैं।

19.2 मुख्य पाठ

प्राचीन पाटलिपुत्र नगर की पहचान आधुनिक पटना नगर से की गई है जो बिहार की राजधानी है। प्रचीन काल में यह गंगा नदी के दक्षिण तट पर स्थित था तथा गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा था। आधुनिक पटना की भौगोलिक स्थिति भी लगभग वहीं है। मगध साम्राज्य की इस प्राचीन राजधानी के पुरावशेष पटना में बिखरे पड़े हैं जिन्हें पुरातत्त्ववेत्ताओं ने पटना के विभिन्न स्थानों पर उत्खनन कर ढूँढ़ निकाला है। मेगास्थनीज, फाह्यान आदि विदशी पर्यटकों ने इसके गौरवशाली अतीत पर प्रकाश

डाला है। पाँचवी शताब्दी के प्रारंभ में भारत भ्रमणकरनें वाला बौद्ध तीर्थशात्री फाह्यान ने पाटलिपुत्र में तीन वर्षों तक निवास किया था। उसने अशोक के विशाल महल का उल्लेख किया है। उसने महायान तथा हीनयान से सम्बन्धित दो भव्य विहारों तथा आरोग्य विहार का उल्लेख किया है। प्राचीन पाटलिपुत्र के ये पुरावशेष पर्यटकों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं।

19.2.1. मौर्यकालीन राजमहल के अवशेष को पुरातत्त्ववेत्तायों ने कुम्हरार नामक स्थान का उत्खनन कर ढूँढ़ निकाला है। कुम्हरार उत्खनन में एक 80 स्तम्भों वाले हॉल का अवशेष मिला है। यह हॉल मौर्यकालीन है। चूँकि इसके स्तम्भों पर अशोक कालीन चमकीला पालिश मिला है। इन स्तम्भों की लम्बाई 32½ फीट है। संभवत: इस हॉल के चारों ओर कोई दीवार नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह खुला मंडपनुमा हॉल था। यह अशोककालीन हॉल पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस स्थान से एक अन्य भवनों का अवशेष मिला है जो संभवत: गुप्तकालीन है और यह अस्पताल का कार्य करता हैं। यहाँ से एक मुहर भी मिली है जिस पर 'आरोग्य विहार' लेख अंकित है। कुम्हरार से अन्य भवनों के भी अवशेष मिले हैं। यहाँ एक छोटा-सा स्थानीय संग्रहालय भी है। जिसमें यहाँ के उत्खनन से प्राप्त सामग्रियाँ रखी गई हैं। कुम्हरार का उपयोग पटनावासी एक पिकनिक स्थल के रूप में करते हैं। पुरातात्विक विभाग द्वारा इसकी देखरेख की जाती है और इसे देखने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। यह स्थल भी देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है।

19.2.2. कुम्हरार के उत्तर-पश्चिम में बुलन्दीबाग है। यहाँ से लकड़ी के लठ्ठों से बने रक्षा प्राचीर के भी अवशेष मिले हैं। लठ्ठों की कतारों से बनी इस रक्षा प्राचीर से पाटलिपुत्र घिरा हुआ था। ऐसा रक्षाप्राचीर के अवशेष अन्य स्थानों से भी मिले है। पर्यटक इन्हें भी देखकर प्राचीन वस्तुकला का अनुभव कर सकता है। इनके अतिरिक्त पटना तथा सिटी के विभिन्न स्थानों पर उत्खनन कार्य किए गए हैं जिनमें पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इन उत्खननों से यह निश्चित हो जाता है कि पटना ही प्राचीन पाटलिपुत्र था।

19.2.3. हिन्दुओं के लिए बड़ी पटनदेवी तथा छोटी पटनदेवी के मंदिर दर्शनीय है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं और पूजा करते हैं तथा मन्नते माँगते हैं। मुख्य रूप से देवी दुर्गा का मंदिर है जो पटना नाम से इस नगर की अधिष्ठात्री देवी है। इस मंदिर में दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की छोटी मूर्तियाँ प्रतिष्ठित है। यह मंदिर पटना के महाराजगंज क्षेत्र में है। बड़ी पटनदेवी के अतिरिक्त छोटी पटनदेवी का मंदिर भी हिन्दुओं एवं पटना वासियों के लिए महत्त्वपूर्ण है। यह मंदिर वस्तुत: पूरब की ओर से नगर में प्रवेश करने के द्वारा के निकट है। यह मंदिर बड़ी पटन देवी से अधिक लोकप्रिय हैं इस मंदिर में राज मानसिंह ने मूर्त्ति स्थापित की थी। हिन्दुओं के लिए अगमकुआँ का भी विशेष महत्व है। यह स्थान शितला देवी की पूजा से सम्बद्ध है। परन्तु यह स्मारक अत्यन्त प्राचीन है। यह एक कुएँ का आकार का है। यहाँ दूर-दूर से हिन्दु धर्मावलम्बी पूजा करने आते हैं तथा मन्नते माँगते हैं। इसे अशोक द्वारा निर्मित नरक भी कहा जाता है।

19.2.4. पटनासिटी में चौक क्षेत्र में सिखों का महान गुरूद्वारा भी है। यह स्थान गुरूगोविन्द सिंह के जन्म स्थान के रूप में विख्यात है। यह हर मंदिर जी भारत और विदेशों में बसने वाले सिखों के लिए एक महान तीथ्रस्थल है, चूँकि यह सिखों के दसवें गुरू गोविन्द सिंह का जन्म स्थल है। इस तीर्थ स्थल के कारण लाखों सिख पटना आते हैं। इस गुरूद्वारा को महाराज रणजीत सिहं ने बनवाया था।

19.2.5. पटना संग्रहालय भी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, चूँकि यह सभी श्रेणी के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक भव्य एवं वास्तुकला के दृष्टिकोण से आकर्षक भवन में यह संग्रहालय है इसमें बिहार के महत्त्वपूर्ण पुरावशेष संगृहीत है। विभिन्न कालों की मूर्तियाँ, सिक्के, लेख तथा अन्य महत्त्वूपर्ण सामगियाँ यहाँ संगृहीत हैं। मूर्तियों में दीदारगंज से प्राप्त मौर्यकालीन यक्षिणी की मूर्ति विशेष आकर्षण का केन्द्र है। यह चवँरधारिणी यक्षिणी की मूर्ति चुनार वालुआही पत्थर से निर्मित है तथा इस पर अशोककालीन चमकीला पॉलिश है।

19.2.6. पटना संग्रहालय भवन में बिहार रिसर्च सोशायटी का ऑफिस तथा पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय में प्राचीन पांडुलिपियों तथा आधुनिक कालीन पुस्तकों का बड़ा संग्रह है। यह देश-विदेश के विद्वानों को अपनी ओर आकृष्ट करता है।

19.2.7. पटना संग्रहालय के निकट ताराघर अथवा प्लानिटोरियम स्थित है। यह पर्यटकों को अपनी ओर आकृष्ट करता है। पटना आने वाले पर्यटक, विशेषकर, बिहार, झारखंड प्रदेशों के यहाँ अवश्य आना चाहते हैं।

19.2.8. पटना का बोटानिकल गार्डेन भी आकर्षण का केन्द्र है। इसमें न केवल वनस्पतियों का , बल्कि विभिन्न प्रकार के जीव-जन्तुओं का भी संकलन है। मनोरंजन के लिए इसमें पर्यटकों के लिए रेलगाड़ी भी है तथा नौका विहार के लिए तालाब भी है। एक जलयान गृह भी है। यहाँ लोग बड़ी संख्या में प्रतिदिन आते है। पटना आने वाले पर्यटक यहाँ आना चाहते हैं। यह मनोरंजक पिकनिक स्थल के रूप विशेष लोकप्रिय है। बच्चे बड़े उत्साह से यहाँ आते हैं और विभिन्न प्रकार के जीव-जन्तुओं को देखकर आनन्दित होते हैं।

19.2.9. आधुनिक भवनों में सचिवालय भवन, हाईकोर्ट भवन तथा गोलंघर वास्तुकला की दृष्टि से उच्च कोटि के हैं और पर्यटक इन्हें देखकर आनन्दित होते हैं। शहीद स्मारक भी पर्यटकों आकृष्ट करता हैं। इनमें गोलघर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अंग्रेजों ने इसे एक अनाज के गोदाम के रूप में निर्मित किया था। यह एक गोलगुम्बद के आकार का है जिसमें इसके शिखर तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं। गोलघर के ऊपर से पूरे पटना का दर्शन किया जा सकता है। पटना आनेवाले पर्यटक गोलघर अवश्य देखना चाहते हैं।

19.2.10. पटना में स्थित खुदावख्श खाँ ओरिएन्टल लाइब्रेरी एक अत्यन्त समृद्ध पुस्तकालय है। जिसमें उर्दू, फारसी तथा अरबी भाषाओं में लिखी गई पुस्तकें का अनुपम संग्रह हैं इसे देखने के लिए देश-विदेश के खोजकर्त्ता आते है तथा इन पुस्तकों से लाभ उठाते हैं।

19.2.11. पटना में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग प्रयत्नशील है। हालही में गंगा की लहरों पर तैरती रेस्तरॉ की व्यवस्था की गई है। गंगा स्नान के लिए भी लाखों की संख्या में लोग पटना आते हैं। गंगा के किनारे छठ पर्व का दृश्य देखने भी लोग आते हैं।

19.2.12. पर्यटन स्थल के रूप में पाटलिपुत्र अथवा पटना आकर्षण का केन्द्र है। पटना जक्शन हावड़ा और दिल्ली के रेलमार्ग पर स्थित है। पटना में यात्रा करने के लिए हर प्रकार के वाहन उपलब्ध हैं। पर्यटन विभाग द्वारा भी पटना दर्शन के लिए विशेष बसें चलायी जाती हैं। पटना में आरामदेह होटल एवं अच्छे-रेस्तराओं की भरमार है। हाल में अनेक शॉपिंग कॉमप्लेक्स भी खुले हैं। अतः पर्यटकों को पटना में हर सुख-सुविधा उपलब्ध है।

19.3. सारांश

मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाँचवीं शताब्दी ईसापूर्व से लेकर पाँचवीं शताब्दी तक पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में वर्तमान रहा। बाद में इस स्थान के महत्त्व घटने लगे। मेगास्थनीज, फाह्यान तथा ह्वेनसांग ने इस स्थान के विषय में लिखा है। प्राचीन पाटलिपुत्र की पहचान बिहार प्रदेश के मुख्यालय पटना शहर से की जाती है। कुम्हरार के उत्खनन से अशोक कालीन सभाभवन का अवशेष मिला है जिसमें 80 स्तम्भ लगे थे। कुम्हरार से अन्य स्मारकों के अवशेष भी मिले हैं। पटना के विभिन्न स्थानों की खुदाई से प्राचीन कालीन पुरावशेषों के अवशेष मिले है। कुम्हरार को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। पटना के अन्य आकर्षणों में बड़ी पटनदेवी, छोटी पटनदेवी, हरमंदिर संग्रहालय, बिहार रिसर्च सोशायटी का पुस्तकालय, खुदावक्श खाँ लाइब्रेरी, बोटनिकलगार्डेन, सचिवालय तथा हाईकोट भवन, गोलघर आदि का उल्लेख किया जा सकता है। पटना में ठहरने के लिए अच्छे होटल हैं। पर्यटकों को आकर्षित करनेवाले शॉपिंग कम्पलेक्स हैं। पटना में घूमने के लिए हर प्रकार के वाहन उपलब्ध हैं।

19.4 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. पाटलीपुत्र का आधुनिक नाम क्या है? तथा वह किन नदियों के संगम पर बसा है?
2. कुम्हरार के उत्खनन से सर्वाधिक महत्त्व का कौन-सा अवशेष प्राप्त हुआ है?
3. मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में रहता था तथा वह किस देश का वासी था?
4. पटना किस सिख गुरू का जन्म स्थान था तथा उस स्थान पर बने भवन को किस नाम से पुकारते हैं ?

19.5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. पाटलिपुत्र के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालिए।
2. पटना के विभिन्न स्थलों की खुदाई से प्राप्त पुरावशेषों का वर्णन कीजिए।
3. पटना संग्रहालय एवं बिहार रिसर्च सोशायटी के सम्बन्ध में एक टिप्पणी लिखिए।
4. पर्यटकों के लिए पटना स्थित आधुनिककालीन भवनों पर एक टिप्पणी लिखिए।

19.6 संदर्भ ग्रंथ

1. एन्टिक्वेरियम रीमेन्स इन बिहार – डी॰आर॰ पाटिल

❑❑❑